खण्ड-345, अंक-6
शुक्रवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(5 सितम्बर, 1980 ई0)

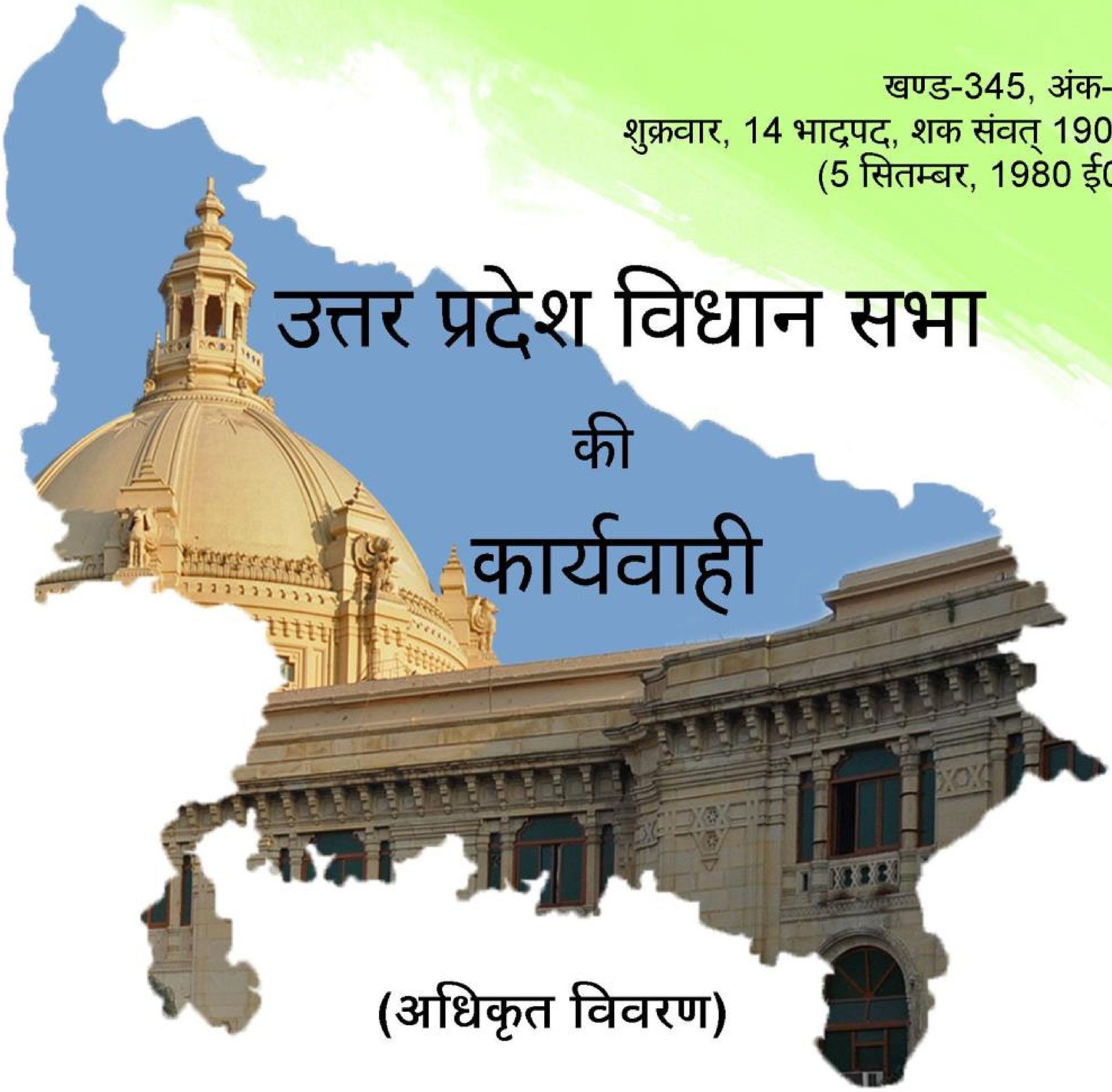

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 375

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलगेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वा
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)

गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)

बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)

राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामनारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सम्मुखावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (एटा)
राम सिंह रावल, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
बिलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
बीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बीरेन्द्र सिंह खान, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शरायतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नरायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)

सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (राय बरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्ना) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 5 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्री का बस्ती शुगर फैक्ट्री में विलीनीकरण का प्रस्ताव

*1.--श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0 द्वारा उसकी बस्ती जनपद की एक इकाई चीनी मिल वाल्टरगंज को आगामी पेराई सत्र से बन्द करने को स्वीकृति हेतु शासन को कोई पत्र उक्त कम्पनी द्वारा इस वर्ष दिया गया है ? क्या शासन ने उक्त के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0 द्वारा बस्ती जनपद में स्थित वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्री को उनकी बस्ती शुगर फैक्ट्री में विलीनीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ है और शासन इस पर कब तक निर्णय ले लेगी तथा प्रस्ताव क्या है ? किस आधार पर विलीनीकरण की मांग की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, यह प्रस्ताव थोड़े दिन पहले शासन को प्राप्त हुआ था । यह नारायण कंपनी की दोनों मिले हैं । उन्होंने प्रस्ताव किया था शासन से कि बस्ती की जो मिल है उसकी क्षमता 1500 टन है पेराई की और वाल्टरगंज की 900 टन है, इनका फैसला 8 किलो मीटर है, यदि इनका विलीनीकरण कर देते हैं, तो इसकी क्षमता बस्ती में बढ़ जायेगी और वहां के किसानों और मजदूरों का कोई अहित नहीं होगा । इसका गहराई से अध्ययन किया जा रहा है । इस पर अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ --

जैसा कि उत्तर में कहा गया कि इस पर विचार किया जा रहा है । मेरी यह निश्चित जानकारी है कि अभी उस मिल में कोई मरम्मत का काम नहीं हो रहा है एक महीने के बाद पेराई शुरू होगी । सारा काम ठप है । अनिश्चितता का वातावरण है । हम लोग भी परेशान हैं, किसानों को भी परेशानी है । क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि तत्काल पेराई का काम शुरू कर दिया जाय ? इस वर्ष मिल चलाई जाये और पेराई का काम किया जाये ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, प्रश्न बड़ा मौलिक है। इसको इस दृष्टिकोण से देख लिया जायेगा। उसका मरम्मत क्यों प्रारम्भ नहीं कराई गयी, इसका क्या कारण है, देखेंगे। रहा निश्चय लेने की बात, उसके ऊपर तुरन्त निश्चय लेने को हम सोच रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूंछा, वाल्टरगंज में मिल की केवल सफाई हो रही है यह उसके जो टूटे पुर्जे हैं उन्हें वाल्टरगंज में ठीक करा रहे हैं ? जो विलीनीकरण की कार्यवाही है बस्ती में उसमें अभी समय लगेगा। क्या उसको प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री यशपाल सिंह--

इस पर बेचैनी होना स्वाभाविक है। माननीय सदस्य का ऐसा विचार है कि उधर विलीनीकरण न हो पाये, उधर मरम्मत न हो, तो किसानों का बड़ा नुकसान हो जायेगा। मैं निश्चित रूप से बतला देना चाहता हूं कि किसानों के हितों को लेबर क्लास के हितों को पूर्ण सुरक्षा दी जायेगी। एक-एक गन्ना, किसान का पेरा जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

यदि वाल्टरगंज मिल को बस्ती मिल में मिला दिया गया तो वाल्टरगंज कस्बा उजड़ जाने की सम्भावना है। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

अब श्रीमन्, जो यह विचाराधीन प्रश्न है, यह तो सभी के ऊपर है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती के जिलाधिकारी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, अभी रिपोर्ट मेरे समक्ष नहीं आयी है। इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, चूंकि वह फैक्ट्री नारंग ब्रदर्स की है और नारंग ब्रदर्स चाहते हैं कि विलीनीकरण हो, तो वह तो होगा ही। इसको देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वहां काम करने वाले जो 1200 मजदूर हैं, उनको भी बस्ती शुगर मिल में विलीनीकरण के बाद काम करने दिया जायेगा और उनकी सर्विसेज में कोई कठिनाई नहीं आयेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, वहां के जो कर्मचारी हैं, चाहे स्थाई या किसी भी प्रकार के, उनके पूरे हितों की रक्षा की जायेगी और उनको उसी प्रकार काम करने दिया

जायेगा जैसे वे वहां काम करते थे और जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि उनको यथायोग्य स्टेटस दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, शुगर इन्डस्ट्री में कितने आदमी कार्य करेंगे, किस-किस पद पर कार्य करेंगे इसका बोर्ड बना है । मेरी जानकारी, मान्यवर, है कि विलीनीकरण हुआ तो वेजबोर्ड के हिसाब से वे खप नहीं पायेंगे । और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको काम दिया जायेगा । तो पुनः मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वाल्टरगंज मिल के विलीनीकरण करने पर वेज बोर्ड चाहे जो कुछ लिखा हो, उन मजदूरों को काम करने दिया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, यदि बस्ती शुगर मिल इस प्रकार का हमको आश्वासन नहीं देते, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, और हमारे लेबर्स को लेने को तैयार नहीं होंगे, तो उनको स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

अध्यक्ष महोदय, यह दोनों शुगर मिलें मेरे क्षेत्र में हैं । अगर बस्ती शुगर मिल में वाल्टरगंज से 1200 मजदूरों को लेने को भी तैयार हो, तो भी उस मिल को यहां से हटाना नहीं चाहिये । इस पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न क्या है ?

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, 1200 मजदूरों के बच्चों के पढ़ने-लिखने की सुविधा कैसे होगी ? उसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये । साथ ही इन 1200 मजदूरों और अन्य लोगों की सुविधाओं और रहन-सहन की सुविधा के लिये विचार करना चाहिये । फिर जो वाल्टरगंज कस्बा उजड़ जायेगा, उससे जहां के लोगों के रहन-सहन की सुविधा के लिय क्या विचार करेंगे ? मान्यवर, मैं उस क्षेत्र की एम0 एल0 ए0 हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्ट प्रश्न करें । आप प्रश्न क्या कर रही हैं ?

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, मैंने जो बातें कही हैं, क्या माननीय मंत्री जी उनके बारे में विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य का आशय समझ गये होंगे । कृपया उसी के अनुसार जवाब दे दें ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न का जो आशय है, जो विचार है या जो सुझाव या प्रस्ताव है कि वहां के लोगों के परिवार के सदस्यों के लिखाई पढ़ाई के आदि के बारे में, क्या किया जायेगा, तो मान्यवर, जो सुविधायें वाल्टरगंज में इन लोगों को प्राप्त थीं, वह बदस्तूर रहेंगी।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो बस्ती शुगर मिल में विलीनीकरण का प्रस्ताव आया है, तो बस्ती मे शुगर मिल और वाल्टरगंज शुगर मिल की क्षमता अलग-अलग है, जब विलीनीकरण का प्रस्ताव आया तो क्या इसकी क्षमता को वाल्टरगंज की क्षमता के मुताबिक बनाने के लिये मिल मालिकों ने लिखा है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, विलीनीकरण के संबंध में जो प्रस्ताव है, अभी-अभी मंत्री जी ने बतलाया कि 1500 टन कैपेसिटी बस्ती शुगर मिल की है और लगभग 813 टन कैपेसिटी वाल्टरगंज शुगर मिल की है। 2500 टन के लिये वह चाह रहे हैं। तो कैपेसिटी पहले के मुकाबले कुछ बढ़ेगी घटेगी नहीं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि जितने श्रमिक हैं उनको सबको बस्ती चीनी मिल में काम करने की सुविधा दी जायगी। मुझे जानकारी मिली है कि नारंग कम्पनी ने लिखकर दिया है कि केवल स्थायी और सीजनल श्रमिकों के बारे में आश्वासन दिया गया है। लेकिन आज वाल्टर गंज चीनी मिल में 235 कैजुअल वर्कर्स हैं जिनमें बहुत से 15-20 साल से कार्य करते आ रहे है तो क्या उनके लिये भी आश्वासन है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, हम उनकी शर्तों के पाबंद नहीं हैं। हमारी शर्तें अगर उनको कबूल होंगी तभी यह स्वीकृति दी जायगी।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अजमाबाद के आग पीड़ितों को आर्थिक सहायता

*2--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, परगना निगोही के ग्राम अजमाबाद में माह मई, सन् 1980 में कितने घरों में आग लग गयी थी। क्या सरकार ने उपरोक्त परिवारों के लिये आर्थिक सहायता वितरित करा दी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त परिवारों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता वितरित करायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

जनपद शाहजहांपुर, परगना निगोही, तहसील तिलहर के ग्राम आजमाबाद में माह मई, 1980 में 20 घरों में आग लग गई थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रामपुर जिले में किसानों पर भूमि विकास बैंक, राजस्व तथा सहकारिता विभाग के देयों की वसूली का स्थगन

*3---श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिला एक पिछड़ा जिला है, तथा सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है उसके बाद भी भूमि विकास बैंक, राजस्व तथा सहकारिता विभाग के देयों की वसूली के लिए किसानों की भूमि नीलामी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब वसूली स्थगित करने की कृपा करेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

औद्योगिक दृष्टि से रामपुर जनपद एक पिछड़ा जिला है । जून, 1980 तक जिला रामपुर सूखाग्रस्त भी रहा है ।

गत वर्ष बाढ़ तथा सूखे के कारण भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देय, जो भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाते हैं, की वसूली स्थगित कर दी गई थी । यह वसूली अब भी स्थगित है ।

भूमि विकास बैंक की वर्तमान वर्ष की देय किश्तों 1-10-79 व 1-4-80 के विरुद्ध कोई नीलामी नहीं की गयी है । उन बकायादारों के विरुद्ध जो गत कई वर्षों से बकायेदार चले आ रहे हैं, उनसे भी अब वसूली स्थगित है ।

राजस्व देयों की वसूली के लिए नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी ।

सहकारिता विभाग के देयों की वसूली के सम्बन्ध में किसानों की कोई भूमि नीलाम नहीं की जा रही है ।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि 1-10-1979 और 1-4-1980 की वसूली के सम्बन्ध में जितने बकायेदार थे, 2 किस्तों को जोड़कर, उनकी भूमि की नीलामी की गयी है । बाद में जब यह प्रश्न किया गया है तब स्थगित की गयी है । भूमि नीलामी की जानकारी मन्त्री जी को नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, संभवतः माननीय सदस्य कुछ भ्रमवश ऐसा कह रहे हैं । 30 जून से पहले शासन का इस प्रकार का आदेश नहीं था कि नीलामी न की जाय । उसके पश्चात् जब से यह आदेश पहुंचा है कोई नीलामी नहीं की गयी है । अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बात बतायेंगे । तो उसकी छानबीन करा ली जायगी ।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मेरा कहना है कि 1979 और 1980 की वसूली रोक दी गयी है लेकिन बकाये को जोड़कर नीलामी की गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी कह तो रहे हैं कि 30 जून के पहले की गयी होगी ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, उनकी मंशा है कि 79-80 की जो देय धनराशि थी तो वह जब स्थगित थी तो उसको पिछले सालों में सम्मिलित कर नीलाम क्यों कर लिया गया, यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं । मैंने कहा यदि इस प्रकार से कानून की अवहेलना हमारे अधिकारी ने किया है तो उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य लिखकर स्पेसिफिक देंगे तो उसकी जाँच करा लेंगे ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि रामपुर क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया तो मंत्री जी वहां राजस्व और सारे बैंकों के देयों को समाप्त करने के आदेश जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, कृषि देय तो सभी स्थगित हैं । बैंक का जो कर्जा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं वह तो रिजर्व बैंक का है ।

श्री चेतराम गंगवार--

जब यह तय हो गया कि फसल 75 प्रतिशत नष्ट हो गयी तो बैंक के देयों को समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य मन्त्री रह चुके हैं तो वह जानते हैं कि नियमानुसार यदि नियमों में जो आता है तो हम उसको जरूर समाप्त करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, कल श्री रियासत हुसैन ने सदन में मन्त्री जी के समक्ष कहा था कि रामपुर, मुरादाबाद और बरेली सूखाग्रस्त हैं तो मंत्री जी ने कहा था कि इनको सूखाग्रस्त ही माना जायगा, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी क्या यह वसूली और नीलामी स्थगित रखी जायगी ?

श्री यशपाल सिंह--

भविष्य के बारे में तो मान्यवर, मुझे अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह एक जिले का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश का सवाल है और कभी सूखा और कभी बाढ़ जिससे जो लोन देते हैं और उससे जो उत्पादन होना चाहिये वह समाप्त हो जाता है तो क्या उस कर्जे पर, जो बकाये के रूप में है, लगे हुये ब्याज को माफ करके बकाये को वसूल करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, यह शासन अपने सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किसी भी किसान की हर दिक्कत को, जिसको वह जानते हैं, उसको, दूर करने की चेष्टा करता है ।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, जब रामपुर सूखाग्रस्त घोषित किया गया तो क्या वहां सूखाग्रस्त होने की सभी सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य, यदि सुविधायें नहीं दी गयी हैं इसकी सूचना लिखित दे देंगे तो जांच करा लेंगे ।

लक्ष्मी जी शुगर मिल महौली, जिला सीतापुर द्वारा गन्ना काश्तकारों के बकाये का भुगतान

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी जी शुगर मिल महौली, जिला सीतापुर द्वारा गन्ना काश्तकारों के बकाया धन के भुगतान हेतु जिले की गन्ना समितियों को किस तिथि तक का धन दिनांक 12 जून, 1980 तक दे दिया गया है तथा कितने दिन का भुगतान बकाया है और यह बकाया कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

लक्ष्मी जी शुगर मिल महौली, जिला सीतापुर ने पेराई सत्र 1979-80 में दिनांक 10-11-79 से 30-11-80 तक कार्य किया । इस सत्र में उक्त मिल द्वारा जिले की गन्ना समितियों द्वारा आपूर्ति गन्ने की कुल धनराशि का भुगतान दिनांक 12-6-80 तक किया जा चुका है । उक्त दिनांक को पूर्व वर्षों का 88·61 लाख रुपये गन्ना मूल्य का बकाया है जो चीनी मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मिल द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका । इसके भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

*5--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[22 बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित ।]

पशुधन विकास अधिकारी के पदों पर कथित अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों का शिकायती-पत्र

*6--श्री नन्द किशोर सिंह तथा हरिवंश सहा --

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 10 जून, 1980 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि वर्ष 1976 और 1977 में पशु चिकित्सा स्नातकों की नियुक्ति ज्येष्ठता एवं मेरिट के आधार पर न कर कम मेरिट वाले, बिना इन्टर्नशिप पूरा किये, अधिक आयु वाले, जूनियर एवं सेवारत, जो दूसरे प्रान्तों में सेवारत हैं, को अनियमित ढंग

से 48 पशुधन विकास अधिकारी को रख लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब कौन-सी कार्यवाही की गयी ? तथा क्या मंत्री जी 1976 से 1978 के पशु चिकित्सा स्नातकों की लिस्ट मेरिटवाइज सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि कौन-कौन से ऐसे पशुधन विकास अधिकारी हैं, जिनकी इन्टर्नशिप साक्षात्कार के समय तक पूरा न हो सकी थी और उनका चयन कर लिया गया है ।

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां । उक्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार होने के कारण उन पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी ।

वर्ष 1976 से 1978 तक उत्तीर्ण पशु चिकित्सा स्नातकों की कोई संकलित ज्येष्ठता सूची चयन प्रक्रिया में बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई । साक्षात्कार के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई गई है । इसकी एक प्रति संलग्न है ।

जिन अभ्यर्थियों ने इन्टर्नशिप नहीं की थी या पूरी नहीं की है और जिन्हें चयनित किया गया उनके नाम निम्नवत् हैं :--

(1) श्री सुबोध किशोर
(2) श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह
(3) श्री सतीश कुमार
(4) श्री दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी
(5) श्री आर० बी० राय
(6) श्री चन्द्रभूषण
(7) श्री राजेश कुमार भटनागर
(8) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल
(9) श्री रिषेन्द्र वर्मा
(10) श्री सत्येन्द्रपाल सिंह तोमर
(11) श्री चन्द्रेश वार्ष्णेय
(12) श्री शम्भूदयाल सिंह--
(14) श्री मदन मोहन सिंह

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 651 पर) ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो चयन समिति हुई है उसके पूर्व कभी इस विभाग में पशु चिकित्सा स्नातकों का चयन हुआ था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, पहले तदर्थ नियुक्तियां निदेशक ही कर दिया करते थे ।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय मंत्री जी की संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मथुरा, पंतनगर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त स्नातक जो आते हैं उनका अब तक क्या प्रक्रिया रही है कि मेरिट के अनुसार सेलेक्शन होता रहा है। पंतनगर विश्वविद्यालय के स्नातकों को छांटने के लिए थर्डक्लास और सप्लीमेन्ट्री के स्नातको को चयन समिति में लिया गया है और फर्स्ट क्लास के श्रणी वालों को छोड़ दिया गया है, क्या इस तरह की जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस तरह की कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच कराई जायगी। वैसे मैं माननीय सदस्य को सूचनार्थ बता देना चाहता हूं कि पहले वास्तव में चिकित्सकों का ग्रेड 450-850 तक था और यह ग्रेड बाद में बढ़कर 550-1200 कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि ये शासन के अन्तर्गत आ गये हैं। इसकी वजह से शासन ने यह उचित समझा कि चयन समिति बना दी जाय ताकि जो योग्यतम स्नातक हों उनका इसमें चयन कर लिया जाय।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का आश्वासन देंगे क्योंकि एक व्यक्ति का नाम जानता हूं जो इटर्नशिप किया हुआ है। वह 77 और 79 में इन्टरव्यू में आया था और उसका सेलेक्शन नहीं किया गया। अगर मंत्री जी को नाम दे दिया जाय, मैं देने के लिए तैयार हूं, तो क्या इसकी चांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्न समझ में नही आया...।

श्री ऊदल--

जिस प्रश्न का आपने उत्तर दिया उसके संदर्भ में। जितने इन्टर्नशिप वाले थे उनकी एक मेरिट सूची साक्षात्कार करके बनाई गई। साक्षात्कार में आये एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो इन्टर्नशिप किये हुए है और उसका नाम आपकी सूची में नही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन्टर्नशिप जो है वही अकेली क्वालीफिकेशन चयन समिति ने निर्धारित नहीं की थी। उसके साथ साथ जो एम0 बी0 एस0, पी0 एच0 डी0, हैं उन लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। मेरिट लिस्ट जो बनाई गई है योग्यता के आधार पर बनाई गई है केवल इन्टर्नशिप के आधार पर नहीं।

श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मथुरा, पंतनगर से जो छात्र निकले हैं, जिनका चुनाव हुआ है, उनमें पचास-पचास प्रतिशत स्नातक लिए गये हैं या मेरिट लिस्ट के आधार पर लिए गए हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इनमें लगभग इन दोनों विद्यालयों से ही सभी उम्मीदवार चयन किए गए हैं ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के बाहर के स्नातक जिनकी उम्र अधिक हो गयी थी उनकी भी पोस्टिंग की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जहां तक दूसरे प्रदेश के किसी व्यक्ति के चयन करने का सवाल है तो वास्तव में एक सोमपाल सिंह का चयन किया गया था और उन्होंने यह अन्डरटेकिंग दी थी कि वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और किसी दूसरे प्रदेश की सेवा में नहीं हैं लेकिन बाद में शिकायत यह पाई गई और जांच कराई गई तो जांच कराने के बाद पता लगा कि यह शख्स राजस्थान सरकार की सेवा में कार्य कर रहा था । शासन के निदेशक के यहां से मामला भेज दिया गया है कि उनका सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाय ।

श्री सूबेदार सिंह--

इस प्रकार के चयन में हमेशा गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं तो जो लोग सम्बन्धित हैं उनके मामले की क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के सिपुर्द करने की कृपा की जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह एडहाक नियुक्तियां थीं और पब्लिक सर्विस कमीशन को इनके बारे में लिख दिया गया है और पब्लिक सर्विस कमीशन शीघ्र ही एडवर्टाइज कराकर विधिवत् नियुक्तियां करायेगा ।

*7--श्री मित्रसेन--

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नवाबगंज, जिला बरेली में चीनी मिल स्थापित करने हेतु लाइसेन्स ।

*8--श्री चेतराम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि फरवरी, 1977 में प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने जिला बरेली के तहसील नवाबगंज के ग्राम हंसा में एक चीनी मिल की स्थापना हेतु भारत सरकार को निर्धारित आवेदन पत्र भेजकर स्वीकृति चाही थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या वर्तमान सरकार नवाबगंज में चीनी मिल लगाने हेतु लाइसेन्स दिए जाने या स्वीकृति हेतु केन्द्र की सरकार को पुनः लिखेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

भारत सरकार को लाइसेन्स के लिए पुनः आवेदन-पत्र 24-6-1980 को भेज दिया गया है ।

श्री चेतराम गंगवार--

26-8-80 को प्रदेश में चार स्थानों पर कोआपरेटिव सेक्टर में मिल लगाने हेतु भारत सरकार से लाइसेन्स लेने की संस्तुति की थी। तीन स्थानों पर लाइसेन्स प्राप्त हो गए हैं। नवाबगंज के हंसा गांव में मिल लगाने के लिए लाइसेन्स आज तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह लाइसेन्स शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। यह बात परिपक्व अवस्था में है।

मद्य निषेध के सम्बन्ध में शासन की नीति

*9--श्री राम आसरे वर्मा, श्री ऊबल, श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या आबकारी मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत शासन द्वारा अपनाई गई, मद्य निषेध के सम्बन्ध में वर्तमान शासन का रुख क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां। मद्य निषेध के सम्बन्ध में शासन का विधिक समानता, प्रशासनिक व्यावहारिकता और नियमानुसार कार्यवाही का रुख है।

श्री राम आसरे वर्मा--

अब तो खुल गई है, लेकिन जवाब में यह दिया गया है कि मद्य निषेध के सम्बन्ध में शासन का विधिक समानता, प्रशासनिक व्यावहारिकता और नियमानुसार कार्यवाही का रुख है तो उसे कृपा कर सदन को अवगत करा दिया जाय ?

श्री यशपाल सिंह--

यह खुल गई है, यह माननीय सदस्य ने स्वंय कहा फिर क्या समझाया जाय।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह जो खोल दी गई है तो इसके प्रचार में महिलाओं तथा छोटे-छोटे बालकों के हाथ में शराब की बोतलों को नहीं दिखाया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य के जमाने में हो सकता है। हमारे जमाने में नहीं हो सकता।

श्री ऊबल--

श्रीमन्, सरकार ने जो उत्तर दिया है, वह भ्रामक है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश में पहाड़ी 5 जिलों को छोड़कर मद्य निषेध खत्म कर दिया गया है और 3 सितम्बर, 1980 से ठेका देकर उनकी बिक्री शुरू कर दी गई है, क्या यह सत्य है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य सब कुछ जानते हैं । कल सारे दिन इसी पर बहस हुई । उसके बाद भी अब कोई प्रश्न रह गया, मैं यह नहीं समझता ।

*श्री ऊदल--

यह उत्तर सही नहीं है । अगर खोल दिया तो इनको कबूल करना चाहिए कि 5 जिलों को छोड़कर शेष सारे जिले में खतम कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि जब मद्य निषेध समाप्त किया गया तो क्या यह गांधी जी की नीतियों के अनुकूल है ?

श्री यशपाल सिंह--

सम्मानित सदस्य भ्रम कर रहे हैं मद्य निषेध खतम नहीं किया, मद्य निषेध चालू है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 5 पहाड़ी जिलों मे मेंड्रेक्स की जो नशे की टिकिया है, उसको खाते हैं, जिसको खाकर लोग मर भी जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन पहाड़ी पांच जिलों में भी शराब खोलने की कृपा करेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जिस चीज का नाम माननीय सदस्य ने लिया वह तो मेरी नालेज में नहीं हैं, उसे मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की कोई आवश्यकता किसी स्थान पर आई कि वहां पर प्रोहिबिशन को खतम कर दिया जाय तो निश्चित तौर पर प्रोहिबिशन खतम कर दिया जायेगा, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं आयी ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार टेहरी और उत्तरकाशी जिले के अन्दर वह इस नीति का त्याग करके परमिट सिस्टम लागू करने के बारे में सोच रही है ? दूसरा सवाल मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं टेहरी और उत्तरकाशी जिलों के अन्दर कुछ हिस्सों में जहां पुस्तैनी तौर पर लोग अपने घरों मे शराब बनाते थे जैसे जौनसार भाबर का इलाका है उनको इस तरह की छूट देगी ताकि वे अपने घरों में ही शराब बनाकर ताजा शराब पी सकें ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे मन्त्री झूम रहे हैं और नशे में हैं ।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्र को सिफारिश

10--श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री श्याम नारायन तिवारी, श्री भैखा लाल तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अन्य राज्य सरकारों की भांति क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने की कोई सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करने जा रही है ? यदि हां, तो वह सिफारिश क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस प्रदेश के गन्ना कृषकों को उचित एवं लाभप्रद गन्ना मूल्य दिलवाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य हर वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से देश के विभिन्न भागों की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुये निश्चित किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई सिफारिश केन्द्रीय सरकार को नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार द्वारा इस प्रदेश की विशेष परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये कृषकों को चीनी मिलों से जो गन्ना मूल्य दिया जाता है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम गन्ना मूल्य से प्रायः कहीं अधिक होता है आगामी पेरायी सत्र में उक्त मूल्य क्या होना चाहिये, यह विचाराधीन है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया कि पिछले कुछ वर्षों से किसानों को जो सरकार सिफारिश करती है उससे अच्छा मूल्य मिला। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1977 और 1978-79 में गन्ने के मूल्य की जो सिफारिश की गयी थी उससे नीचे मिला। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा मूल्य मिलता है उससे अच्छा मूल्य देने की सिफारिश करेगी जो कि उनको मिलना चाहिये ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में हमको तीन दृष्टिकोण अपनाने होते हैं। हमको किसान का हित भी दृष्टि में रखना होता है, कन्ज्यूमर्स का हित भी दृष्टि में रखना होता है और फैक्ट्री वालों का भी हित ध्यान में रखना होता है।

श्री ऊदल--

फैक्ट्री वालों का सर्वोपरि--

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य वाराणसी का तो स्पष्ट मत है। हमसे उनकी राय तो मिलती ही नहीं

(व्यवधान)

हमारी खुली बात को भी वह चोरी समझते हैं। मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है गन्ने की रिकवरी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस

करती हैं उसको आप एडवाइस प्राइस समझ लीजिये । फैक्ट्री ओनर्स से मिल कर तय करती है और उनसे कहती है कि आपको यह मूल्य देना होगा सदैव उत्तर प्रदेश सरकार जो न्यूनतम मूल्य होता है उससे ऊपर ही मूल्य दिलाती है । पिछले वर्षों में माननीय सदस्य सभी जानते हैं फैक्ट्री ओनर्स के इनकार करने के बावजूद भी सरकार ने प्रीमियम के तौर पर सबसिडाइज किया था कृषकों को शायद दो रुपया या कितना दिया था । किसानों का हित हर समय रहता है लेकिन साथ ही साथ कंज्युमर्स का भी हित दृष्टि में रखना होता है कि ऊंचे रेट न हो जायें तो यह गंभीर प्रश्न पर विचार कर रहे हैं शीघ्रता से जो सिफारिश होगी वह की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

कंज्यूमर्स का हित तो इतना है कि आज मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यहां दोनों कैन्टीनों में चाय नहीं मिली चीनी न मिलने की वजह से । तो क्या माननीय मन्त्री जी ने जो बरेली में स्टेटमेंट दिया उसको देखते हुए, जिसमें उन्होंने दो बातें स्पष्ट रूप से कही कि चीनी का प्रोडक्सन पिछले साल से डबुल होगा और फैक्ट्रीज 1 अक्तूबर से चालू करा दी जायेंगी, आज 5 सितम्बर हो गयी, गन्ने का मूल्य तय करने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है ताकि पहली अक्तूबर से पहले कीमत की घोषणा कर दी जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा था कि पहली अक्तूबर से चलाये जाने का विचार है । उसको दृष्टि में रखते हुए 4-6 दिन में सरकार अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को भेज देगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने अपने कर में छूट देने की घोषणा की है यदि मिल अक्तूबर और नवम्बर में चलें और सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मूल्य क्या हों, तो क्या एक सप्ताह में सरकार इनका मूल्य निश्चित करके बताएगी कि इनका न्यूनतम मूल्य कितना दिया जाये ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य से अधिक चिन्ता सरकार को है, इसमें घबड़ाने की जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जैसा उन्होंने अभी बताया कि मूल्य निर्धारण में तीन बातों का ध्यान रखा जाता है, और आज मार्केट में चीनी 12 रुपया किलो तक बिक रही है, तो क्या इसे दृष्टि में रखकर इसी प्रकार से हमारे किसानों को सरकार पैसा दिलाने की कृपा करेगी ? और चीनी मिलों पर किसानों का जो गन्ने का बकाया है, उसे मय ब्याज दिलाने की व्यवस्था करेगी, क्योंकि हमारे यहां महौली चीनी मिल पर डेढ़ लाख और हरगांव चीनी मिल पर 73 लाख रुपया किसानों का बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--

बकाया वाला आपका प्रश्न दूसरा है, पहले वाले प्रश्न का मन्त्री जी उत्तर दे दें ।

श्री यशपाल सिंह--

विचार अभी है और अभी हो जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बरेली में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 13 रुपया केन्द्रीय सरकार ने मूल्य तय कर दिया है, इसकी क्या इनको जानकारी है ? यदि नहीं है तो क्या सरकार अपना मंतव्य देने का कष्ट करेगी कि वह इस साल कितने मूल्य की सिफारिश करने जा रही है ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

मान्यवर, कृषि आयोग ने जो सिफारिश की है, वह बात कही गई थी और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मूल्य दिलाया जा सके । मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी ताकि किसान को अधिक मूल्य दिलाया जा सके ।

श्री छतर सिंह--

जो किसान मिल पर गन्ना डालते हैं, क्या उन्हें कुछ मात्रा में किसी परसेन्टेज में चीनी-मिल द्वारा चीनी दिलाने की क्या मन्त्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

जनपद खीरी में कृषकों द्वारा लिए गए सहकारी ऋण की वसूली भू-राजस्व के रूप में किए जाने में कथित अनियमितता

*11--श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में कृषकों द्वारा बैंकों से लिए गये ऋणों की वसूली भू-राजस्व के रूप में सम्बन्धित बैंकों द्वारा सर्टिफिकेट देने पर आजकल की जा रही है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बैंकों द्वारा वसूली करने के लिए गलत सर्टीफिकेट दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसको रोकने के सम्बन्ध में सरकार अविलम्ब कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

कृषकों द्वारा लिए गए सहकारी ऋण की वसूली भू-राजस्व के रूप में करने हेतु सर्टीफिकेट भूमि विकास बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक लि0, खीरी द्वारा आजकल नहीं जारी कराए जा रहे हैं । अतः गलत सर्टीफिकेट दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*12--श्री रूप राम दिनकर--

[3रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पंजाब शुगर मिल धुधली, गोरखपुर पर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

*13--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि रिसीवरशिप में चलने वाली पंजाब शुगर मिल धुधली (गोरखपुर) पर 30 जून, 1980 तक गन्ना किसानों के विभिन्न मद का कुल कितना रुपया बकाया एवं इसका कब तक भुगतान हो जायगा और गन्ना किसानों के भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

पंजाब शुगर मिल धुधली (गोरखपुर) पर 30 जून, 1980 तक गन्ना किसानों के विभिन्न मद का कुल 23.34 लाख रुपया बकाया है जिसमें गन्ना मूल्य 10.74 लाख रुपया तथा ब्याज 13.10 लाख रुपया है । चीनी मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उपरोक्त बकाया का भुगतान नहीं हो सका । अब शेष धनराशि के भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि कब तक भुगतान हो जायेगा ? प्रयास तो 10 वर्ष से चल रहा है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, 15 जुलाई, 1980 को गन्ना मूल्य अवशेष 10.57 लाख रुपया से घटाकर 7.56 लाख रुपया रह गया है । शासन द्वारा 18 अगस्त, 1980 को 7.00 लाख रुपये का ऋण बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए उक्त मिल को दे दिया गया है । पहले असल रुपया दिलाया जायेगा, फिर ब्याज दिलाया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी सूचना है कि जो रुपया गन्ने के मूल्य में जाता है उसका इस्तेमाल उसकी यूनियन, गन्ना समिति ने, दूसरी मद में कर लिया है, इसलिए गन्ने की बकाया रोकी गयी है । क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन फिर भी जब आप शिकायत करें, उसका हम परीक्षण करा लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यही मेरी शिकायत है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

आप लिख कर दे दीजिएगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी का यह उत्तर बड़ा ही शर्मनाक है । लिख कर देने का क्या अर्थ होता है । मेरा कहना यह है कि गन्ने का मूल्य जो यहां से मिला उसका दुरुपयोग वहां के संचालक मन्डल ने, अधिकारियों ने किया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

ज्ञानपुर पम्प कैनाल से जाने वाली नहरों के क्षेत्रों में पुनः चकबन्दी की मांग

14--श्री वृद्धि नारायण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल की स्वीकृति के बाद सरकार नें यह तय किया था कि ज्ञानपुर तहसील के जिन गांवों में नहर जायगी वहां पुनः चकबन्दी करायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे कराने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री यशपाल सिंह--

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी किये गये क्षेत्रों में दुबारा चकबन्दी दस वर्ष से पूर्व नहीं की जा सकती । सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के लिये सामूहिक कटौती द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के बारे में एक नया कानून बनाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद् से यह निर्णय कराया था कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल जो बनायी जा रही है उसमें चकबन्दी कराकर ही कैनाल ले जायी जायगी ?

श्री यशपाल सिंह--

पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि जहां पर कैनाल बने वहां पर फिर से चकबन्दी सामूहिक तौर से हो । इस पर अपनी रिकमेन्डेशन केन्द्रीय सरकार को की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार से उसकी स्वीकृति नहीं मिली और फिर केन्द्रीय सरकार ने इस शासन को लिखा है कि क्या इस सरकार का भी यही मत है ? तो उसके बारे में विचार हो रहा है ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पम्प कैनाल के अन्दर 2-3 गांव आते हैं जिनमें चकबन्दी का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उन गांवों में सार्वजनिक तौर पर भूमि छोड़ी जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

इसके लिये नया कानून लाना होगा । जब तक दूसरा कानून न बने भूमि छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बृद्धि नारायण सिंह--

ज्ञानपुर तहसील में 200 गांवों में चकबन्दी आज चल रही है तो इन गांवों में यह व्यवस्था हो सकती है कि वहां पर सार्वजनिक भूमि छोड़ दी जाय और उससे नहर निकाली जाय। तो क्या शासन इस प्रकार के आदेश जारी करेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

और अगर हम सभी गांवों के लोग यह चाहेंगे कि चकबन्दी उनकी अभी न करायी जाये तो स्थगित कर देंगे ।

श्री मित्र सेन--

क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन सभी जनपदों की तहसीलों में चकबन्दी फिर से करायेंगे जहां के लोगों ने उसके लिये मांग की है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

दुग्ध सहकारी समितियों में चुनाव

*15--श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री हर देव तथा श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सभी दुग्ध सहकारी समितियां (प्राइमरी सोसायटी से लेकर शीर्ष स्तर की समितियों तक) प्रशासकों के नेतृत्व में इस समय कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन समितियों में चुनाव करा कर सहकारी दुग्ध उत्पादकों को सौपने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक चुनाव हो जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

समितियों में निर्वाचन करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु तिथि 20 सितम्बर, 1980 तथा उक्त समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि 21 सितम्बर, 1980 प्रस्तावित है। उक्त चुनावों के पश्चात् दुग्ध सहकारी संघों तथा शीर्ष स्तर की दुग्ध समिति के चुनाव की कार्यवाही की जायेगी।

जिला सहकारी बैंक, बस्ती द्वारा 'अजय सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य' मुकदमे में किया गया कथित व्यय

*16--कु0 अलमेलू अम्माल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक, बस्ती में ता0 20 नवम्बर सन् 1979 से 29 फरवरी सन् 1980 तक कितना धन बैंक द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे 'अजय सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य' में (पेट्रोल, यात्रा-भत्ता, वकील की फीस आदि) किन-किन मदों में व्यय किया गया है और क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या यह सही है कि सहकारी बैंक, बस्ती उक्त मुकदमें में पार्टी नहीं थी ? यदि हां, तो बैंक का धन क्यों व्यय किया गया और किस अधिकारी की आज्ञा से ?

श्री राम नारायण पाठक--

प्रश्नगत याचिका की पैरवी में जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती द्वारा पेट्रोल, यात्रा-भत्ता, वकील की फीस आदि में कोई धन व्यय नहीं किया गया ।

जिला सहकारी बैंकों के मैनेजरों आदि को केन्द्रीयित सेवा में करने सम्बन्धी जनता शासन की कथित नीति

*17--श्री जीराज सिंह मौर्य (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंकों के मैनेजरों और कोषाध्यक्षों का स्थानान्तरण प्रदेश स्तर पर करने की जनता शासन की निर्धारित नीति को अमल में न लाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम नारायण पाठक--

जिला सहकारी बैंकों के मैनेजरों आदि को जिला सहकारी बैंकों की केन्द्रीयित सेवा में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई थी ।

प्रदेश के किसानों को जोत-बहियों के वितरण का स्थगन

*18--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त किसानों को उनके नाम जोत-बहियां बांट दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या सब जोत-बहियां वितरित करके उस पर सबके फोटो लगवाने के आदेश करेंगे ताकि फर्जी बयनामे (खेतों का हस्तान्तरण) न हो सके ?

श्री यशपाल सिंह--

प्रदेश के समस्त किसानों की जोतबहियां नहीं बांटी गयी हैं, क्योंकि 16-1-77 को शासन ने तय किया कि जोतबहियां वितरण की योजना को स्थगित रखा जाय । सभी जोतबहियों पर सभी कृषकों के फोटो लगवाने व बाटने का आदेश जारी करनें का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

लोग फर्जी बयनामे कराकर गरीबों की जमीन हड़प लेते हैं और उन गरीब छोटे काश्तकारों को कोई गवाही नहीं मिलती । उनके खेतों के गलत ट्रान्सफर हो जाते हैं । इस चीज को रोकने के लिये क्या मंत्री जी पुनः यह घोषणा करेंगे कि उन लोगों को जोतबही जारी की जायें । उनमें उनके फोटो भी लगें । यदि नहीं, तो इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

सम्मानित सदस्य का जो विचार है उसी आधार पर भूतपूर्व शासन ने यह निर्णय लिया था कि जोतबही सब को बांट दी जायें । इस सिलसिले में 1 करोड़ 22 लाख जोतबही छपी भी थीं । इनमें से 14 लाख 95 हजार तकसीम नहीं हो पायी थीं । उनको तकसीम कराने के आदेश कर दिये गये थे । लेकिन पिछली सरकार ने फिर यह निर्णय लिया 16-1-77 को इस तरह की जोतबही बटवाने से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जब से किसानों को विभिन्न स्रोतों से

लोन लेने की सुविधा प्राप्त हो गयी है, जो पहले नहीं थी, इन जोतबहियों का प्रयोग नकारात्मक हो गया और केवल यह इन्ट्री के रूप में रह गया, तो लिहाजा इन जोत बहियों को बनवाने का, तकसीम कराने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार की जानकारी में ऐसी बात है या प्रदेश स्तर पर सर्वे कराने पर सरकार तैयार है कि न्यायालयों में चल रहे फर्जी बयनामे की रिपोर्ट इस सदन में रखने की कृपा करेंगे अथवा जोत-बहियों के ऊपर उनका फोटो लगाया जाय ताकि रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किया जा सके ताकि फर्जी बैनामे न हो सकें ?

श्री यशपाल सिंह--

जोत-बही के बारे में तो यह उत्तर दिया कि यह सम्भव नहीं होगा और न किसानों का उसमें हित है, लेकिन अभिलेखों का इक्सट्रैक्ट बनवाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, अगर आप जोत-बही के नाम से घबड़ा रहे हैं, तो प्रदेश में किसी किस्म का फर्जी बैनामा न हो सके, इसके लिए कोई नई नीति निर्धारित करने के लिए तैयार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, किसान की सुविधा के लिए अभिलेखों का इक्सट्रैक्ट उसको दे दिया जायगा, उसको सुविधा हो जायगी ।

*19--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री चारू चन्द्र ओझा--

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को देय गन्ना मूल्य में असमानता

*20--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को पश्चिम क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों से गन्ना मूल्य कम दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और कितना ? क्या सरकार समान गन्ना मूल्य निर्धारित कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, भारत सरकार शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के अधीन प्रदेश की चीनी मिलों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करती है जो प्रत्येक चीनी मिल के चीनी परते के अनुसार अलग-अलग होता है परन्तु चीनी मिलें शासन द्वारा परामर्श दिये गये मूल्य (स्टेट ऐडवाइज्ड प्राइस) देती हैं जो पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा कम होता है । वर्ष 1979-80 में यह अन्तर 75 पै0 था । अन्तर रखने का कारण यह है कि औसतन पश्चिम एवं

मध्य क्षत्र की मिलों की अपेक्षाकृत पूर्व जोन की मिलों का चीनी परता कम तथा उत्पादन व्यय अधिक होता है ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पूरे प्रदेश की गन्ना मिलों पर, गन्ना किसानों के गन्नों का एक-सा मूल्य निर्धारित होगा और किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य मिलेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जरा सा फिर से स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, पूरे प्रदेश में गन्ना मूल्यों का एक-सा मूल्य निर्धारित करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपका प्रश्न है कि गन्ना मूल्य एक-सा रहे । पश्चिम में रिकवरी ज्यादा होती है, पूर्व में कम होती है, उसके हिसाब से एक-सा किया जाना तो सम्भव नहीं है ।

श्री भोखा लाल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे जैसा कि वह कह रहे हैं कि चीनी उत्पादन में पश्चिम के मुकाबले में पूर्व में लागत ज्याद लगती है, क्या आपने यह भी अनुमान लगाया है कि उत्पादन दोनों स्थानों पर एक-सा है ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य ने लगाया हुआ होगा, लेकिन मैं तमाम स्टेट में, तमाम राज्यों में एक-सा मूल्य हो, इसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह है कि यह केन्द्रीय सरकार का अधिकार है कि वह मिनिमम स्टेट व.इज शुगर प्राइस मुकर्रर करे । स्टेट गवर्नमेन्ट का यह कार्य नहीं है । स्टेट गवर्नमेन्ट यहां पर मूल्य निर्धारित करती है और जो डिफरेन्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के उस फैसले के मुताबिक रहा है, वह लगभग एक-सा ही मूल्य पूर्व और पश्चिम में रहा है और स्टेट गवर्नमेन्ट जो फैसला लेती है, वह करीब-करीब बराबर ही लेती है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, बस्ती की जो दो फैक्ट्रियां हैं, उनकी रिकवरी अन्य जिलों की मिल से ज्यादा आती हैं, तो मान्यवर (शोर)....

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की केन्द्रीय सरकार जो दाम गन्ने के तय करती है, तो क्या वह मिलों की रिकवरी के आधार पर तय करती है कि पूरब और पश्चिम में कितनी-कितनी रिकवरी हुई । यदि इसके आधार पर करता है तो बस्ती जिले की जो दो फैक्ट्रियां हैं, जिसकी रिकवरी काफी होती है । तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता कि क्या जो भार्गव कमीशन ने संस्तुति की थी, उसी के हिसाब से जिन मिलों की रिकवरी हुई है तो क्या उसी के अनुसार समर्थित मूल्य देंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य शायद भ्रम कर रहे हैं। रिकवरी के आधार पर ही पैसा दिलाया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ और अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे।

(व्यवधान)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अकबरपुर किसान सहकारी मिल फैजाबाद के रद्द किए गए लाइसेन्स को पुनः प्राप्त करने हेतु संस्तुति

**1--श्री सीताराम निषाद, श्री प्रियदर्शी जैतली, श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री जैराज गौतम, श्री कल्याण सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर किसान सहकारी चीनी मिल (जिला फैजाबाद), जिसका लाइसेन्स गत जनता सरकार में रद्द हो गया था, उसका लाइसेन्स उस क्षेत्र में गन्ना मिल की आवश्यकता को देखते हुए पुनः प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अकबरपुर (फैजाबाद) की प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के लाइसेन्स के लिए भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजने के लिए गन्ना आयुक्त तथा प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ को निर्देश दे दिए गए हैं तथा उनसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही शासन की संस्तुति के साथ भारत सरकार को भेज दिया जायेगा।

श्री सीताराम निषाद--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल का लाइसेन्स प्रथम बार कब प्राप्त हुआ और उसको निरस्त किए जाने के कारण क्या थे?

श्री भानु प्रताप सिंह--

1974 में इस मिल को लाइसेन्स दिया गया था, लेकिन जो अंश धन के बारे में कहा गया था, उसमें धन कम प्राप्त हुए हैं और कुछ अनियमिततायें भी हुई हैं, जिसकी वजह से 1978 में यह लाइसेन्स सरकार ने समाप्त कर दिया था और अब फिर लाइसेन्स प्रस्ताव पेश किया गया है। उसको यह सरकार ने 8-10 दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को भेजने का निर्णय ले लिया है।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इस लाइसेन्ज की प्रक्रिया कब पूरी करा दी जायेगी?

श्री भानु प्रताप सिंह--

शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर दी जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी अंश पूंजी उक्त मिल में शेयर के रूप में इकट्ठा हुई थी और अब कितनी अंश पूंजी बची हुई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मेरी बात को सही मानते हुये उक्त मिल के सम्बन्ध में जो अंश पूंजी इकट्ठा हुई है, उसमें काफी गड़बड़ी हुई है और उसमें गबन भी हुआ है, जिसमें एक कर्मचारी मुअत्तल भी हुए हैं, लेकिन मान्यवर, जिस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए थी संतोषजनक उस तरह से नहीं हुई है । तो क्या मन्त्री जी मेरी बात को सत्य मानते हुए पूरी जांच की मांग कराने की आश्वासन देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह --

मान्यवर, यह बात सही है कि एक सचिव अंश धन के गबन में लिप्त हैं और रिकार्ड्स उनकी आलमारी में बन्द है । मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि शीघ्र ही मैजिस्ट्रेट के समक्ष इन रिकार्ड्स को प्राप्त कर लिया जायेगा और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सीताराम निषाद--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल का प्रोपराइटर कौन है और इन्डेन्ट लेटर प्रथम बार किस नाम से जारी हुआ था ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी उपलब्ध करूंगा ?

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल कार्यालय में कैशियर-कम-एकाउन्टेन्ट के पद पर एक ही व्यक्ति प्रारम्भ से काय करता आ रहा है जबकि फाइनेंन्शियल हैन्ड-बुक में एकाउन्टेन्ट-कम-कैशियर का कोई पद नहीं है और इसके बारे में बराबर शिकायत हुई तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य से इस विषय पर परामर्श कर लिया जायेगा और जो आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायेगी ।

पावर एल्कोहल बनाने हेतु एल्कोहल मिलों का आधुनिकीकरण

**2--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देश में पेट्रोल की कमी और पावर एल्कोहल की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए क्या सरकार प्रदेश के एल्कोहल मिलों को पावर एल्कोहल बनाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

वह भारत सरकार के निर्णय का मामला है। पावर एल्कोहल के उत्पादन के लिए इकाईयों की स्थापना और स्थापित इकाईयों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध म इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट जो भारत सरकार का ऐक्ट है, के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में स्थापित एल्कोहल पर आधारित इकाईयों की इकाईयों के स्वामियों द्वारा आधुनिकीकरण किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि उनके प्रदेश में पावर एल्कोहल बनाने की ज्यादा सम्भावनायें हैं क्योंकि प्रदेश में देश की 40 प्रतिशत चीनी पैदा होती है इन एल्कोहल मिलों को पावर एल्कोहल बनाने तथा उनका नवीनीकरण करने हेतु दिल्ली सरकार को लिखेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

मेरी समझ में नहीं आया कि प्रान्तीय सरकार को आवश्यकता क्या है लिखने की लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो उसके बारे में लिखा जाएगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरा कहना है कि प्रान्तीय सरकार सो रही है इतना बड़ा गन्ने का व्यापार है अगर पावर एल्कोहल से ज्यादा पैसा मिलने लगे तो चीनी सस्ते मिलेगी चीनी सस्ती होगी में इसी वजह से कहता हूं कि यह सरकार सो रही है इस प्रदेश में पावर एल्कोहल बनाकर पेट्रोल की कमी को दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ चीनी सस्ती होगी और किसानों को गन्ने का ज्यादा मूल्य मिलेगा। तो क्या माननीय मन्त्री जी पावर एल्कोहल बनाने की फैक्ट्रियां लगायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

प्रश्न तो दूसरा है लेकिन माननीय सदस्य का जो ख्याल है कि प्रान्तीय सरकार सुसुप्ता अवस्था में है वह स्वयं स्वप्न देख रहे हैं। सरकार बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है कि पावर एल्कोहल की फैक्ट्री लगाई जाय।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम बहुत जागरुक है और सवाल के उत्तर में कह दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे है दिल्ली सरकार देखे यह फैक्ट्रियां देखें। मान्यवर, मेरा निश्चित सवाल है कि माननीय मन्त्री जी उसकी रूप रेखा रखें कि वापसर एल्कोहल बनाने वाले फैक्ट्रियों को बुस्टअप करने के लिए इनको आप अपने क्षेत्र में लेने की कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

मेरा कथन सत्य है कि माननीय सदस्य स्वप्न में है। माननीय सदस्य जरा अपने प्रश्न को देखें--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देश में पेट्रोल की कमी और पावर एल्कोहल की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए क्या सरकार प्रदेश के एल्कोहल

मिलों को पावर एल्कोहल बनाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? यह पावर एल्कोहल व्यक्तिगत स्वामी की बात है वह प्रयास कर रहे है सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सम्पर्क करके इजाजत लेंगे । जब प्रान्तीय सरकार के सामने प्रश्न आयेगा तो वह देखेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वामी के अधीन है क्या माननीय मन्त्री जी इस पावर एल्कोहल को बनाने के लिए कोई कारपोरेशन आदि बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ? मन्त्री जी ने कहा कि एकदम कदम नहीं उठाये जा रहे है ।

श्री यशपाल सिंह—

मेरा कहना है कि कदम उठाए जा रहे हैं माननीय सदस्य कह रहे है कि कदम नहीं उठाए जा रहे है इसका मैं क्या उत्तर दूं ।

श्री अध्यक्ष —

आप कदम उठा रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निश्चित आरोप है मन्त्री जी पर, कि इन्होंने पावर एल्कोहल बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है । मान्यवर, जहां 4 सौ टन पैदा होता है वहां हमारे यहां ढाई सौ टन पैदा होता है । मान्यवर, इससे सारे सूबे की बरबादी है और सरकार कह रही है कि यह दिल्ली सरकार की बात है । मान्यवर, मुझे मन्त्री जी निश्चित बतायें ?

श्री यशपाल सिंह—

माननीय सदस्य मान्यवर, जिस रूप में प्रश्न कर रहे है उस रूप में मुझे मजबूर न करें कि मैं उस रूप में उत्तर दूं । मान्यवर, पुरानी सरकार ने न केवल एल्कोहल बनाने वालों का बल्कि मूल कृषकों की भी कमर तोड़ कर रख दी थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मुझे सुन लें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठ जायं आपने जो व्यवस्था का प्रश्न भेजा है उसमें स्पष्ट नहीं है कि कहां है, क्या है ? किस अखबार में छपा है ? जब स्पष्ट हो जाएगा तो देखूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

सुन क्या लें जब देख लिया ? जब स्पष्ट होगा तो देखूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, व्यवस्था दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था यही है कि आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 का जिला सहकारी संघों पर बकाया

1--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ का बकाया किस-किस जिला संघों के ऊपर है ? क्या बकाया धनराशि की पुष्टि सम्बन्धित संघों ने कर दिया है ?

श्री राम नारायण पाठक--

यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के निम्नलिखित 43 जिला सहकारी संघ बकाएदार हैं :--

इलाहाबाद, फतेहपुर, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, झांसी, बांदा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर, हरदोई, आजमगढ़, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, आगरा, बस्ती, मैनपुरी, इटावा, जालौन, वाराणसी बहराइच, लखनऊ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मथुरा, फर्रुखाबाद, मेरठ तथा गोण्डा । उक्त संघों में से किसी भी संघ ने बकाए की पुष्टि नहीं की थी, परन्तु 28 संघों पर फेडरेशन ने पंच निर्णय द्वारा डिग्री प्राप्त कर ली है जिसमें से 2 संघों ने डिग्री के विरुद्ध अपील की है । शेष 15 मामलों में अभी अभिनिर्णय नहीं हुआ है ।

सूखे की स्थिति अनुसार प्रदेश के जनपदों का श्रेणीवार विभाजन

2--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश के जनपदों को कटेगरीज में विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो देश के किन-किन जनपदों में कौन-कौन सी वसूलियां माफ की गयी हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

शासन के विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम महावन खोर में सीलिंग की 50 एकड़ भूमि फर्जी संस्था शंकर एग्रो रिसर्च केन्द्र के नाम दिखाकर हड़पने का प्रयास तथा तत्सम्बन्धी जांच

3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के कानूनगो सर्किल धुधली के गांव महावन खोर उर्फ बड़हरा में सीलिंग का करीब 50 एकड़ भूमि को

एक फर्जी संस्था शंकर एग्रो रिसर्च केन्द्र के नाम दिखाकर हड़पने का प्रयास भूमि के मालिक, जो चीनी मिल कप्तानगंज (देवरिया) के भी मालिक है, ने किया है, जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने गत वर्ष कई बार पत्र लिख कर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-9-78, 19-11-78 तथा दिनांक 7-2-80 प्राप्त होने पर मामले की जांच कराई गई । सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों के अधीन शंकर शुगर मिल की 49.44 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी खातेदार ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका प्रस्तुत किया जो अपीलीय न्यायालय को दिनांक 19-3-79 को प्रतिप्रेषित (रिमांड) कर दी गई तथा मामला एडीशनल डिस्ट्रिक्ट तथा सेसन जज के न्यायालय में बहस के लिए दिनांक 2-9-80 नियत है । जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा कराई गई जांच के अनुसार राजस्व अभिलेखों में शंकर एग्रो रिसर्च केन्द्र के नाम प्रश्नगत भूमि की कोई प्रविष्टि नहीं है ।

जनपद सीतापुर की हरगांव तथा महोली चीनी मिलों पर किसानों के बकाये का तथा शासन द्वारा दी गयी सब्सिडी का भुगतान

4--श्री हरिगोविन्द वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो सीतापुर जिले में हरगांव बिसवां, महोली मिल पर किसानों का कितना रुपया बकाया है उसको कब तक किसानों को दिलाया जायेगा ? तथा सब्सिडी गन्ने पर जो सरकार को देनी थी वह दे दी गयी थी और जो पैसा मिल-मालिकों को देना था अभी नहीं दिया है ? कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

जनपद सीतापुर की हरगांव तथा महोली चीनी मिलों पर किसानों का कुल 123.71 लाख रुपया बकाया है जिसमें हरगांव मिल का 14.26 लाख रुपया तथा महोली मिल का 109.45 लाख रुपया है । बिसवां मिल पर कोई धनराशि गन्ना मूल्य की अवशेष नहीं है । इस बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रयास जारी है ।

शासन द्वारा सब्सिडी का आवंटन कर दिया गया है जिसका भुगतान गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना किसानों को किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में आन्तरिक सम्परीक्षक पद के साक्षात्कार के नतीजे की घोषणा

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा 23 अगस्त, 1979 को आन्तरिक सम्परीक्षक (इंटरनल आडीटर) पद के लिए साक्षात्कार का नतीजा कब घोषित किया गया है ? यदि नहीं घोषित किया गया है, तो कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री राम नारायण पाठक--

आन्तरिक सम्परीक्षक के पद के लिए हुये साक्षात्कार के आधार पर गोपनीय मेरिट लिस्ट बना ली गई है ताकि उसका उपयोग यथा समय नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए किया जा सके ।

रेंज आफिसर सम्पूर्णानगर श्री कृष्णा नन्द जोशी के विरुद्ध चोरी के आरोप की जांच

6--श्री हरिवंश सहाय--

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि संस्थापक एवं महा सचेतक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र, दिनांक 4-6-80 संलग्नक सहित शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें 41 पेड़ राजस्व विभाग खीरी लखीमपुर के लेखों एवं नक्शे में काश्तकारों के दर्ज हैं, जिसकी जांच कानूनगो सर्किल पलिया, परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला खीरी लखीमपुर ने करके अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20-9-79 तहसीलदार एवं एस० डी० एम०, लखीमपुर को भेजी है, परन्तु रेंज आफिसर सम्पूर्णानगर (श्री कृष्णा नन्द जोशी) ने उक्त पेड़ों की परमिट संख्या 74, 75, 76, दिनांक 18-10-78 प्रार्थी को प्राप्त कराकर कटी लकड़ी के लट्ठो को निकासी से रोका और 3 ट्रक निकासी आदेश पर दी । ट्रक निकासी ही करने दिया तथा एक ट्रक लकड़ी (370) 4 बैलगाड़ियों द्वारा चोरी से दिनांक 1-4-79 को निकासी कराया जिसकी पुलिस द्वारा जांच जिलाधिकारी, लखीमपुर के आदेश पर की गयी और चोरी सही पायी गयी ? यदि हां, तो रेंज आफिसर सम्पूर्णानगर (कृष्णानन्द जोशी) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वन मंत्री (श्री विद्या भुषण)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गोंडा तथा तहसील के मुख्यालय उतरौला के बीच टेलीफोन सुविधा की मांग

7--श्री मसरूर जाफरी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुख्यालय गोंडा तथा तहसील के मुख्यालय उतरौला के बीच टेलीफोन सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उपर्युक्त स्थानों के बीच टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक यह सुविधा उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ?

श्री यशपाल सिंह--

जिला मुख्यालय गोंडा तथा तहसील मुख्यालय उतरौला के बीच इस समय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है । तहसीलों में टेलीफोन लगाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है । समस्त निर्धारित औपचारिकतायें पूरी करने के बाद यह सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा ।

9-10--श्री रूपराम बिनकर--

[ले गुरुवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 17-18 द्वारा उत्तरित ।]

तहसील उतरौला, जनपद गोंडा तथा तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के मध्य राप्ती नदी के दोनों तरफ स्थित अनेकों ग्रामों में उत्पन्न सीमा-विवाद

10--श्री मसरूर जाफरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील उतरौला, जनपद गोंडा तथा तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के बीच में राप्ती नदी के दोनों तरफ स्थित अनेकों ग्रामों के बीच सीमा विवाद है ? यदि हां, तो सीमा विवाद के समाधान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? तथा कितनी अवधि में विवाद समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

सीमा विवाद का समाधान भू-मापन एवं अभिलेख क्रियाओं अथवा चकबन्दी द्वारा कराये जाने का प्रश्न विचाराधीन है । यह विवाद उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर हल हो जाने की सम्भावना है ।

ग्राम टेढ़वा, तहसील महाराजगंज (गोरखपुर) की ग्राम सभा की भूमि का अनियमित रूप से पट्टे करने के आरोप में मुअत्तल लेखपाल की पदोन्नति

11--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायत पर वर्ष 1974-75 में ग्राम टेढ़वा, तहसील महराजगंज (गोरखपुर) के ग्राम सभा के करीब एक सौ एकड़ भूमि का अनियमित ढंग से पट्टा देने का तथ्य प्रकाश में आया, जिसके कारण गांव प्रधान एवं सम्बन्धित लेखपाल मुअत्तल किए गए एवं पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि लेखपाल को बहाल कर पदोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो किस परिस्थिति में ?

श्री यशपाल सिंह--

यह सही है कि प्रश्न में उल्लिखित शिकायत पर ग्राम सभा टेढ़वा तहसील महराजगंज की 77.73 एकड़ भूमि का पट्टा 90 व्यक्तियों को अनियमित ढंग से करने के आरोप पर श्री श्याम सुन्दर लाल लेखपाल को 20-8-76 को निलम्बित किया गया, किन्तु विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप उक्त लेखपाल को वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर व निलम्बन काल का वेतन न देकर तथा सत्यनिष्ठा न प्रमाणित करके 10-3-77 को सेवा में बहाल कर दिया गया ।

शासकीय कार्य के हित में श्री श्याम सुन्दर, लेखपाल को वरिष्ठता के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 6-3-80 से सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर प्रोन्नत करने की संस्तुति की गई किन्तु जिलाधिकारी की स्वीकृति इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई । श्री श्याम सुन्दर लाल इस समय अपने मूल पद पर कार्यरत हैं ।

पशु चिकित्सालय, रहीमाबाद के कम्पाउन्डर के स्थानान्तरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र

12--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1979 को किन्हीं दो भूतपूर्व विधायकों ने पशु चिकित्सालय, रहीमाबाद के कम्पाउन्डर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई पत्र जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ को भेजा था ? यदि हां, तो पत्र क्या था और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, पत्रों में पशु चिकित्सालय रहीमाबाद, लखनऊ के कम्पाउन्डर श्री अद्या प्रसाद शुक्ल के अन्यत्र स्थानान्तरण की संस्तुति की गई थी ।

श्री शुक्ल का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

बांदा सहकारी बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा चपरासियों के चयन प्रक्रिया को स्थगित करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र

13--श्री शिव नरेश श्री शिव प्रताप सिंह तथा श्री शिरोमणि--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 जुलाई, 1980 को बुन्देलखंड के कुछ विधायक द्वारा बांदा सहकारी बैंक में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्ट कार्यवाहियों के विरुद्ध शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए बैंक में 4 जुलाई, 1980 एवं 5 जुलाई, 1980 को होने वाले चपरासियों के चयन प्रक्रिया को स्थगित करने एवं जांच सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नारायण पाठक--

जी हां । इसकी जांच कराई जा रही है ।

सूखा, अनावृष्टि और ओलावृष्टि केक्षेत्रों में सहकारी बैंकों के ऋण की वसूली को स्थगित किया जाना

14--श्री विजय सिंह राना--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखा, अनावृष्टि और ओलावृष्टि के क्षेत्र में सहकारी बैंकों की ऋण वसूली स्थगित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

जी हां ।

इस वर्ष प्रदेश में सूखे एवं अनावृष्टि के कारण जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां के कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्य कालीन ऋण में परिवर्तित किये जाने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है । फलतः उन्हें अपने ऋणों के अदायगी हेतु 3 वर्ष का और समय मिल गया है ।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों के कृषकों को भूमि विकास बैंक से लिए गए ऋण की चालू किस्त को जो 30 जून, 1980 तक अदा नहीं कर सके, एक वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्थगित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में चिलिंग प्लान्ट और डेरियों के सम्बन्ध में जानकारी

15—श्री मुख्तार अनीस--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में चिलिंग प्लान्ट और दुग्ध डेरी की संख्या कितनी है ? वह किन-किन जिलों में है और इनकी क्या क्षमता है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में चिलिंग प्लान्ट तथा दुग्ध डेरी की संख्या क्रमशः 10 व 14 है। इनके स्थान/जिला व क्षमता निम्न प्रकार है :

क्रम सं0	स्थान/जिला	क्षमता लीटर में प्रतिदिन
1	2	3
चिलिंग-प्लान्ट--		
1	प्रतापगढ़	4,000
2	आजमगढ़	4,000
3	सीतापुर	4,000
4	रायबरेली	4,000
5	बांगरमऊ (उन्नाव)	4,000
6	बिजनौर	4,000
7	जौनपुर	4,000
8	शाहजहांपुर	4,000
9	कोटद्वार (पौड़ी)	2,000
10	पिथौरागढ़	2,000

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3
	दुग्ध डेरी--	
1	[illegible]रीय दुग्धशाला, आगरा	10,000
2	मथुरा	10,000
3	देहरादून	10,000
4	गोरखपुर	10,000
5	बरेली	10,000
6	अल्मोड़ा	5,000
7	इलाहाबाद	5,000
8	फैजाबाद	20,000
9	लखनऊ	40,000
10	कानपुर	50,000
11	मेरठ	1,00,000
12	वाराणसी	1,00,000
13	दलपतपुर (मुरादाबाद)	75,000
14	लालकुंआ (नैनीताल)	20,000

टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों में आंधी से धराशायी चीड़ के वृक्षों की संख्या तथा उनमें लीसा टिपान हेतु बनी नालियों वाले वृक्षों की संख्या

16-श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 जून, 1980 से एक जुलाई, 1980 तक टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों में आंधी के कारण कुल कितने चीड़ के वृक्ष धराशायी हुए तथा इनमें से ऐसे वृक्षों की संख्या कितनी है जिन पर विगत दस वर्षों के अन्दर लीसा टिपान हेतु नालियां (चैनल) बनाई गयी थी ?

श्री विद्या भूषण--

टिहरी जनपद में 13 जून के अपराह्न से 1 जुलाई, 1980 तक आंधी के कारण कुल 1239 चीड़ वृक्ष उखड़े हैं। इन वृक्षों में से 1012 ऐसे वृक्ष थे जिन

पर विगत दस वर्षों में लीसा टिपान हेतु नालियां (चैनल) बनाई गयी थी। उक्त अवधि में उत्तरकाशी जनपद में आंधी के कारण कोई चीड़ के वृक्ष नहीं गिरे।

जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वेतन का भुगतान

17—श्री कैलाश प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बस्ती में सहकारी संस्थागत सेवा मन्डल द्वारा वर्ग 3(क) के कर्मचारियों को बिना जमानत जमा कराए तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण कराए बिना जिस दिन से कार्यभार ग्रहण कराया गया उस तिथि से लगभग दो माह पहले से ही वेतन दे दिया गया ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर दंडित करेगी ?

श्री राम नारायण पाठक—

जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मन्डल से चयनित अभ्यर्थियों को उनके योगदान करने की तिथि से ही वेतन भुगतान किया गया है। योगदान के पूर्व की अवधि का किसी भी प्रकार का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों के योगदान के समय बैंक में चल रही विशेष गतिविधियों के कारण ही जमानत एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराना सम्भव न हो सका था जो बाद में पूर्ण करा ली गयी।

कानूनगो प्रशिक्षण हेतु भूमि अध्याप्ति अमीनों का निर्धारित कोटा की पूर्ति

18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979—80 के लिए कानूनगो प्रशिक्षण हेतु भूमि अध्याप्ति अमीनों का निर्धारण कोटा भर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री यशपाल सिंह—

कानूनगो प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जिलों से भूमि अध्याप्ति अमीनों के नामांकन त्रुटिपूर्ण तथा विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वर्ष 1979—80 के लिए उनका निर्धारित कोटा भरा नहीं जा सका। अब 1—11—1980 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में उनका निर्धारित कोटा पूरा किया जायेगा।

किसान सहकारी गन्ना मिल, तिलहर (शाहजहांपुर) को चालू कराने की मांग

19—श्री जगदीप सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी गन्ना मिल, तिलहर (शाहजहांपुर) इस वर्ष चालू हो जायगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो देरी का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां, दिसम्बर, 1980 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

जनपद आजमगढ़ के निवासियों द्वारा चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतें

20--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़, मौजा जमीन हरखोरी तथा कुमनार परगना व तहसील सगड़ी के ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 से लगातार चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को एवं मा० राजस्व मन्त्री को चकबन्दी सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र की मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हाँ, मुख्य शिकायतों तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख आगे 653 पृष्ठ पर) ।

पशपालन विभाग के लेखाकारों का वेतन-निर्धारण

21--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग में ऐसे कितने लेखाकार हैं जिनका वेतन निर्धारण सन् 1972 के नये वेतन में 1972 से 8 जून, 1980 तक नहीं हो पाया ? उक्त वेतनमान निर्धारण न होने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पशुपालन विभाग में कार्यरत ऐसा कोई लेखाकार नहीं है जिसका वेतन 12 के नये वेतनमान में निर्धारित नहीं हो पाया है ।

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम मजीसा के मजरा आसमान पट्टी में चकबन्दी विभाग द्वारा हरिजन आबादी के लिये छोड़ी गई भूमि का आवंटन

22--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम मजीसा के मजरा असमांन पट्टी में चकबन्दी विभाग द्वारा हरिजन आबादी के लिए भूमि छोड़ी गयी थी, यदि हां तो क्या इसका आवंटन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम मजीसा न कि ग्राम अजीसा के मजरा आसमान पट्टी में चकबन्दी विभाग द्वारा हरिजन आबादी हेतु भूमि आरक्षित की गई थी । किन्तु इस भूमि का आवंटन अभी नहीं किया जा सका है क्योंकि हरिजनों के दो समूह-नटों और चमारों के बीच आपसी तनाव पैदा हो जाने एवं चकबन्दी के कुछ विवाद विचाराधीन रहने के कारण भूमि प्रबन्धक समिति ने अपने दिनांक 16-10-1975 के प्रस्ताव में यह निर्णय लिया कि धारा 52 की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद ही मजरा आसमान पट्टी में पट्टा किया जायेगा ।

कार्यालय, मुख्य अरण्यपाल, लखनऊ के राजपत्रित अधिकारियों को स्वीकृत कार/स्कूटर एडवांस तथा उसके उपयोग प्रमाण-पत्र

23--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालय के कितने राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि कार, स्कूटर एडवान्स के रूप में स्वीकृत की गई ?

श्री विद्या भूषण--

वर्ष 1976-77 में एक तथा वर्ष 1977-78 में दो राजपत्रित अधिकारियों को क्रमशः 6600 रु0 एवं 10,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

24--दिवाकर विक्रम सिंह--

उक्त अधिकारियों में से कितनों ने उक्त अवधि के अन्तर्गत कार, स्कूटर क्रय करके नियमानुसार उसकी रसीदें तथा क्रय करने की सूचना सरकार को दी तथा क्रय की गयी कार, स्कूटर को नियमानुसार सरकार को मार्गेज किया ?

श्री विद्या भूषण--

उक्त समस्त अधिकारियों ने कार, स्कूटर क्रय करने की सूचना मुख्य अरण्यपाल को दे दी है तथा पूरा धन का उपयोग कर लिया है एवं मार्गेज बांड दे दिये हैं ।

25--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जिन अधिकारियों ने उक्त मद के अन्तर्गत ली गयी धनराशि से दिनांक 10 जुलाई, 1980 तक कार, स्कूटर नहीं क्रय किए और न ही उक्त धनराशि सरकार को वापस की, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विद्या भूषण--

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अरण्यपाल वन विभाग, लखनऊ स्थिति कार्यालय में वर्ष 1979-80 में सेवा से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को री-इम्प्लायमेन्ट

26--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अरण्यपाल वन विभाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में कितने कर्मचारियों को, जोकि वर्ष 1979-80 में सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके थे, को अब तक री-इम्प्लाइड किया गया और उन्हें री-इम्प्लायमेंट दिए जाने के क्या विशेष कारण थे और क्या उस सम्बन्ध में सरकार की कोई स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो उन्हें किस नियम के अन्तर्गत शासन की बिना स्वीकृति के नियुक्त किया गया ? क्या सरकार उक्त अनियमित नियुक्तियों पर रखे गये कर्मचारियों को तुरन्त सेवामुक्त करेगी और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री विद्या भूषण--

मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में वर्ष 1979-80 में सेवा से अवकाश प्राप्त किसी कर्मचारी को रि-इम्पलाइड नहीं किया गया है। अतः शासन से स्वीकृति लेने तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल एवं निदेशक सामाजिक वानिकी के लखनऊ स्थित कार्यालय में सेवा निवृत्त चार कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक पर रखा गया है, जिन्हें कार्यमुक्त करने हेतु शासन से आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

गांव सभा वादीपुर, परगना हवेली, तहसील व जिला जौनपुर की गांव सभा आराजी नं0 70/34 डिस्मिल पर किये गये अवैधानिक पट्टे

27--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गांव सभा कादीपुर, परगना हवेली, तहसील व जिला जौनपुर की गांव सभा अराजी नं0 70/34 डिस्मिल पर किये गये पट्टे व कब्जे दिसम्बर, सन् 1975 से अवैधानिक हैं ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है।

श्री यशपाल सिंह--

जी हां। ग्राम सभा कादीपुर, परगना हवेली, तहसील व जिला जौनपुर की गांव सभा आराजी नं0 70 (क्षेत्रफल 34 डिस्मिल) पर किये गये पट्टे व कब्जे अवैधानिक हैं। चकबन्दी क्रियाओं में यह भूमि उद्योग लगाने हेतु सुरक्षित की गई थी परन्तु इस पर उद्योग विभाग ने कोई कार्य नहीं किया और न इस समय ही उन्हें इसकी आवश्यकता है। जिन तीन व्यक्तियों ने प्रश्नगत भूमि पर मकान बनाये हैं वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और आवंटन के पात्र हैं। अतः उनके द्वारा बनाये गये मकानों को अब गिराना उचित प्रतीत नहीं होता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-सी की उपधारा (1) (डी) के प्राविधानों के अनुसार परगनाधिकारी द्वारा चकबन्दी क्रियाओं में किसी अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि को हरिजन आबादी हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसी गाटे में से 8 डेसमिल भूमि का सीरदारी पट्टा वर्ष 1975 में श्री सुखराम के नाम से किया था जो अनियमित है। इसे निरस्त करने हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 (4) में कार्यवाही की जा रही है जो कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है। अनियमित आवंटन के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है।

28--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[4थें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

29--श्री जीराज सिंह मौर्य--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला देवरिया के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी, भटनी द्वारा 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 तक किये गये फसले एवं पेंडिग मुकदमें

30--श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर, श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी, भटनी ने दिनांक 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 तक कितने

मुकदमों का फैसला किया तथा अब तक उनके न्यायालय में कितने मुकदमें पेन्डिंग में हैं ? मुकदमों के निपटारे हेतु कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जिला देवरिया के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी, भटनी ने प्रश्नगत अवधि में कुल 4,932 मुकदमों का फैसला दिया और दिनांक 1-7-1980 को उनके न्यायालय में 301 वाद निस्तारण के लिये अवशेष थे । चूंकि उपरोक्त अधिकारी ने मुकदमों का निस्तारण निर्धारित मापदन्ड के अनुसार किया और अवशेष भी अधिक नहीं हैं । अतएव वादों के निपटारे हेतु किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

31--श्री लल्लू सिंह चौहान--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

32--श्री गोवर्द्धन तिवारी--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम समाज बसतौली, तहसील सदर, लखनऊ में 20 वर्ष पूर्व भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा मकान बनाने के लिए किये गये पट्टे

33--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज बसतौली, तहसील सदर, लखनऊ में 20 वर्ष पूर्व भूमि प्रबन्धक समिति ने मकान बनाने के लिए कितने पट्टे दिये थे ? क्या पट्टेदारों ने मकान बना लिये हैं ? क्या अब इन मकानों को गिराने और पट्टे खारिज करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो जिन राजस्व अधिकारियों की गलती से यह पट्टे हुए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वन विभाग, गोरखपुर के डी0 एफ0 ओ0 के अनियमित कार्यों के विरुद्ध वन मंत्री को शिकायत

34--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन प्रभाग, गोरखपुर के डी0 एफ0 ओ0 के अनियमित कार्यों की शिकायत मन्त्री जी को जुलाई, 1980 में मिली है ? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या शिकायतें हैं और उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां, उत्तर गोरखपुर वन प्रभाग के डी0 एफ0 ओ0 के विरुद्ध अनियमित कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें नीलाम में गड़बड़ी करने भ्रष्टाचार फैलाने, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुचाने, बंगाल टाइगर का चोरी से शिकार कराने तथा सरकारी जीप को अपने निजी कार्य हेतु प्रयोग किये जाने की शिकायतें थी । इन शिकायतों की जांच अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त द्वारा करायी गयी तथा जांच में शिकायतें निराधार पाई गई ।

झांसी जनपद में भूमि सम्बन्धी विचाराधीन केसेज तथा उनमें भूमिहीनों के खारिज किये गये पट्टे

35--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद में भूमि सम्बन्धी 1980 के कितने केस विचाराधीन हैं ? जिनमें अधिकांश पट्टे भूमिहीनों के खारिज किये गये और उनके क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

झांसी जनपद में भूमि सम्बन्धी अवशेष वादों की संख्या 1-10-79 को 1089 थी। 1-10-79 से 1-7-80 तक दायर कुल वादों 3382 को मिलाकर 31-7-80 तक की अवधि के कुल वादों की संख्या 4471 हुई जिनमें से 3039 का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार 31-7-80 को अवशेष वादों की संख्या 1432 रह जाती है।

उक्त में से ऐसे वादों की कुल संख्या, 170 थी, जिनमें उत्तर प्रदेश, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198(4) के अधीन भूमि प्रबन्धक, समितियों द्वारा दिये गये गांव सभा भूमि के पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इनमें से 31-7-80 तक 68 मामलों में नोटिस वापिस ले ली गयी है व 74 पट्टे खारिज किये गये हैं। 28 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं। यह कहना गलत है कि जो पट्टे निरस्त किये गये वे अधिकांश भूमिहीनों के हैं। पट्टे विभिन्न अनियमितताओं के कारण निरस्त किये गये।

वन विभाग गोरखपुर के हरिजन टांगिया मजदूरों के लिए 1979-80 में स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत बनाई गई झोपड़ियां

36--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग, गोरखपुर के हरिजन टांगिया मजदूरों की झोपड़ी निर्माण हेतु 1979-80 में धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उससे कितनी झोपड़ियां निर्मित हुईं और यदि नहीं हुईं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां, विभागीय कार्यों में कार्यरत मजदूरों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी झोपड़ियों के निर्माण हेतु वर्ष 1979-80 में धन की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु उद्योग निदेशालय द्वारा वांछित सामग्री का रेट कान्ट्रक्ट उस वर्ष में स्वीकृत न होने तथा खुले बाजार से सीधे क्रय की अनुमति न मिलने के कारण प्रश्नगत झोपड़ियों का निर्माण नहीं कराया जा सका।

देवरिया जनपद में बाढ़ से बीमारियों के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 13 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 की 10 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 स्वीकृत हुई।

*श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, बाढ़ एवं वर्षा के बाद सम्पूर्ण देवरिया जनपद में फसलों के सड़ने से बदबू आ रही है। पशुओं के मरने के बाद उनकी लाशों की दुर्गन्ध से वातावरण दूषित हो गया है। कीड़े एवं मच्छरों की भरमार है। विगत एक पखवारे से लगभग 100 आदमी हैजे से मरे हैं। मलेरिया तथा पोलिया रोग से असंख्य लोग सैय्या पर पड़े हैं। रोगों के रोकथाम के लिए दवा का प्रबन्ध नहीं है। मुख्य चिकित्साधिकारी मौन साधे हुए हैं। ग्रामीण अंचलों के डाक्टर न दवा देते हैं और न अस्पताल पर ही बैठते हैं। जब लोग अस्पताल पर जाते हैं तो उन्हें न तो दवा मिलती है और न डाक्टरों से मुलाकात ही होती है। पीड़ित लोग वापस आ जाते हैं और दवा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है।

मान्यवर, देवरिया जनपद के 2500 गांव बाढ़ग्रस्त तथा शेष गांव जल जमाव से त्रस्त हैं। 50 हजार घर गिरे हैं 500 आदमी डूबने, बीमारी, सर्पदंश एवं भूख से मरे हैं। दस करोड़ की क्षति हुई है। लोगों की क्रय शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है जिससे प्राइवेट डाक्टरों से दवा करा पाना असम्भव हो गया है।

अस्तु आज उक्त लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से माँग करता हूं कि हैजा, मलेरिया, पोलिया की रोकथाम के लिए कार्यवाही करें तथा बाढ़ पीड़ित इलाकों में मुफ्त दवा तथा छिड़काव कराने का आदेश करने का कष्ट करें।

टांडा, जनपद (फैजाबाद) में थर्मल पावर हाउस के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपीनाथ वर्मा--

महोदय, टांडा जनपद फैजाबाद में करीब 200 करोड़ की लागत से 1,000 एकड़ भूमि में थर्मल पावर हाउस का निर्माण हो रहा है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पांच वर्ष में पूरा होना है। परन्तु अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, घपलेबाजी, अनियमितताओं के कारण थर्मल पावर हाउस निर्माण होने में काफी समय तथा आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना है। विगत दिनों में अधिकारियों द्वारा किए गये भ्रष्टाचार जैसे परियोजना निर्माण हेतु आपूर्ति की गई सीमेंट, कोयला एवं स्टील आदि को खुलेआम बेचा जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में विगत दिनों से 4 लाख रुपये लोहे के घोटाले का समाचार तेजी से फैल रहा है, जिसकी कहानी बेहद चौकाने वाली है।

विगत दिनों परियोजना ने एम0 एस0 प्लेट स्टील की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, जिसमें कलकत्ता स्थित बाला जी स्टील क0 लिन्कर टेंडर स्वीकार किया गया था, बाला जी कम्पनी ने रेलवे के तीन वैगनों द्वारा 165 टन लोहा भेजा, रेलवे बिल्टी पर 165 टन माल व्यापारी के अनुसार अंकित था। उक्त तीनों वैगनों की पहुंच तथा रेलवे बिल्टी सौंप दी गई। इधर टांडा थर्मल पावर हाउस से सम्बन्धित कर्मचारी रेलवे से माल की डेलिवरी लेने पहुंचा तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपी नाथ वर्मा--]

उसने सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचना दी कि माल बिल्टी के अनुसार काफी कम है और उस समय डेलिवरी नहीं ली। बाद में 19 जून, 1980 को किसी प्रकार माल की डेलिवरी ले ली गई।

तीनों वैगनों में पता चला है कि कुल 18 टन लोहा था। इस प्रकार लगभग 150 टन लोहा जिसकी कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई जाती है। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा 12 जून, 1980 को सूचना दे दिये जाने के बाद भी बिना जांच किये 14 जुलाई को डांडा स्थित कार्यालय में कलकत्ते की उक्त फर्म को 5 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट पकड़ा दिया गया। अभी भी सम्पूर्ण लोहा जो आया था रेलवे की कस्टडी में डेमरेज के विवाद को लेकर पड़ा है। जानकारी प्राप्त हुई है कि विभागीय लोगों द्वारा मामले को रेलवे द्वारा निपटाने की कोशिश की जा रही है। अतः उपरोक्त गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वह वक्तव्य देने की कृपा करें।

आगरा के कुछ युवा वकीलों द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

मान्यवर, आगरा में दिनांक 25-8-80 को करीब 11.30 बजे कुछ युवा वकीलों ने जिला पूर्ति अधिकारी को, कार्यालय में पीटा व जबरदस्ती एक फाइल पर आदेश कराया और उसकी रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उसी दिन पुलिस को दे दी गई। लेकिन अभी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन अभियुक्तों में जो लोग शामिल थे उनके हौसले पहले से बढ़े हुए हैं क्योंकि 8-9 माह पूर्व एक सिविल जज को इन्हीं व्यक्तियों ने न्यायालय में ही पीटा था और उस पर जुडीशियल की काफी दिन तक हड़ताल चलती रही। उसके बाद इन लोगों ने आज से तीन महीने पहले सिटी मैजिस्ट्रेट, आगरा के दफ्तर में जाकर उनके साथ भी दुर्व्यहार किया। इस तरह की घटनायें आये दिन यह लोग करते रहते हैं और अधिकारियों को धौंस और धमकी के आधार पर तथा मारपीट के आधार पर अपना काम निकलवाने का इनका सिलसिला काफी अर्से से चला आ रहा है। दिनांक 9 अगस्त, 1980 को इन्हीं के कुछ लोगों ने मेरी कार पर रोक कर हमला किया। सौभाग्य से मैं कार में मौजूद नहीं था। मेरे ड्राइवर और मेरे दो कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा। इन्हें कानून और प्रशासन का कोई भय नहीं रहा। मेरे ड्राइवर ने इस आशय का एक एफ० आई० आर० थाना छैत्ता, आगरा में कर दी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह एक ऐसा ग्रुप है जो आये दिन घटनायें करता रहता है। ऊपर वाली घटना में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरा आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय तथा इनकी गतिविधियां की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा कराकर कड़ी कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में प्रशासन के साथ मार-पीट तथा धौंस व दुर्व्यहार की घटनायें न हो सकें तथा मेरे आदमी द्वारा लिखाई गई एफ० आई० आर० पर कार्यवाही करने का निर्देश दें और मेरी सुरक्षा प्रदान करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर घूस लेने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(व्यवधान)

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शकर की मौजूदा किल्लत के कारण प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से शकर हासिल करने में वहां से कर्मचारियों द्वारा फुटकर कोटेदारों से अधाधुन्ध घूस ली जा रही है। एक-एक शकर के कोटेदार को गोदामों से शकर उठाने के लिए अनेकों बार जाना पड़ता है। शकर देने में क्रम, तारीख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जो कोटेदार खाद्य निगम के कर्मचारियों को प्रति बोरा 30 रुपये से 50 रुपये तक की घूस देते हैं, उन्हें शकर सभी कानून कायदे तोड़कर दी जाती है अन्यथा कोटेदारों को शकर आने पर देने का बहाना करके टरका दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अच्छी अथवा बड़े दानों वाली तथा सूखी शकर के लिए अतिरिक्त धनराशि 5 रु0 प्रति बोरा के हिसाब से और देना पड़ता है। इसी प्रकार क्रय केन्द्रों द्वारा खरीदा हुआ सरकारी गेहूं और धान लेकर जब सम्बन्धित कर्मचारी एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में रखवाने हेतु आते हैं तो उनसे 5 रु0 से लेकर 100 रु0 प्रति ट्रक के हिसाब से घूस ली जाती है। यह भ्रष्टाचार जनपद बाराबंकी के अतिरिक्त प्रदेश के लगभग सभी जिलों में फैला हुआ है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अपने को केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी कहते हुए जिले के अधिकारियों की उपेक्षा तथा आदेशों की अवहेलना करते हैं।

अतएव शासन से मेरी जोरदार मांग है कि भ्रष्टाचार को रोके जाने के उद्देश्य से खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली घूस की सी0 आई0 डी0 द्वारा अविलम्ब जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त न्यायोचित कार्यवाही की जाय।

सिंचाई खंड प्रथम, जनपद खीरी के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये के घोटाले की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुमति से आदरणीय सदन तथा शासन की जानकारी में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सिंचाई खंड प्रथम खीरी जनपद में अधिकारियों द्वारा विभिन्न तरीकों से लाखों रुपये से घोटाले का अन्देशा किया जा रहा है। 60 हजार लीटर डीजल ब्लैक में बेंच दिया गया। ढाई हजार सीमेंट की बोरी गायब कर बेंच दी गयी। थाना हैदराबाद की गस्ती पुलिस द्वारा ग्राम बरगदिया में सीमेंट पकड़ी गयी। घोटाला बढ़ता चला जा रहा है। लखीमपुर जनपद की जनता में यह आम चर्चा का विषय बन गया है। इस कारण जनता में उत्तेजना का वातावरण बढ़ता जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह]

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तुरन्त पिछले पांच वर्षों के सभी रिकार्डों को सील किया जाय तथा सम्बन्धित अधिकारियों को वहां से तुरन्त हटाया जाये ।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव

[12 बज कर 24 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या 2, उपाध्यक्ष पद के लिए नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करूंगा । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आज का दिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियत किया गया है । नियमानुसार नाम निर्देशन पत्र 28 अगस्त, 1980 के मध्याह्न के पूर्व आ जाने चाहिये थे । उक्त अवधि के अन्दर जो नाम निर्देशित पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है । श्री गौरी शंकर एडवोकेट, नाम निर्देशित अभ्यर्थी, प्रस्तावक श्री राम हर्ष राय श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री राम कृष्ण महेश्वरी, समर्थक श्री अकबाल हुसैन, श्री बलदेव सिंह आर्य, श्री चेतराम गंगवार ।

दूसरा नाम है माननीय चेतराम गंगवार जी का । इनके प्रस्तावक हैं श्री राम आसरे वर्मा तथा समर्थक हैं श्री जयदीप सिंह ।

तीसरा नाम है श्री मोती लाल देहलवी जी का । इनके प्रस्तावक हैं श्री मोहन सिंह तथा श्री हरी किशन श्रीवास्तव और समर्थक हैं--मुख्तार अनीस तथा श्री सन्त बख्श रावत ।

चौथा नाम श्री यदवेन्द्र सिंह (लल्लन जी) का । इनके प्रस्तावक हैं--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री बलदेव सिंह आर्य, श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री भीखा लाल और समर्थक हैं श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री बलदेव सिंह आर्य, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री फखरे आलम तथा श्री मित्र सेन यादव ।

पांचवां नाम है--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का । इनके प्रस्तावक हैं--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा समर्थक हैं--श्री राम लाल ।

छठवां नाम है--श्री राम लाल वर्मा जी का । इसके प्रस्तावक हैं--श्री नत्थू लाल तथा समर्थक हैं--श्री हरी शंकर ।

सातवां नाम है श्री रियासत हुसैन का । इनके प्रस्तावक हैं श्री राम गोविन्द चौधरी तथा समर्थक हैं श्री काजी मोहीउद्दीन ।

आठवां नाम है--श्री सूबेदार सिंह का । इनके प्रस्तावक हैं श्री अकबाल हुसैन तथा समर्थक हैं श्री मोहम्मद नबी ।

इनमें से माननीय राम लाल वर्मा ने दिनांक 28 अगस्त, 1980 को सर्व-श्री गौरी शंकर एडवोकेट, रियासत हुसैन तथा सूबेदार सिंह ने 29 अगस्त, 1980 को, राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को तथा श्री चेतराम गंगवार ने आज अपने नाम वापस ले लिये हैं । इस तरह से केवल दो नाम रह जाते हैं और वे हैं श्री मोती लाल देहलवी और श्री यादवेन्द्र सिंह के । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9 के

उपनियम (4) में उपबन्धित है कि निर्वाचन के पूर्व कोई अभ्यर्थी पीठासीन अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप से सूचना दे कर अपना नाम वापस ले सकता है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, पिछली विधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर एक हरिजन सुशोभित था । मान्यवर, मैं एक हरिजन हूं और लगातार पांचवीं बार इस सदन में आया हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका कथन भाषण सा लग रहा है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, हमारे दल के नेता का परामर्श है । मान्यवर, पिछले दिनों अखबारों में चूंकि आया है ....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर मैं अपना नाम वापस करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं भाषण नहीं कर रहा हूं ।

मान्यवर, पिछले दिनों अखबारों में चूंकि आया और लोगों को संकेत मिल गया था कि इस पद पर किसको सुशोभित होना है । मान्यवर, कभी-कभी जनहित में वह करना पड़ता है जिसको अंतरात्मा कबूल नहीं करती । तो मान्यवर, आज मैं अपने नेता के परामर्श और विरोधी पक्ष की एकता को बनाये रखने हेतु अपना नाम वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब चूंकि केवल एक नाम श्री यादवेन्द्र सिंह (लल्लन जी) का रह गया है किसी अन्य नाम पर प्रस्ताव नहीं रह गया है कोई और उम्मीदवार नहीं रह गया है, इसलिये मैं श्री यादवेन्द्र सिंह को निर्वाचित घोषित करता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

.वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नव निर्वाचित उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह को बधाई

[12 बजकर 30 मिनट से]

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले कि मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूं, मैं सदन के समक्ष माननीय उपाध्यक्ष जिनके संबंध में घोषणा हुयी है, उनके संबंध में कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय श्री यादवेन्द्र सिंह उर्फ लल्लन जी का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। 30 अक्तूबर, 1929 को सिसवा बाजार, गोरखपुर में माननीय यादवेन्द्र सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता जी स्वर्गीय डा0 नवल किशोर सिंह थे। इनकी शिक्षा गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। मैं श्री यादवेन्द्र सिंह जी से परिचित हूं। मैं इनके साथ सदन में काम कर चुका हूं और मेरा विश्वास है कि इसमें जो नये सदस्य आये हैं उनको छोड़कर शायद सभी सदस्य जो पहले सदन में रहे हैं वह विधिवत् उनसे परिचित होंगे। उपाध्यक्ष पद के लिये एक मात्र उनका नाम रहा और सदन ने उनको निर्विरोध चुना। मुझे विश्वास है कि सदन की महिमा और गौरव की रक्षा करते हुये वह इस कार्य को अत्यन्त योग्यता के साथ संचालित करेंगे। माननीय यादवेन्द्र सिंह जी यहां मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और जहां भी, जो भी कार्य उनके सामने प्रस्तुत हुआ है उसका उन्होंने पूर्ण योग्यता के साथ और निष्पक्षता के साथ निर्वन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पद पर आकर वह इस सदन के गौरव की रक्षा करते हुये, सम्मानित सदस्यों का विश्वास प्राप्त करते हुये इस कार्य को अच्छी तरह से सम्पन्न करेंगे और सभी को आश्वस्त रखेंगे। मैं श्री यादवेन्द्र सिंह जी को उनके उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

अब मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से यह चाहूंगा कि वह माननीय यादवेन्द्र सिंह जी को इस स्थान तक लायें।

(माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल माननीय यादवेन्द्र सिंह जी को माननीय अध्यक्ष के आसन तक लायें।)

(इस समय 12 बज कर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(मेजों की थपथपाहट)

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पद पर आपके आसीन होने के लिये मैं आपको बधाई देता हूं और साथ ही नेता विरोधी दल के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और श्री मोती लाल देहलवी के प्रति भी अपना आभार प्रकाट करता हूं और सारे दलों के नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस सदन की गरिमा को रखते हुये एक सौहार्द के भाव में आपका चुनाव करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। जिस कुर्सी पर हम लोग अभी आपको बिठा आये हैं, मैं नहीं जानता हूं कि वह उसमें बैठ करके अन्दर से आप हंसते रहेंगे या रोते रहेंगे लेकिन यह हम जानते हैं कि उपर से जरूर आप मुस्कराते रहेंगे आपके साथ काम करके हम सब लोगों का अनुभव रहा है कि जो मुस्कराना रहा है उसमें एक चीज जरूर रही है कि उसके दिल में कोई कटुता नहीं रही है और यही सदन के गरिमा को रखने के लिये प्रथम गुण की आवश्यकता है और वह आप में है।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपके जीवन को देखते हुये चीनी मिल मजदूरों की समस्याओं का आपने अनुभव किया है, तो चीनी की मिठास जीवन से जुड़ा है लेकिन मिल से नहीं, मजदूरों से जुड़ा रहा है और मजदूर से जुड़ा होने के कारण इस सदन के बाहर जो गरीब तबका है वह आपकी ओर आशा की दृष्टि से देखता है और उसका आप पर विश्वास रहेगा, यह भी गरिमा की चीज है। यही नहीं, आप इस प्रदेश के न्याय मंत्री भी रहे हैं और जिस पद पर आप आसीन हुये हैं वह भी न्याय करने का है, उसमें आपका अनुभव रहा है, तो हम लोगों को विश्वास है कि उस अनुभव का इस सदन को पूरा लाभ मिलता रहेगा। प्रदेश में न्याय के प्रति विश्वास और अनुभव की जहां तक बात है तो 4 बार जनता ने आपको विश्वास दिया और आप इस सदन में आये और उतना ही दीर्घकालीन आपका विश्वास है। इन गुणों के रहते हम लोगों को विश्वास है आप संसदीय जीवन में, आपका कार्यकाल एक बहुत बड़ा योगदान देगा। इस विश्वास के साथ म पुनः बधाई देता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके इस पद पर चुने जाने पर मैं और मेरा दल आपको हार्दिक बधाई देता है। जिस पद पर आपको अभी सुशोभित किया गया है, वह प्रतिष्ठा का पद है और वह आपके पिछले इस संसदीय परम्परा से अवगत होते हुए पांचवीं बार शायद आप चुनकर आये हैं। आपका श्रीमन्, काफी अनुभव रहा है। हम आशा करते हैं कि आप इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे। मैं अपने सभी विपक्षी दलों के नेताओं का आभारी हूं कि एक सर्वसम्मत नाम के आने में सभी ने सहयोग दिया। मैं पुनः उनका आभार प्रकट करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

*श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, अब तक जितने भी लोग इस कुर्सी पर विराजमान हुये हैं, उनमें सबसे पहले व्यक्ति आप हैं जो सचमुच ही आप इस कुर्सी के लायक हैं।

(जोरों की हंसी)

मान्यवर, पहले जो इस कुर्सी पर बैठता था, उसे वह कुर्सी दबाती थी। अब हम लोगों को भरोसा है कि इस कुर्सी को आप दबा रखेंगे और साथ ही साथ यह भी भरोसा है कि जब तक आप बैठना चाहेंगे तब तक आप इस पर बैठेंगे, क्योंकि वजन भी आपका इतना बड़ा भारी है कि वह आसानी से हिलने-डुलने वाली नहीं है।

मैं तो यह कहूंगा कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोगों ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, जिसकी प्रतिभा है और जिसमें कार्य करने का तरीका और सबको अपने साथ ले चलने की अभूतपूर्व क्षमता है, जिससे इस सदन की मर्यादा भी बनी रहे और सदन के लोगों का विश्वास भी बना रहे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों के चाहने के बावजूद शायद हम लोग आपको बना नहीं पाते। इसका श्रेय अगर है तो उधर बैठने वाले हमारे नेता सदन के नेतृत्व में बैठने वाले जो भी लोग हैं, उनको जाता है, जिनका इसमें सब से ज्यादा योगदान है, जिन्होंने कि हमारी भावना का आदर करते हुये एक ऐसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पान्डेय]

व्यक्ति को चुनकर उस कुर्सी में बैठाया है जो सचमुच में उस कुर्सी के योग्य हैं। हम तो बहुत बड़ी अपेक्षा करते रहे हैं, करनी भी है, लेकिन माननीय नेता सदन ने हमें काफी चौंका दिया, यह कह कर कि मान्यवर, आप अपने दिल में कुछ भी रखे रहें, लेकिन चेहरा आपका मुस्कराता रहेगा। इससे कुछ ऐसा आभास हुआ है कि शायद आपके मुस्कराते चेहरे कभी कभी ऐसी चीजें छिपी हों, जिससे माननीय सदस्य आपको पहचानने में शायद कठिनाई अनुभव करेंगे और मान्यवर, ऐसे लोगों से कम से कम हमें तो डर लगता है। मुख्य मन्त्री जी को डर नहीं है, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी की मुस्कराहट और आपकी मुस्कराहट दोनों एक ही जैसी हैं।

मान्यवर, यह बड़े संयोग की बात है कि जिन लोगों से हमें पाला पड़ा है कम से कम सदन को चलाने में, हमारे अध्यक्ष जी, जो इस वक्त कुर्सी पर नहीं हैं आपको सौंप गये हैं, हमारे माननीय नेता, सदन, मान्यवर, आप और नेता विरोधी दल, ये चारों इतने मधुर स्वभाव से इतने मुस्कराने वाले हैं कि इस सदन की गरिमा को अपने-अपने व्यक्तित्व से, प्रतिभा से, बनाये हुये हैं। मैं चाहता हूं कि चारों इसी प्रकार सौहाद्रमय बने रहें और सदन की प्रतिष्ठा कायम करने में अधिक से अधिक योगदान करते रहे। समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं होती। जहां सदन का सवाल है, देश की प्रभुसत्ता सब से ऊपर है इसको ध्यान में रखते हुये उधर के बैठने वालों को और हमको मिल कर के काम करना चाहिये। विवाद बहुत से विषयों पर होता रहता है। हम आपको कठिनाई में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। माननीय नेता सदन ने अपने कार्यकाल में जिस नेकनियती, साहस का परिचय दिया है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। मेरा निवेदन है कि कभी सरकारी पक्ष प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं करेगा।

मैं एक बार फिर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, सभी मित्र जो इस सदन में बैठे हुये हैं--426 हैं शायद इस समय 423 हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं..

एक सदस्य--

420 हैं..

श्री राज मंगल पाण्डेय--

420 हैं, 420 का शब्द हमारे....

(व्यवधान)

जी ने बताया मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने सही स्थिति का ध्यान दिलाया।

श्री उपाध्यक्ष--

420 नहीं, 421 हैं।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं पुनः आपको बधाई देना चाहूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। आपके माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से सदन चलाने में हमें बहुत बड़ा योगदान मिल सकेगा।

श्री थम्मन सिंह--

मान्यवर, मैं आपका इस पद पर निर्विरोध चुने जाने के लिये बधाई देता हूं। आप पुराने अनुभवी सदस्य हैं। आपको मन्त्री पद का भी अनुभव रहा है, मुझे विश्वास है कि आप सदन की कार्यवाही चलाने में, सब सदस्यों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मैं अपने दल की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि सदन का कार्यवाही चलाने में हम आपको सब प्रकार की सहायता देंगे।

श्री भोखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस गरिमा के पद पर इस सदन के द्वारा निर्विरोध चुने गये हैं, उसके लिये मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मान्यवर, आपके साथ मैं इस सदन में रहकर मुझे भी काफी समय तक काम करने का अवसर मिला है। आपके स्वभाव, आपके व्यवहार, आपकी मृदु वाणी और आपका अनुभव इन सबसे प्रभावित होकर मैंने अपने दल की सलाह से आपका इस पद के लिये नामांकन किया था और मुझे खुशी है कि सदन ने आपको इस पद के योग्य समझ कर आपका निर्विरोध चयन इस पद पर किया। यह पद बहुत ही गरिमा का पद है। इस सदन में बहुत से ऐसे अवसर आयेंगे और आते हैं जब सदन में बड़ी ही उत्तेजना पूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है और मुझे आशा है जब ऐसी स्थिति हो तो आप उत्तेजित नहीं होंगे। मुझे आशा भी है आपके स्वभाव में नहीं है कि आप कभी उत्तेजित हों। आप उस स्थिति में सदन का कार्य चलाने में और इस कुर्सी का गौरव बढ़ाने में पूरे तौर से सक्षम सिद्ध होंगे और यह सदन मुझे विश्वास है आपको इस कार्य में पूरे तौर से सहयोग देगा। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस सदन की कार्यवाही चलाने में पूरा-पूरा सहयोग हमारी ओर से मिलेगा। हम आपको पुनः इस पद पर आसीन होने के लिये हार्दिक बधाई तथा मुबारकबाद देते हैं।

*श्री रियासत हुसैन--

उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस माननीय सदनने सर्वसम्मति से आपको इस पद के लिए चुना है। जब इस सदन को बनाया गया होगा और यहां सीटिंग अरेन्जमेन्ट किया गया होगा तो उस वक्त बैठने वालों ने यह बात अपने दिमाग में रखी होगी कि उपाध्यक्ष की कुर्सी कहां रखी जाय और वह कुर्सी नेता विरोधी दल के बराबर रखी गई। आपके लिये इस सदन में दो स्थान हैं। एक तो इस समय आप जहां विराजमान हैं। दूसरी स्थान नेता विरोधी दल के बराबर में रखा गया है। यहीं आशायें और उम्मीदें लगाकर यह होता रहा है बहुत सालों से कि विरोधी पक्ष से उपाध्यक्ष के लिए आदमी चुना जाय। हम लोगों को इस बात का फख्र है कि विरोधी दल वालों ने एक जुट हो कर आपके नाम का प्रस्ताव किया और आपको वहां बिठाया। हम लोगों को पूरी आशा तथा उम्मीद है कि आप जिस न्याय के लिये वहां बिठाये गये हैं विरोधी पक्ष तथा सरकारी पक्ष इन दोनों के हितों की रक्षा आप बहुत न्याय पूर्वक ढंग से करेंगे, क्योंकि आपके तजुर्बे में किसी चीज की कमी नहीं है। पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस और मन्त्रिमन्डल दोनों में आप रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत तजुर्बा इस माननीय सदन की सेवा करने का भी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

और उन्हीं आशाओं के साथ में पुनः आपको अपनी तरफ से और अपनी जनता पार्टी की ओर से बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सदन की सेवाओं को न्यायपूर्वक ढंग से चलाते रहेंगे ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको इस गौरवपूर्ण पद पर सुशोभित देखकर अपने को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं । मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है आप इसके पूर्व भी इस माननीय सदन के कई बार सदस्य रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं । मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पुराने अनुभवों द्वारा इस माननीय सदन को लाभान्वित करते रहेंगे । मैं आपको अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आश्वासन देता हूं कि यहां की जो भी कार्यवाहियां होंगी उनके संचालन में हमारा पूरा सहयोग रहेगा ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

सर्व सम्मति से आपके उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिए मैं बधाई देता हूं । मान्यवर, कुछ खुशी की बातें हैं और कुछ दुख की बातें हैं । खुशी की बात यह है कि आप उस पद पर निर्विरोध आसीन हुये और दुख की बात यह है कि माननीय राज मंगल पान्डे जी ने आपकी मुस्कराहट को मुख्य मंत्री जी की मुस्कराहट से मिला दिया । जब दोनों मुस्कराहटें मिल गईं तो माननीय रियासत जी की यह बात और जिस कुर्सी की तरफ उन्होंने इशारा किया संदेह पैदा होता है कि कहीं वह कुर्सी खाली न रह जाय । मान्यवर, इस सदन का इतिहास यह बताता है कि चुना जाता है उपाध्यक्ष विरोध पक्ष की तरफ और चला जाता है अन्त में शासन की ओर । मान्यवर, मैं आज देख रहा था कि जब मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल आपको उस पद पर आसीन करने के लिए ले जा रहे थे तो उस समय भी मुख्य मंत्री जी ने ही बाजी जीती और वे अपनी ओर से लेकर उनको गये । मैं इन बातों के साथ यह कहना चाहूंगा कि सदन में आपके प्रति जो उद्गार व्यक्त किए गये हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि सदन की कार्यवाही चलाने में हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग रहेगा । मैं पुनः आपको इस पद पर आसीन होने के लिए बधाई देता हूं ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देने के पहले मिस्टर देहलवी को बधाई देता हूं जिनके रिटायर करने से आपको यह गद्दी अन-अपोज्ड मिली । अपना नाम वापस लेकर उन्होंने अपने पद की गरिमा को बढ़ा दिया । मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं । मैं उम्मीद करता हूं और आपसे विश्वास रखता हूं कि आप हाऊस को अच्छी तरह से चला पाओगे । मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि हाउस के दोनों तरफ से आपको कोआपरेशन मिलता रहेगा । मैं फिर आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं । शुक्रिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, तथा अन्य दलों के नेतागण तथा मेरे दाहिने और बायें पार्श्व में बैठे विधायकगण यह सब आप लोगों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

असीम अनुकम्पा है कि आपने हमको इस आसन पर बठने का अवसर दिया और साथ हीं एक और भी विचित्र स्थिति आपने उत्पन्न की और वह यह कि हमारे विरोधी पक्ष ने एक मत होकर अपनी राय जाहिर की जिसका स्वागत सत्ता पक्ष की ओर से हुआ । जिस तरह से मैं आप सब लोगों के सहयोग से इस आसन पर बैठने का अवसर पाया हूं उसी तरह से आप सब से निवेदन करुंगा कि इस सदन के संचालन में आपकी अपार कृपा मेरे साथ हो और आपका सहयोग मुझे प्राप्त हो तथा मैं इस गुरुतर भार को ठीक रूप से वहन कर सकूं । मेरे लिए यह कहा गया कि मैं सरकार में था और मैंने मंत्रिपद पर कार्य किया और आशा व्यक्त की गयी कि उसी तजुर्बे से मैं लाभान्वित हूंगा उसका यहां भी मुझे लाभ मिलेगा । लेकिन मैं निवेदन करुंगा कि सरकार में रहकर शासन चलाना एक बात है और शासन चलाने वालों को चलाना एक और बात है । शासन चलाने का अनुभव तो जरुर रहा और अब आपके अनुग्रह से शासन चलाने वालों को चलाने का काम भी मेरे जिम्मे आया है ।

श्री मोहन सिंह--

अब आप इनको चला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

नेता सदन ने मेरा सम्बन्ध चीनी मिल उद्योग से बताया है उन्होंने यह भी बताया कि चीनी मिल मजदूरों से मेरा सम्बन्ध रहा है लेकिन शायद वह भूल गये कि मैं एक किसान हूं, गन्ना काश्तकार होने के नाते गन्ने से मेरा पहले सम्बन्ध है उसके बाद और किसी से । मैं गन्ना पैदा करता हूं जिसे मजदूर पेरता है जिसका मुनाफा चीनी मिलों को मिलता है । इसलिए मैं जितना चीनी से सम्बन्धित हूं उतना ही चीनी मजदूरों से सम्बन्धित हूं और सबसे ज्यादा अप गन्ने से सम्बन्धित हूं जिसकी बदौलत चीनी बनती है ।

मेरे लिए वर्मा जी ने कहा कि मेरे दो स्थान हैं एक अध्यक्ष पीठ और दूसरा नेता विरोधी दल से लगी हुई मेरी कुर्सी । उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि नेता सदन ने आज फिर हाथ मारा और वह अपने ही तरफ से मुझे इस मंच पर लाये । मैं समझता हूं कि यह औपचारिकता मात्र है । मैं तब भी, आपने गौर किया होगा कि अपने ही रास्ते से आने का प्रयास कर रहा था ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, उसमें कामयाब नहीं हुए ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं औपचारिकता में विश्वास करता हूं लेकिन रास्ता भटकने में विश्वास नहीं करता हूं । आप सब लोगों ने जो अपार प्रेम मुझको दिया उसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हुं ओर निवेदन करता हूं कि आप मुझे बल दें और मेरा सहयोग करें कि मैं इस गुरुतर भार को वहन कर सकूं तथा इस सदन की कार्यवाही को चला सकूं और आपकी इच्छा के अनुरूप शासन को उत्तम चलाया, जसा कहा गया, शासकों को भी उत्तम रूप के चला सकूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जो ज्यादा चालू हैं 'उनको भी चलाइये ।

विधान सभा सदस्य, श्री धनीराम वर्मा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

[1 बजे मध्याह्न]

श्री उपाध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, इटावा ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 3 सितम्बर, 1980, जो अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय में 4-9-80 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री धनीराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा को 3 सितम्बर, 1980 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें परगना मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा न्यायालय के उठने तक के कारावास का दंड दिया गया तथा न्यायालय के उठने पर रिहा कर दिया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[1 बजकर 2 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं दो विशेषाधिकार की अवहेलना के दो प्रश्नों पर माननीय अध्यक्ष के निर्णयों को आपके समक्ष रखता हूं 27 अगस्त, 1980 को जब सदन की बैठक प्रारम्भ हुई श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा था कि अलीगढ़ में आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों को इस तरह की सूचना भेजी गयी है कि 27-8-80 को सदन की बैठक नहीं होगी । उस समय मैंने यह कहा था कि इसकी जांच की जाएगी । इसके बाद श्री ख्वाजा हलीम सदस्य, विधान सभा ने नियम 63 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी । माननीय सदस्य ने शिकायत की कि 22 अगस्त, 1980 को जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने उन्हे यह लिखित सूचना दी कि विधान सभा का अधिवेशन 27 अगस्त को नहीं होगा । माननीय सदस्य ने उक्त सूचना में यह भी कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर उन्हें विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया । माननीय श्री ख्वाजा हलीम ने अपनी उक्त सूचना के साथ एक पत्र भी संलग्न किया है जिसमें इस सचिवालय द्वारा भेजे गये रेडियोग्राम की प्रतिलिपि उन्हें न्याय सहायक, कलेक्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित की गयी थी ।

मैंने इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ से वस्तु स्थिति बताने के लिये कहा । उन्होंने सूचित किया है कि 16-8-80 को अलीगढ़ में दंगा प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण सिविल लाइन परिक्षेत्र को छोड़कर शेष नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया था । जब विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने सम्बन्धी रेडियोग्राम प्राप्त हुआ, उस दिन कार्यालय बन्द था । अतः सम्बन्धित कर्मचारियों को घर से बुलवाया गया और रेडियोग्राम की प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को यथा निर्देशित सूचनार्थ भेजी गयी । जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा है कि जो रेडियोग्राम प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार लिखा गया था कि जल्दी में सम्बन्धित लिपिक ने "Now" की जगह "Not" पढ़ लिया चूंकि सभी अधिकारी शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थे, अतः महत्व को देखते हुए सम्बन्धित अनुभाग सहायक ने अपने हस्ताक्षरों से उक्त सूचना विधायकों को जारी कर दी ।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि केवल एक लिपिकीय भूल के कारण ऐसा हो गया और इसमें ऐसी कोई नियत न थी कि माननीय सदस्य को विधान

सभा की बैठक में उपस्थित होने से रोका जाय। जिला मैजिस्ट्रेट ने अपनी उक्त सूचना में यह भी कहा है कि माननीय सदस्य श्री ख्वाजा हलीम को जयगंज सेक्टर में तैनात सेक्टर मैजिस्ट्रेट, श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी ने समुचित सुरक्षा प्रदान करते हुए विधान सभा की बैठक में भाग लेने हेतु रेलवे स्टेशन भी पहुंचाया था। जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी सूचित किया है कि जो कर्मचारी उक्त लिपिकीय त्रुटि के लिये उत्तरदायी था, उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और जांच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर इस मामले में समुचित कार्यवाही की जायेगी। अन्त में जिला मजिस्ट्रेट ने माननीय विधायक महोदय को जो असुविधा हुई, उसके लिये खेद भी प्रकट किया है। अतः इस मामले में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[1 बज कर 4 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा प्रश्न यह है कि श्री मुख्तार अनीस, सदस्य, विधान सभा ने 27 अगस्त, 1980 को माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि 6 अगस्त, 1980 को जब सदन में बागपत काण्ड पर चर्चा चल रही थी, उस समय माननीय मुख्य मन्त्री ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री माननीय चौधरी चरण सिंह के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि चौधरी साहब को सी० आई० डी० इन्क्वायरी पर विश्वास नहीं है और वह सी० आई० डी० इन्क्वायरी नहीं चाहते हैं। श्री मुख्तार अनीस ने चौधरी चरण सिंह द्वारा गृह मन्त्री, भारत सरकार को लिखे एक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तु स्थिति बताने के लिए कहा। माननीय मुख्य मन्त्री ने चौधरी चरण सिंह के उक्त पत्र के एक अंश को उद्धृत करते हुए कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने गृह मन्त्री, भारत सरकार को लिखे गये अपने पत्र में यह कहा है कि यू० पी० गवर्नमेन्ट सी० आई० डी० इन्क्वायरी को केवल सम्बन्धित मामले में देर करने के लिए करा रही है। उन्होंने अपने इस कथन के बारे में कि "चौधरी चरण सिंह आज जिस सी० आई० डी० इन्क्वायरी की दुहाई देते जा रहे हैं, यह पत्र है उनका, उनका विश्वास नहीं है इस पर यह कहा है कि यह उनका अपना निष्कर्ष है और चौधरी चरण सिंह के प्रश्नगत पत्र को पूरा पढ़ने से विशेष कर उनके द्वारा उद्धरित अंश से ऐसा निष्कर्ष भासित भी होता है।

माननीय मुख्य मन्त्री का कहना है कि उन्होंने न तो तथ्यों को छिपाया और न उन्हें तोड़ मरोड़ कर रखते हुए सदन को गुमराह करने का प्रयास ही किया। माननीय सदस्य श्री मुख्तार अनीस ने भी ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिए हैं, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने हेतु ऐसा किया है।

चौधरी चरण सिंह के पत्र के विषय में श्री मुख्तार अनीस और माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में अन्तर हो सकता है, किन्तु प्रत्यक

---

†छापी नहीं गयी।

]श्री उपाध्यक्ष--]

माननीय सदस्य को अपना निष्कर्ष सदन के सामने रखने का अधिकार है और इससे सदन के अवमान या किसी के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अतः मैं इस मामले को सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो निर्णय हो गया है ।

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, साफ-साफ बात है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन के अन्दर कहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को सी० आई० डी० की इन्क्वायरी पर विश्वास नहीं है । उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को जो पत्र लिखा उसमें चौधरी साहब ने कहा कि अब सी० आई० डी० इन्क्वायरी का कोई लाभ नहीं है । इन दोनों बातों में अन्तर है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर तो निर्णय हो चुका है । निष्कर्ष में दोनों अपनी-अपनी जगहों पर सही हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

निर्णय तो, श्रीमन्, आपने दे दिया लेकिन इसकी ग्राह्यता पर सुन लेते तो ज्यादा अच्छा होता । आज भी आपको हमें सुन लेना चाहिए था । इसमें निष्कर्ष का कोई प्रश्न नहीं है । इसमें स्पेसिफिक बात कही गयी है । आपने जो भी निर्णय दिया वह माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर को देख कर दे दिया है । पीठासीन अधिकारी का काम यह है कि वह यह देखें कि यह प्रश्न बनता है या नहीं । आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है । आपको चाहिए था कि आप ग्राह्यता के प्रश्न पर पहले हमें सुन लेते । यदि इस प्रकार से माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर पर आधारित विशेषाधिकार के प्रश्नों पर निर्णय होगा तो हमें ऐसे प्रश्नों को देना ही बेकार है ।

*श्री उपाध्यक्ष--

इसमें लिखा है कि चौधरी साहब का पत्र पढ़ा गया और उनके पत्र को देखने के बाद मुख्य मन्त्री के निष्कर्ष को भी देखा गया और जब इनमें सामन्जस्य मालूम पड़ा तो यह निर्णय दिया गया ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो पत्र ज्ञानी जैल सिंह जी को लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि सी०आई०डी० इन्क्वायरी से अब कोई लाभ नहीं रह गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । जब कि मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि चौधरी साहब का कहना है कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी पर मेरा विश्वास नहीं है ।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब ने जो शब्द कहे हैं कि सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी सेन्सलेस है मैं कैसे विश्वास करूं कि सेन्सलेस चीजों पर चौधरी साहब विश्वास करते हैं ।

(हंसी)

विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों तथा कतिपय विश्वविद्यालय की सभाओं के निर्वाचन सम्बन्धी कार्य क्रम में परिवर्तन की सूचना

[1 बज कर 11 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

लोक लेखा समिति के लिये 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिये 25 सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये 21 सदस्य, 29 स्थायी समितियों के लिये प्रत्येक में 16-16 सदस्य, राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिये 3 सदस्य, जिसमें कम से कम एक महिला होगी, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये 5 सदस्य तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, अवध विश्वविद्यालय तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये प्रत्येक सभा के वास्ते पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को माननीय संसदीय कार्य मन्त्री एवं माननीय नेता विरोधी दल के अनुरोध पर स्थगित करते हुये निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

1--नाम निदशन पत्रों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय.. मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक ।

2--नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय...बुधवार दिनांक 10 सितम्बर, 1980 को अपराहन 3 बजे (सचिव, विधान सभा में कक्ष में ।)

3--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय...मंगलवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक ।

4--निर्वाचन यदि, आवश्यक हुआ तो--

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये--सोमवार दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

[श्री उपाध्यक्ष--]

(ख) 29 स्थायी समितियों के लिये--मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा, तथा

(ग) 13 विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिये--बुधवार दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के मतदान 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बजकर 14 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की दो सूचनायें आयी हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

एक मिनट कृपया मुझे सुन लें । उत्तर प्रदेश में मान्यवर, चीनी का काल्पनिक अभाव करके सरकार ने 15 दिन के अन्दर चीनी के व्यापारियों को 50 करोड़ रुपये कमाने का मौका दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य 10 तारीख को इसका अनुदान पेश होने वाला है, उस समय इस पर कह लीजिएगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, चीनी का भयंकर अकाल है । चीनी के व्यापारी दोनों हाथों से पैसा लूट रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आज 5 तारीख हो गयी है, 10 तारीख को आप इस बात को कह सकते हैं । आप बिराजें ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में चीनी का भयंकर अकाल होना तथा खुले बाजार में चीनी 8 रुपये प्रति किलो ग्राम बिकने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अनीस का था, इसे अस्वीकृत किया गया इसलिए कि 10 तारीख को इस का अनुदान पेश होने वाला है । दूसरा श्री हरिबंश सहायक तथा श्री नन्द किशोर सिंह का, देवरिया जनपद में बाढ़ के कारण फसल की बरबादी से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में, इसे भी अस्वीकृत किया, क्योंकि बाढ़ पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हमसे नाराजी क्या है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

एक सदस्य--

मान्यवर, यह चीनी वाला बहुत अहम मसला है, इस पर वक्तव्य दिला दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

10 तारीख को इस पर आप लोग कह लीजिएगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सरकार की साजिश है, माननीय मुख्य मन्त्री की, उनके मन्त्रिमन्डल की साजिश है । आज 12 रुपये किलो चीनी बिक रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अगर चर्चा करना चाहते हैं, तो इसकी नोटिस दे दें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, यह भी प्रक्रिया है कि सदन में कोई भी सदस्य मांग कर सकता है और इसे आप नोटिस समझें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं अलग से नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हरी किष्ण श्रीवास्तव--

मान्यवर, आप इसे नोटिस समझें ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, नियम 51 में इसको स्वीकार कर लीजिए और इस पर कल चर्चा करवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में तो कोई नोटिस नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, नियम 51 में यह आ सकता है । (व्यवधान) मान्यवर, आज कंटीन से कह दिया गया कि चीनी अवेलेबुल नहीं है, चाय नहीं मिल सकती है । तो मान्यवर, चीनी का एक अकाल है, अखबारों से और व्यक्तिगत रूप से सबको

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

जानकारी है । मान्यवर, 51 में कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार इस पर वक्तव्य दे दें । कल मान्यवर, एक वक्तव्य आया कि 6 रुपये किलो चीनी उपलब्ध होगी, माननीय मुख्य मंत्री का बयान आ गया कि सब जगह चीनी मिलेगी । लेकिन चीनी बाजार से गायब हो गयी । मान्यवर, एक वक्तव्य दिला दें, इससे जनता में कुछ राहत आ जायगी । हमारा निवेदन है कि आप इसको नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार करके वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में तो दिया नहीं गया है, इसलिए मैंने कहा है कि नोटिस आप दे दें, तब चर्चा करवाने पर विचार हो सकता है ।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग,--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग--अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम

(1 बजकर 20 मिनट)

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,99,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,57,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,38,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वास विभाग, अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग ऋण और अग्रिम

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग, ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,70,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,58,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैंने जो यह अनुदान प्रस्तुत किये हैं, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के विशेष कार्यक्रम भूमि व्यवस्था और राजस्व प्राप्ति तथा राहत कार्य व पुनर्वासन से सम्बन्धित हैं। भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सामने प्रदेश के केवल कुछ क्षेत्रों को ही रखना चाहता हूं

[श्री यशपाल सिंह—]

कि इस प्रदेश में कुल कितने खातेदार कितनी-कितनी जोतों के हैं, उससे कुछ आसानी होगी और सहूलियत होगी माननीय सदस्यों को सुझाव प्रस्तुत करने में कि हम किस प्रकार से व्यवस्था को सम्हालें उनको कैसे आगे बढ़ायें तथा भूमि की क्या व्यवस्था हो। मान्यवर, सवा 3 एकड़ तक के जो खातेदार हैं वह लगभग 9 करोड़ 71 लाख 88 हजार 310 हैं। इससे ऊपर साढ़े तीन एकड़ से सवा 6 एकड़ तक के 58 लाख 56 हजार 2 हैं। सवा 6 एकड़ से साढ़े 12 एकड़ तक के 19 लाख 22 हजार 391 हैं। साढ़े 12 से 20 एकड़ तक के 10 लाख 30 हजार 143 और 20 एकड़ से अधिक 3 लाख 3 हजार 426 हैं। कुल खातेदारों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 272 हैं। और मान्यवर कुल कृषि भूमि जो जोत के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में है वह लगभग 9 करोड़ 73 लाख 75 हजार 242 हेक्टेयर है।

ये आंकड़े प्रस्तुत करने का मेरा मकसद केवल इतना है कि हमारे सम्मानित सदस्य इसके सुझाव दें या जो हमारी जोतें बिगड़ती जा रही हैं और अलाभकर होती जा रही हैं एक प्रकार से किस व्यवस्था के आधार पर, क्या व्यवस्था बनायी जाय जिससे हम उनको लाभकर बना सकें। सब से बड़ी संख्या प्रदेश में सवा 3 एकड़ तक के किसानों की है। जो 9 करोड़ 71 लाख 88 हजार 310 है। सवा 6 एकड़ तक 58 लाख 56 हजार 2 है। जिस प्रदेश में मान्यवर, इतनी भारी जोतें अलाभकर हों तो उस प्रदेश के किसान का क्या हो सकता है। तो मैं माननीय सदस्यों से आवाहन करूंगा कि वे अपने विचार इसमें दें कि इसमें भूमि व्यवस्था के द्वारा उनको सुधार कर ऊपर कैसे लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा राजस्व विभाग है वह क्या कर रहा है, इसके बारे में भी अवगत कराना चाहता हूं।

जब से हम लोगों ने शासन ग्रहण किया लगभग 9 जून को तत्पश्चात् तुरन्त ही हमारे समक्ष इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें आयीं कि 1976 से पूर्व हम लोगों ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जितने भूमिहीन हरिजनों को लाभान्वित करने के लिए या उनके सामाजिक सम्मान के लिए, उत्थान के लिए भूमियों का आवंटन किया गया था, वास्तविक कब्जा उन पर पिछले दिनों में नहीं हो पाया है। और यहां तक शिकायतें आयीं कि जिन लोगों को कब्जा दिया गया था उनमें से प्रायः वापस ले लिये गये। बहरहाल इस सम्बन्ध में शासन ने जिलाधिकारियों को तुरन्त आदेश किये कि वे स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर उन भूमिहीनों हरिजनों को वास्तविक कब्जा दिलायें जिनको पट्टे हो गये हैं। 17 जून से यह अभियान प्रारम्भ किया गया और उसको अन्तिम तिथि 30 सितम्बर तक के लिए की गयी। यदि 30 सितम्बर तक उन भूमिहीन हरिजनों को जिनको जमीनें दी गयी हैं कब्जा नहीं मिला, यदि कब्जा नहीं दिलाया गया तो यहां के परगनाधिकारी से लेकर नीचे लेखपाल तक के सभी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ ऐसी सूरत में कि वे कब्जा दिलाने में असफल सिद्ध हुए हैं, कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद मेरे पास 15-8-80 तक की जो सूचना है उसमें 31 हजार 760 व्यक्तियों को 15 हजार 725 एकड़ भूमि पर कब्जा दिलाया गया और इसके साथ-साथ जो सीलिंग की भूमि उपलब्ध हुई उसमें एक हजार 718 व्यक्तियों को 762 हेक्टेयर भूमि पर इस आदेश द्वारा कब्जा दिलाया गया।

इसके पश्चात् हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आयीं कि हमारे बहुत से पट्टेदारों को भारी परेशानी हो रही है जो सम्पन्न लोग हैं जिन्होंने उनको

संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग ऋण और अग्रिम .. ..

जमीन पर कब्जा किया है वे अदालतों के जरिये से उनको परेशान कर रहे हैं और इस प्रकार से कब्जा देने में, दिलाने में सभी लोग असमर्थ हो जाते हैं। शासन इस पर भी विचार कर रहा है और इस सम्बन्ध में अपने असिस्टेन्ट कलेक्टर को उन पट्टे पर कब्जा दिलाने के पूर्ण अधिकार दे दिये जायें ताकि यह परेशानी ही उन बेचारे गरीब लोगों को न हो और उन भूमिहीन हरिजनों को जिनको जमीन देने का उद्देश्य है, वह पूरा हो।

मान्यवर, इस पर यह भी विचार किया गया कि ऐसे लोगों को जिन्होंने दुबारा जमीन पर कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाये जायं और इस सिलसिले में यह विचाराधीन है कि उनको सजा और जुर्माना दोनों जरूरी कर दिये जायें और इस प्रकार से दण्ड के भय से वे कब्जा को दुबारा लेने में असमर्थ हो जायेंगे और हमारे भूमिहीन लोगों को कब्जा मिल सकेगा। इसके साथ-साथ शासन ने सार्वजनिक प्रयोजन की जो भूमि अनियमित पट्टों पर है उनको निरस्त करने के आदेश दिये। और उसमें जो भी उनको बेदखल करने के लिये जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करना पड़े, कर उनको आसामी पट्टे दिये जाने पर विचार कर रही है क्योंकि सीरदारी पट्टे उनको ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं मिल सकते। इसलिए उनको सीरदार न मानकर आसामी पट्टेदार मान लिया जाये। इसके साथ-साथ गांव के जो अनियमित पट्टों की जमीनें हैं उनकी अवधि 5 वर्ष के लिए थी वह इस तरह से बेदखल कर दिये जायें। अनियमित पट्टों को निरस्त कर दिया जाये और वह सम्भवतः 18-8-80 को समाप्त होगा। तो इसको आगे बढ़ाने का भी शासन का विचार है। इसके साथ-साथ हमारी जो भूमि व्यवस्था अभी तक है उसमें अभी तक जो भूमिहीन हरिजनों की जमीन पट्टों पर दी जाती थीं और दूसरे जो भूमिहीन हैं और कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायी हैं जैसे मछली पकड़ने वाले, घाड़ा लगाने वाले, धोबी जो अपने कपड़े धोकर गुजर बसर करते हैं।

इसी प्रकार से जो इस प्रकार के दूसरे लोग हैं, कहार है, कुम्हार हैं, जिनको जमीन की आवश्यकता है, यह शासन विचार कर रहा है कि उनका जो वह अधिकार प्राप्त हों जिस प्रकार के अधिकार हमने ग्राम समाज की भूमि पर भूमिहीन हरिजनों को दिए हैं। इसके-साथ साथ मान्यवर, हमारे तराई भावर की बहुत ज्यादा शिकायतें हमारे पास थीं। वहां पर बहुत दिनों से कुछ अनधिकार कब्जे चले आ रहे थे शासन की जमीन पर और उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। अब स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं कि जो लोग 1975 से पहले के किसान हैं उन सबको कुछ शर्तों के आधार पर रेगुलराइज कर दिया जाय और उसके अतिरिक्त जो किसान वहां यासिबाना कब्जा किए हुए हैं उनको बेदखल करने की कार्यवाही तेज कर दी जाय।

[श्री यशपाल सिंह--]

मान्यवर, इसके साथ-साथ जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 33-ए की ओर जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्राविधान किया गया है कि जिन लोगों ने शासन की जमीन पर अनधिकार कब्जा कर रखा है, उनको बेदखल करने की कार्यवाही तेज की जाय । इसके साथ-साथ सम्मानित सदस्यों को अच्छी प्रकार से मालूम है कि कल इसी माननीय सदन में 26 राजस्व अधिनियमों को निरस्त करके राजस्व संहिता पुरःस्थापित की गई है । हमारे जो भी जमीन के मुकदमे थे वह 26 कानूनों से गवर्न होते थे । बड़ी कठिनाई होती थी वादियों को और सभी को । शासन ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि इनको कांसालिडेट करके एक कन्सालिडेटेड ऐक्ट तैयार किया जाय और इसमें से अपने विभाग के उन सब अधिकारियों को और अपने ला डिपार्टमेन्ट के उन अधिकारियों को जिन्होंने भारी परिश्रम करके इस ऐक्ट को बनाया है, तैयार किया है, उनको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता को इस ऐक्ट के द्वारा भारी राहत प्रदान की है ।

मान्यवर, चकबन्दी कानून में संशोधन करके जो मुकदमात चकबन्दी के दौरान चल रहे हैं उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो इसके लिए भी शासन विचार कर रहा है कि उस अधिनियम में कुछ संशोधन लाये जायं । ऐसा पाया गया है कि केस चल रहा है, एक ऐप्लीकेशन कोई गुजार दी वहां कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी हाई कोर्ट में अपील कर दी, मुकदमा पेंडिंग है । इस प्रकार का संशोधन लाने पर शासन विचार कर रहा है कि वादकालीन आदेशों के विरुद्ध निगरानी न हो पाए ऐसा संशोधन लाया जाय । इसके साथ-साथ यह भी विचार किया गया है कि चकबन्दी के दौरान गांव सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जों को हटाने की कार्यवाही चलती रहे । चकबन्दी के दौरान में ही वह कार्यवाही भी चलती रहे । यह भी विचार किया गया है । चकबन्दी के दौरान सार्वजनिक आबादी तथा हरिजन आबादी के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जाती है । जहां पर भी मैं गया यह जबरदस्त शिकायत आई कि हरिजन आबादी के लिए आप जमीन उपलब्ध करा देते हैं लेकिन उसके अतिरिक्त जो नान-हरिजन हैं उनके आवास के लिए बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है ।

तो मान्यवर, इस बारे में भी सोचा गया । उन सभी नान हरिजन लोगों को, जो भूमिहीन हैं या जो भूमि वाले भी हैं, उनके भी आवास की व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी । साथ ही साथ जो चकबन्दी हमारे प्रदेश में चल रही है उसमें 6 तहसीलों को और शामिल किया गया है । ववरी, छिबरामऊ मोहनलाल गंज, फैजाबाद, आजमगढ़, यह पांच तहसीलें हो रही हैं । अभी तक बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी सबके सामने, जमीन पर कब्जा न हो तो काश्त इन्दराज करने की कोई बात नहीं थी । काश्त उसी की होती है जो असल मालिक है । यह विचार हो रहा है कि उनको कब्जा लेने का राइट दिया जाए । इसमें सरकार के सामने असली पोजीशन रहेगी कि जमीन पर कौन काश्तकार है, कौन काबिज है । मान्यवर, पहले आदेश था इस प्रकार का लेकिन केवल इस वजह से कि लेखपाल धांधलेगर्दी करता है, इसे खतम करना पड़ा लेकिन इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि लेखपाल के हाथ मजबूत न होने पाएं, इस बारे में सोचा जा रहा है कि ऐसा कानून लाया जाए कि कब्जे का इन्दराज सही तरीके से हो और जो काश्त नहीं करता उसको कब्जा करने का मौका न मिले ।

अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-ऋण और अग्रिम . .. ..

दूसरी बात है कि आज कल दैवी आपत्तियों ने प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है पहले सूखे से और फिर बाढ़ से। इस सिलसिले में सदन में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। मेरे ख्याल में दुबारा चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इतना बतला देना आवश्यक समझता हूं कि यह शासन अभी तक लगभग 14 करोड़ रुपए के करीब तकावी और अहेतुक अनुदान तथा और दूसरे प्रकार के अनुदान दे चुका है। जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है लेकिन अभी तक तकसीम नहीं हुआ है। इसके बारे में पूरी तरह से यह देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों की इस पर शिथिलता है। जिन अधिकारियों की शिथिलता पाई जाएगी उन अधिकारियों को दण्डित करना आवश्यक किया जाएगा। आपत्ति के समय इस प्रकार की शिथिलता बरतना कोई भी शासन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उन अधिकारियों के खिलाफ अवश्य ही कठोर कदम उठाए जायेंगे। हमने गृह अनुदानों में पैसा बढ़ाया है और प्रयास यह किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। यह बात सही है कि हमने कच्चे मकानों के लिए 500 रु० से लेकर 800 रु० तक देने का प्राविधान कर रखा है। बहुत से स्थानों पर यह पूरा रुपया देने में कुछ असमर्थता आ जाती है। इस बार ऐसा हुआ है कि इतने भारी मकान गिरे हैं जितने कि शायद सन् 78 की बाढ़ में भी नहीं गिरे थे। मान्यवर सभी को 500-800 रुपए देने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। उन संसाधनों की दिक्कत को देखते हुए उ.में कुछ कमी करना पड़ा रहा है। लेकिन कोशिश यह की जाती है कि जहां मकान पूरा तरह से गिर गए हों, उनको कम से कम 500 रुपए जरुर मिले और वहां पर उनकी संख्या इतनी चुनी जाय जितना कि मकानों की रिलीफ के लिए धन एलाट हुआ है और पूरा रुपया देना सम्भव नहीं है। लेकिन वहां के विधायकों, अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधिओं का मत हो तो उन सभी लोगों की वहां के आवंटित रुपए को तकसीम कर दिया जाय तो वहां पर आदेश जरूर गए हैं कि ऐसे स्थानों में कम से कम 200 रुपए का अनुदान अवश्य दिता जाय।

मान्यवर, इसके साथ-साथ उन अधिकारिओं के तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में बहुत बार इस माननीय सदन में बहुत से प्रश्न उठते रहे हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों के रेशुलराइजेशन को किया जाय तो उनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में और दूसरे प्रकार की परेशानियों के सम्बन्ध में, मान्यवर, मोटे-तौर पर बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में शासन ने विचार किया है और उसके ऊपर आदेश किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की कोई अनियमितता न होने पाए और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का जिस रुपए से उनको अधिकार हो, यह उसी समय से प्राप्त हो।

मान्यवर, अब बजट के बारे में और अधिक विचार न रखते हुए अपने विचारों को समाप्त कर रहा हूं और इस माननीय सदन के सभी माननीय

[श्री यशपाल सिंह--]

सदस्यों के विचारों का आवाहन करता हूं कि वे इस राजस्व विभाग के सम्बन्ध में हमारा मार्गदर्शन करें, राय दें और, मान्यवर, हमारे सामने जो भी कनक्रीट सुझाव और प्रस्ताव आयेंगे, उनको स्वीकार करने में कोई संकोच हमको नहीं होगा ।

तो, मान्यवर, पुनः अब माननीय सदस्यों का आवाहन करता हूं कि वे इस राजस्व अनुदान के सम्बन्ध में अपनी राय से हमको लाभान्वित करें ।

श्री भोखा लाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानंद पीठासीन हुए ।]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 112--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-ऋण और अग्रिम

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 113--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस विभाग के बजट अनुदानों पर यह सदन विचार कर रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है । यह विभाग कृषि क्षेत्र की व्यवस्था का उत्तरदायित्व है जो हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है और हमारे प्रदेश की आय में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करता है । अगर हमारे इस क्षेत्र की व्यवस्था ठीक न हुयी तो यह सही है कि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं होगी । मान्यवर, जिस समय हमारे क्षेत्र में अंग्रेज शासन करते थे तो उन्हें अपने शासन को चलाने के लिए पूरे देश और प्रदेश का शासन चलाने के लिए, एक ऐसा वर्ग उन्होंने पैदा किया था जो उनके शासन को चलाने में सदा मदद करता रहा, वह वर्ग जमींदारों का था । लेकिन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जमींदारी समाप्त करने का नारा दिया गया और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ और अपनी सरकार बनी तो हमारे प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि हमारे प्रदेश ने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का विधेयक पास किया । लेकिन मान्यवर, जमींदारी उन्मूलन के बाद जो हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी तो इन्होंने भी कुछ अंग्रेजों की नकल की और हमारे सामाजिक जीवन में एक ऐसा वर्ग पैदा करने की कोशिश की जो जमींदार तो नहीं हैं लेकिन वह इस कांग्रेस पार्टी को चलाने में और सत्ता में कायम रखने में पूर्ण सहयोग करते रहे । अतः जमींदारी उन्मूलन के बाद भी एक ऐसा धनी किसानों का वर्ग पैदा किया गया जो शासक पार्टी को सहयोग करता रहा, वह वर्ग आज भी है ।

हमारे प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बाद जितनी भूमि उपलब्ध थी, सरकारी आंकड़ों के आधार पर हमारे प्रदेश में 32 लाख 14 हजार, 827 एकड़ जमीन ऐसी थी जो कृषि योग्य थी और ग्राम समाजों को बांटने के लिए दी गयी थी । जाहिर है कि इसकी मंशा थी कि हमारे प्रदेश में जो लोग भूमिहीन हैं उनमें जमीन बांटी जाय । यह जमीन करीब 12 लाख हेक्टेयर होती है । लेकिन यह जो राजस्व विभाग की पुस्तिका मिली है उसमें दिखाया गया है कि मार्च 1980 तक 6 लाख 10 हजार 238 हेक्टेयर भूमि भूमिहीनों को बांटी गयी । साढ़े 12 लाख हेक्टेयर में से केवल 6 लाख हेक्टेयर जमीन 1952 के बाद आज 28 वर्षों में बांटी गयी है । बाकी भूमि कहां गयी इसका हिसाब क्यों नहीं दिया गया है । अगर उसका हिसाब इनके पास नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े फार्म कायम किये गये हैं उनके पास

[श्री भीखा लाल—]

यह जमीन है। तमाम जिलों में जो बड़े-बड़े धनी किसान आपने पैदा किये हैं वह जमीन इन लोगों ने लूट ली है। जमीन यदि बांटी जाती तो यह फार्म नहीं बन सकते थे। इसीलिए इस स्थिति को देखकर हमारे प्रदेश में जमीनों के पुनर्वितरण और जमीनों की जोत की सीमा घटाने का आंदोलन तेज हुआ। उस आंदोलन के सामने शासन वर्ग को झुकना पड़ा और 1960 में भूमि सीमा आरोपण विधेयक, सीलिंग कानून इस प्रदेश में बनाया गया। वह भी कानून मान्यवर, आधे मन से बनाया गया क्योंकि उस समय हमारे प्रदेश में जो राजस्व मंत्री थे, 1960 में चौधरी चरण सिंह, तो वह जोतों में सीमा बांधने के पक्षधर नहीं थे और न आज हैं। 1959 में जब नागपुर में इसी संबंध में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो हमारे प्रदेश से चौधरी चरण सिंह जी गये थे वहां जहां विचार इस बात के लिए हो रहा था कि सीलिंग का कानून बनाया जाय, तो चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया था। चूंकि एक नीति बन गयी की सीलिंग कानून बनाया जाय तो हमारे प्रदेश में वह बना लेकिन शासन में चौधरी चरण सिंह जो प्रभावशाली व्यक्ति थे इसलिए उनके शासन काल में सीलिंग का कानून लंजपंज बनाया गया और अनेकों चोर दरवाज छोड़े गये जिससे धनी व्यक्ति ऐसी जोतों को बचा सकें। धनी किसान शासन की पार्टी के ज्यादा हिमायती थे जिनको वह तोड़ना नहीं चाहते थे और उस समय जब हदबंदी का कानून यहां इसी सदन में पेश हुआ, तो मैं उस समय सदन का सदस्य था, स्व0 ठाकुर हुकुम सिंह बिशेन जी राजस्व मन्त्री थे उन्होंने घोषणा किया कि इस विधेयक के लागू होने से 14 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी जो भूमिहीनों को बांटी जायेगी। लेकिन 1959 का जो कानून लागू हुआ, उससे आज की स्थिति यह है कि 40 लाख एकड़ की हदबंदी रखी गयी थी, उसको लागू होने के बाद 1980 तक 1,99,925 एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित की गयी। सरकार के कब्जे में 1,99,305 एकड़ आयी। तो कहां 14 लाख एकड़ जमीन मिलने की उम्मीद थी वहां लगभग 2 लाख एकड़ जमीन मिली है और जिसमें 1,94,879 एकड़ जमीन बांटी गयी है।

लेकिन इसके खिलाफ हमारे प्रदेश के भूमिहीनों ने आंदोलन चलाया कि विधेयक में संशोधन किया जाय। तो सरकार ने उसमें संशोधन भी किया और 1972 में सीलिंग की सीमा घटाकर 18 एकड़ कर दिया। उस समय सदन में घोषणा की गयी कि इस संशोधन के लागू होने से ढाई लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी बांटने के लिए किन्तु मिली उससे कुछ अधिक। सरकार के आंकड़ों को देखें तो 2,79,600 एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित की गयी। उसमें से 2,52,338 एकड़ में सरकार को कब्जा मिला और उसमें से 2,20,302 एकड़ जमीन बांटी गयी है। तो 1959-60 के विधेयक मुताबिक और 1972 मे 18 एकड़ की हदबन्दी जो हुई तो दोनों के बाद अबतक प्रदेश में कुल भूमि बांटी गयी है, 4,15,181 एकड़। जबकि अनुमान यह था कि साढ़े 16 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी जो बांटी जायेगी।

इन आंकड़ो के आधार पर मैं कहूं कि सरकार का सीलिंग का कानून असफल हो गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार भी महसूस करती है कि असफल हुआ। इसलिए सरकार ने एक मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उसने बड़ा प्रयास करके एक रिपोर्ट तैयार किया जो इस प्रदेश की विधान सभा का ऐतिहासिक डाकूमेन्ट है। लेकिन उसकी रिपोर्ट को सरकार ने लागू नहीं किया। यदि उसको लागू करते तो जो बड़े-बड़े किसान जो सरकार के समर्थन में बैठे हैं वह टूट जाते।

संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92—राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112—राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47—सहायता और पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 83—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113—सहायता एवं पुनर्वासन-विभाग ऋण और अग्रिम

बड़े-बड़े लोग जो सरकार के समर्थक हैं, सरकार के साथ हैं, उन्हीं की जमीन को निकाल लेने के लिहाज से मंगल देव विशारद कमेटी की रिपार्ट, एक ऐतिहासिक डाकुमेंट, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है । उसे लागू करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया । इसलिए मैं कहता हूं कि यह सीलिंग का कानून अपने उत्तर प्रदेश में फेल हो गया है ।

माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अभी आंकड़े बताये और उनसे मेरी दलील को बल मिला कि सीलिंग का कानून जरूर फेल हो गया । माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा हमारे यहां 20 एकड़ से ऊपर की जोतें 10,30,143 हैं और 30 एकड़ से ऊपर की जोतें 3,03,326 हैं । तो अगर दस लाख और 3,03,326 जोत अभी तक 20 एकड़ से ऊपर हैं और 18 एकड़ का हदबंदी कानून लागू हो गया उत्तर प्रदेश में, तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि हदबन्दी कानून फेल हो गया है उत्तर प्रदेश में । राजस्व मंत्री जी के तर्क से हमारा तर्क मजबूत होता है । हदबंदी फेल हो गई है ।

मान्यवर, इस प्रदेश के करीब-करीब 30 प्रतिशत भूमिहीन अभी तक कृषक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं । इन आदमियों के दो-दो हाथ हैं, इनमें श्रम की शक्ति है, उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन कर सकते हैं प्रदेश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अगर इनको उत्पादन में लगाने की योजना है तो उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है । यदि इनकी क्षमता का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि आप का भूमि सुधार कानून कृषि व्यवस्था को मजबूत करने में फेल हो रहा है । जो आंकड़े हमारे राजस्व मंत्री जी ने दिये जोतों के हिसाब से उनमें क्या परिवर्तन हुआ है । हमारे उत्तर प्रदेश में 1970-71 में जब 18 एकड़ सीलिंग का संशोधन लागू नहीं हुआ था दो हेक्टयर से ऊपर के काश्तकार 84 प्रतिशत थे और उनके पास 41·9 प्रतिशत जमीन थी । अब 1976-77 के बाद दो हेक्टयर के ऊपर काश्तकार हैं उनकी संख्या 84 प्रतिशत से 85.7 प्रतिशत हो गई और जमीन बढ़ कर 45·4 प्रतिशत हो गई ।

छोटे काश्तकार की सिर्फ चार प्रतिशत जमीन बढ़ी है और इसी अनुपात में बड़े काश्तकार की घटी है । इतने सुधार करने के बाद, इतनी जमीन बटवाने के बाद, जो छोटे काश्तकार हैं उनके पास जो जमीन है उसका जो प्रतिशत है, जो बढ़ा वह बिल्कुल नगण्य है और उनकी जो संख्या बढ़ी है वह भी नगण्य है । इससे प्रतीत होता है कि हमारे यहां जो जमीन का बटवारा हुआ है इन तमाम भूमि सुधारों के बावजूद दोषपूर्ण है और सही तरीके से नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की कि हमारे यहां सवा तीन एकड़ की जोतें 1,71 88,000 हैं और सवा छः एकड़ की 58,56,000 हैं । यह अलाभकारी जोतें हैं । अलाभकारी जोतों को कैसे लाभकारी बनाया जाय, यह चिन्ता राजस्व मंत्री जी ने व्यक्त की

[श्री भाखा लाल--]

है । हमें भी चिन्ता है कि कृषि उत्पादन बढ़े कैसे । लेकिन इस चिन्ता के पीछे एक दूसरा तर्क छिपा हुआ है, यह जमीन बंटवाने का तरीका सही नहीं समझते। जितना जमीन बंटवायेंगे, छोटी-छोटी अलाभकारी जोतें ज्यादा बढ़ेंगी शायद उनकी यही मंशा है ।

ज्यादा जमीन न बंटवाई जाय वर्ना अलाभकर जोतें बढ़ जायगी । अगर अलाभकर जोतों को खत्म करके बड़े-बड़े फार्म बनाये जायं, अगर ऐसी मंशा है शासन की तो माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करें । अगर अलाभकर जोतों को लाभकर बनाना चाहते हैं तो जो कानून बने हुए हैं उनको क्यों नहीं अमल में लाते ? सीलिंग एक्ट में है कि जो छोटी-छोटी जोतें हैं उनको कृषि कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्तर्गत लाया जाय । शासन बतलाये कि उसने इस दिशा में क्या प्रयास किया है । छोटी-छोटी जोतों में सहकारी खेती के द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास अगर न किया गया तो वे अलाभकर जोतें रहेंगी । मैं दो ऐसे देशों में गया हूं पूर्वी जर्मनी तथा जेकोस्लोवाकिया जहां पर सहकारी खेती को अपनाया गया । पूर्वी जर्मनी 45 में हिटलर की गुलामी से आजाद हुआ । शुरू में वहां कुछ सहकारी समितियां कायम हुई और 60 तक पूरे मुल्क में सहकारी खेती से उत्पादन होने लगा । शासन से उनको मदद मिली और उन्होंने कार्य इतनी अच्छी तरह से सम्पन्न किया जिससे वहां की पैदावार बढ़ी और वहां के कृषकों की आर्थिक स्थिति सहकारी सोसाइटीज में शामिल होने से काफी अच्छी हुई । फिर एक गांव के बाद दूसरे गांव के किसान सहकारी समितियों में शामिल होते गये और 60 तक पूरा देश सहकारी समितियों में बंध गया और उनसे किसानों की आमदनी तीन गुनी हो गयी । वही स्थिति जेकोस्लोवाकिया की है । अगर अलाभकर जोतों को आप लाभकर बनाना चाहते हैं तो इस तरफ प्रयास करिये ।

हमारे प्रदेश और देश में व्यक्तिगत सम्पत्ति की तरफ लोगों को मोह ज्यादा है जिसकी वजह से सहकारी खेती में जमीन देने से घबड़ाता है । आप प्रयास करें और सहायता दें छोटे पैमाने पर ही सही तो दूसरे कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा इन सहकारी समितियों में शामिल होने के लिये । इससे छोटी जोतें लाभकर बन सकेंगी और उनका उत्पादन भी बढ़ सकेगा । जमीन के बटवारे का जहां तक सवाल है जमीनें बटती हैं, पट्टे किये जाते हैं और जो अनाधिकार कब्जे होते हैं उनको हटा कर जमीनें उनको दी जाती हैं लेकिन अधिकांश मामलों में जिन पट्टेदारों को जमीनें दी जाती हैं उनको कब्जे नहीं मिले हैं और सरकार उसके लिये हर साल अभियान चलाती है जिलाधीशों को सरकार ने आदेश दिये हैं 30 सितम्बर तक सबको कब्जे दिला दिये जायं । लेकिन कब्जे नहीं मिल पाते हैं । लोग डंडे के बल पर काबिज रहते हैं । जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में इस बात का प्राविधान है अगर कोई इस तरह का अनधिकार कब्जा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके उसे दंडित किया जाय । 123 की धारा है । 1976 में यह संशोधन हुआ था । क्या इस पर अमल हो रहा है ? नहीं हो रहा है । अगर इस पर सख्ती से अमल होता तो इन जमीनों को दिलवाने में कठिनाई न होती । हर वर्ष सरकार यह अभियान चलाती है, हर सरकार के जमाने में यह अभियान चलाया गया लेकिन कब्जा आज तक नहीं मिल पाया । अभियान चलाते रहेंगे और कब्जा उनको न मिले तो इससे क्या फायदा होगा ? इसमें होता यह है कि अधिकारीगण फर्जी फीगर्स भेज देते हैं और मौके पर नहीं जाते हैं । दोषी व्यक्तियों को दन्डित करने की प्रक्रिया नहीं की जाती है । दूबारा दन्डित करना तो दूर रहा, पहली बार भी एक बार भी उनको दन्ड देने की कोशिश

नहीं की जाती है । इसी तरह से आवास की जमीन के सम्बन्ध में है । इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा जो अधिकार आपको अभी तक मिले हुये हैं हमारे मौजूदा कानूनों में, उनका सख्ती से प्रयोग किया जाय ताकि जो आप वाकई कब्जा दिलाना चाहते हैं, वह उनको मिल सके ।

अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि लेखपालों को कब्जे का इन्द्राज करने के लिये अधिकार दिया जा रहा है और शासन इस पर विचार कर रहा है । उसका वेरिफिकेशन होगा । ठीक है वेरिफिकेशन होना चाहिये । यह अधिकार पहले था, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग होता था और इस वजह से शासन ने वह अधिकार ले लिया था और फिर अधिकार देने जा रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उस अधिकार का दुरुपयोग न हो । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लेखपाल जो हैं वे जल्दी-जल्दी कब्जे का इन्द्राज नहीं करते हैं जब तक कि काबिज काश्तकार एप्रोच नहीं करता, अनुनय विनय नहीं करता, उसकी हथेली गरम नहीं करता । एक दफे कब्जा हो जाने के बाद वह फिर खारिज नहीं करता जब तक कि उसकी मुट्ठी गर्म न की जाय ।

अब आपके विद्वान अधिकारी फिर सोच रहे हैं कि लेखपालों को यह अधिकार फिर दिया जाय । मेरा सुझाव है कि जब कभी लेखपाल किसी काश्तकार की जमीन पर दूसरे काश्तकार का कब्जा लिखे तो असली काश्तकार को उसकी सूचना अवश्य दे दी जाय कि उसके खेत पर फलां आदमी का कब्जा लिखा गया है । ताकि अगर वह गलत लिखा जा रहा हो तो वह सम्बन्धित अधिकारी से कह सकेगा वरना वह तो अंधेरे में रहेगा । ऐसे बहुत से केसेज हुये हैं । 10-10 और 15-15 सालों चोरी-चोरी तक कब्जे लिखाने के बाद असल काश्तकार के खिलाफ मुकदमा दायर करके उससे खेत छीन लिया गया । तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये उनको अधिकार दें ।

अदालतों के बारे में आपने कहा कि हम ऐसा-ऐसा चकबन्दी के सिलसिले में कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कोई काम न करें, जिसमें आपको अड़चन पड़े और बाद में कोई स्टे आर्डर ले आवे । सीलिंग के सम्बन्ध में यह आमतौर से हो रहा है कि जमीन अतिरिक्त घोषित करने के बाद भू-स्वामी अदालत से स्थगन आदेश ले लेते हैं और सरकार उसको वैकेंट नहीं करा पाते । इसके लिये आपको रास्ता निकालना चाहिये । जो तिकड़मी होते हैं, उनको रोकने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये । एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जमीनों के जो पट्टे दिये गये हैं सन् 76 में जो योजना चली जमीनों को बांटने की जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया कि बहुत से लोगों को पट्टा दिया गया,

[श्री भीखा लाल--]

उसमें बहुत से ऐसे लोगों को पट्टे दिये गये जो सार्वजनिक उपयोग के लिय छोड़ी गई जमीन थी। पहले तो उसको पट्टा मिल गया और बाद में पता चला कि उसको पट्टा नहीं होना चाहिये था। वह लगभग 1 लाख के करीब हैं। उनका कब्जा हटाया जा रहा है। उनका पट्टा निरस्त करके कब्जा हटाया जा रहा है। शासन यह भी विचार कर रहा है कि उनका कब्जा न हटाया जाय उनको आसामी के अधिकार दे दिये जायं। तो मान्यवर, एक दफा कब्जा हटा लिया, फिर कब्जा दिलाया, यह सब क्या हो रहा है यह तो घोड़े के आगे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आदमी अदालतों में मारे-मारे फिर रहे हैं। पहले बेदखल किया और फिर उसे कब्जा दिया, इसलिए बेदखल करने और कब्जा हटाने से पहले ही उनको आसामी का अधिकार दे दिया जाना चाहिये। मुकदमेबाजी न हो इसके लिये आपको आवंटियों को प्रोटेक्शन देना चाहिये। होता क्या है कि शासन की तरफ से किसी को पट्टा दिया गया, लेकिन उस पर एक्स, वाई, जेड ने उजर कर दी तो वह आदमी जमीन के लालच में चार-पांच साल तक अदालत में दौड़ता फिरता है, इसमें उसकी जो घर की कमाई है, वह भी चली जाती है। इसलिये जो आवंटी हैं, उनको निरर्थक मुकदमेबाजी से बचाने के लिये कोई रास्ता निकाला जाय, जिससे वह ज्यादा परेशान न होने पाये।

मान्यवर, अब दैवी आपदाओं के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल राजस्व मन्त्री जी ने बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था और पूरे प्रदेश का यहां पर चित्र रखा था आज भी उसी सम्बन्ध में कुछ बातें बतायी हैं। आपने कहा कि जिलाधिकारी के पास रुपया भेज दिया गया है। अगर वह खर्च नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती की जाय ताकि वह रुपया बटवायें। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। जिन जिलाधिकारियों की जरूरत के मुताबिक पैसा नहीं दिया गया और उन्होंने मांग की है, उनको भी देने की व्यवस्था करें। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे उन्नाव जिले से करीब 80 लाख रुपये की मांग आई है, लेकिन अभी तक कुल 15 लाख रु० दिया गया है। इस वास्ते बंटवारे का काम पूरे संतोषजनक तरीके से नहीं हो रहा है। आपका जो मापदन्ड है कि पूर्ण रूप से गिरे हुये मकानों के लिये कम से कम दो सौ रुपया दिया जाय लेकिन हमारे यहां फ्लैट रेट पर एक सौ रुपया दिया जा रहा है। इसलिये उचित मांग जो जिले से आई है, उसे दें। इन आपदाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 1978 में जबरदस्त बाढ़ आई, जिससे बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेश का प्रभावित हुआ। हमारे प्रदेश में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ, इसे शासन मानते हैं करीब 50 प्रतिशत फसल नष्ट हुई। इसी वजह से उन इलाकों में लगान मुलतवी कर रखी है।

पिछले वर्ष सूखा पड़ा और रबी तथा खरीफ दोनों फसलों पर असर पड़ा, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ। जिसे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा, मुख्य मन्त्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा। तो इन दोनों फसलों का भी लगान मुलतवी है। इस साल बाढ़ आ गई और पूरे प्रदेश की खरीफ की फसल चौपट हो गई। शासन ने इस साल का भी लगान मुलतवी कर दिया है। पहले मुख्य मन्त्री जी का एक बयान आया कि 31 दिसम्बर तक मुलतवी है। हाल ही में एक बयान आया है कि 30 नवम्बर तक मुलतवी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब आप मानते हैं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो अंग्रेजों के जमाने का रेवेन्यू मैनुअल बना था, जिसमें किसानों को छूट देने के जो नियम बने हुये

थे उससे आप गाइड न हों वह दकियानूसी जमाने की थी, उसे आप दफना दें, क्योंकि उनकी नियत किसानों को छूट देने की नहीं थी। अब आप नये नियम बनावें। जिससे पचास प्रतिशत नुकसान होने पर किसानों को छूट मिले। आप तो उसी से गाइड हो रहे हैं और किसानों को लगान की छूट नहीं दे रहे हैं।

[2 बजकर 20 मिनट]

अब–आप सोचें तीन वर्ष से लगातार किसान दैवी आपदा से परेशान हैं और उससे किसान की आर्थिक स्थिति क्या होगी ? वह बिलकुल चरमरा गई है। यदि आगे की रबी की फसल अच्छी भी हो गई तो चारों फसलों का इकट्ठा लगान वसूली करने के लिए सरकार के आदेश अवश्य चले जायं, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सवाल यह है कि क्या किसान चार सालों का लगान एक साथ दे भी पाएगा या नहीं ? मैं समझता हूं कि वह घर–गृहस्थी बेच देने पर भी सारे साल का एरियर नहीं दे पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर विचार करें, यदि मुलतवी शुदा लगान माफ नहीं किया गया तो किसान उसे हरगिज नहीं दे पाएगा और उसे किसानों में हाहाकार मच जाएगा।

मान्यवर, मैं शासन को धमकी नहीं चेतावनी देना चाहता हूं और आने वाली स्थिति के अगाह करना चाहता हूं कि किसानों में इस वसूली के खिलाफ जबरदस्त असन्तोष और भय व्याप्त है, वह इसकी खिलाफत करने के लिए डट कर तैयारी कर रहा है। वह विचार कर रहा है कि हम लगान नहीं देंगे। यदि आप गिरफ्तारी निकालते हैं तो गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे का पूरा गांव तैयार हो जाएगा। नो रेन्ट कम्पेन को किसान तैयारी कर रहा है। तो यह सरकार किसानों के साथ कन्फ्रन्टेशन न करें तामिलनाड् सरकार की तरह से, जहां पर डेढ़–दो सौ किसान जब गोली से मार दिए गए तब सरकार ने जाकर 45 करोड़ रुपया छोड़ा। तो आप भी वही भूल यहां न करें और चार वर्षों के मुलतवी शुदा लगान को माफ कर दें। मान्यवर, हमारे राजस्व का ढांचा ऊपर से नीचे तक बड़ा भारी और विस्तृत है। राजस्व परिषद् से लेकर नीचे तक बड़ा लम्बा–चौड़ा अमला है। अब इसके लिए जिलों में ए0 डी0 एम0 (सीलिंग) बना दिए गए हैं। इसी विभाग में लैन्ड रिफार्म कमिश्नर और असिस्टेन्ट लैन्ड रिफार्म कमिश्नर भी हैं। तो यह क्या पूरी तरह से इन्हीं कामों को देखते हैं, जो इनके जिम्मे हैं।

आज इन लैण्ड रिफार्म कमिश्नर का भूमि सुधार के सम्बन्ध में कोई काम नहीं है और ए0 डी0 एम0 (सीलिंग) के पास भी अतिरिक्त काम बहुत ज्यादा है, जिससे सीलिंग के प्रति इनकी चिन्ता बहुत कम है। इसलिए यदि वास्तव में आप भूमिहीनों की हालत सुधारना चाहते हैं तो आपको भूमि सुधारों के लिए अलग

[श्री भीखा लाल--]

से एक निदेशालय बना देना चाहिये, जिसके अधीन केवल भूमि सुधार का ही काम रहे। और उसी के नीचे ए0 डी0 एम0 (सीलिंग) आदि रहें और सब एक मात्र केवल यही काम करें और यह देखें कि जो इसके लिए कानून बने हुए हैं, उनका कहां तक पालन होता है। नहीं तो आप इसके लिए कानून बनाते रहेंगे, किन्तु समस्या तनिक भी हल न होगी। आप अभियान चलायेंगे कि भूमिहीनों को कब्जा दिया जाए, लेकिन यह हो नहीं पाएगा। मैंने पहले जैसा कहा भूमि के आवंटी हैं, उनकी सुरक्षा देने के लिए, उसपर उनका कब्जा बनाये रखने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएं, उस ओर आगे बढ़ें। मान्यवर, अन्त में यह जो हमारे प्रदेश में जमीनों के मामलें में असमानता है, जिसके बारे में आपने भी बताया कि छोटे काश्तकारों की संख्या असंख्य है, इसके लिए सोचें कि इस स्थिति को कैसे दूर किया जाय और इनके मध्य सहकारी समितियों का गठन कैसे किया जाय। इस पर सरकार को ठंडे दिल से सोंचना चाहिए।

जोतों की असमानता को दूर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि नये सिरे से जमीन का प्रदेश में बंटवारा न किया जाय। जिस प्रकार से चकबन्दी कानून की धारा 4 के अधीन नोटिफिकेशन करने के बाद किसानों के सभी अधिकार सरकार में निहित हो जाते हैं उसी प्रकार से एक कानून ऐसा बनाया जाय जिससे सभी काश्तकारों के शासन में निहित हो जाने और नये सिरे से जमीनों का बंटवारा किया जाये। अधिकार मिल जाय। जब आप नये सिरे से भूमि का बंटवारा करा देंगे तभी यह असमानता दूर होगी और काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा और इस प्रकार से सहकारी समितियों में किसानों को संगठित किया जाय तब और प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी। इससे देश की अर्थ व्यवस्था भी मजबूत कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री सीता राम निषाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी इस लोकप्रिय जन कल्याणकारी सरकार की ओर से राजस्व से सम्बन्धित जो अनुदान आज सदन में पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से राजस्व के सम्बन्ध में मैं कुछ बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस जन कल्याणकारी सरकार की यह मंशा है कि इस प्रदेश में बसने वाले निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन देकर उन्हें जबान दी जाय, उनको जीवकोपार्जन का सहारा दिया जाय। भूमिहीन किसानों को आगे भी जमीन देने की व्यवस्था की जायगी यह हमारे शासन की मंशा है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जो जमीन बांटी गयी थी, अभी पिछली 16 जून से 17 जुलाई तक कब्जा दिलाओं जो अभियान हमारी इस सरकार ने चलाया था, उसके अन्तर्गत जो शासन की मंशा रही है उसके अनुसार जिलों में उन गरीबों को कब्जा दिलाने का काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि शासन इस पर गम्भीरता से विचार करे कि क्या कारण रहे हैं कि यद्यपि कई वर्षों से प्रयास हो रहा है कि भूमिहीनों को उनकी जमीन पर कब्जा मिले लेकिन वह नहीं दिलाया जा सका है।

आज भी मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि पचासों गांव ऐसे हैं जहां पर 2-3 साल से पट्टे हुए हैं लेकिन उनपर उन्हें आज की तारीख तक कब्जा नहीं मिला है। जिले के एवं तहसील के अधिकारियों की ओर से सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी हैं कि 16 जून से 17 जुलाई तक कब्जा दिला दिया गया है परन्तु उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका पुनरीक्षण कराया जाय और उनके कब्जे सुनिश्चित करायें जायें। जब इस प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ था तो उसमें जमीन पर खेती करने वालों को भूमिधरी और सीरदारी का अधिकार दिया गया था लेकिन इस समय इस प्रदेश में ऐसे लोगों को जो नदियों के कछारों में खेती करते हैं, खरबूजे वगैरह लगाते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से जमींदारी उन्मलन कानुन के अन्तर्गत जमीन पर खेती करने वालों को भूमिधरी और सीरदारी के अधिकार दिये गये हैं उसी प्रकार इन जलाशयों नदियों पोखरों, आदि में जल में तथा कछार में पैदा करने वालों को भी कानूनी अधिकार प्रदान किये जायें, इन मछुआ निषाद समुदाय के लोगों को, जो यह पेशा करते हैं, और उनका पुस्तैनी पेशा चला आ रहा है, उनको जलधारी अधिकार दिये जायं। उनको जीवकोपार्जन की सुविधा दी जाय। आज झीलों और नदियों के किनारे हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है जिसे बड़े-बड़े लोग ही हथियाये हुये हैं, उनका नाजायज कब्जा बना हुआ है वह भूमि इन मछुआ नाविक समुदाय के लोगों को ही मिलनी चाहिये।

मान्यवर, 10 अक्तूबर, 1975 को राजस्व अनुभाग 12 से एक आदेश प्रसारित हुआ था जिसका नम्बर 10080 है, उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि गांव सभाओं के अन्तर्गत ताल पोखरी झील जलाशय आदि की जमीन मछली पालने वाले या सिंगाड़ा आदि पैदा करने वाले मछुव समुदाय के लोगों को ही 10 साल के पट्टे पर दी जायेगी, परन्तु उन आदेशों का पालन सख्ती से आज तक नहीं हो पा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस आदेश का सख्ती से पालन किया जाये। हमारे प्रदेश में इन मछुआ निषाद समुदाय की ही 60 लाख की आबादी है। इसलिये इनको लाभान्वित करने के लिये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा नियमावली में भी आवश्यक संशोधन किये जायें। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा यह कभी दूर नहीं होगी।

ऐसी ही प्रदेश में जिले हैं जहां बड़ी-बड़ी लम्बी नदियां हैं, वहां मछली के शिकार की नीलामी की जाती है। इस नीलामी की प्रथा के कारण इसका ठेका बड़े-बड़े लोग ले लिया करते हैं, मगर वे काम सारा मछुवा मजदूर वर्ग से ही लेते हैं। इस प्रकार से गरीब मछुवारों का, जो इसका पेशा करते हैं उनका शोषण होता है। उनके कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि इस नीलामी प्रथा को समाप्त किया जाय और जो लोग यह पेशा करते हैं उन्हीं को यह काम दिया जाये।

[श्री सीता राम निषाद--]

आबादी और रास्तों के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज गांवों में हमने देखा है, तमाम ऐसे निर्बल वर्गों के मकान बने हैं जो कि आज भी आबादी नहीं दर्ज हैं। सवर्ण जाति के लोगों की आबादी भी हमने देखा है कि सैकड़ों साल से उनके मकान बने हैं, लेकिन उनकी भी आबादी नहीं दर्ज है, बल्कि कागज पर किसी की बाग या किसी का चक दर्ज हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि राजस्व कानून में यह व्यवस्था कर दी जाय कि परताल करने मौके पर जो भी जाय, अगर आबादी है, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे सवर्ण का हो, वह आबादी का इन्द्राज करके आबादी खाते में सम्मिलित कर दिया जाय और यदि अन्य कोई चीज दर्ज हो, तो वह खारिज कर दिया जाय इसे नक्शे में जो दर्ज किया जाय और जो मार्ग आदि हैं, उन्हें मार्ग दर्ज कर दिया जाय क्योंकि रास्ते के बारे में आये दिन झगड़े खड़े हुआ करते हैं। इन शब्दों के साथ में इस राजस्व अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम स्वरूप निम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस राजस्व अनुदान को माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने बताया है कि प्रस्ताव के द्वारा हमने हरिजनों के लिये जो पट्टे दिये थे, उन्हें दिलाने का भरसक कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की यह नीति, इस तरह की यह भ्रामक नीति और अधिक समय तक ज्यादा चलने वाली नहीं है। वह इस तरह से हरिजनों को बांट कर के अपने वोट बटोरने की नीति को छोड़कर न्यायपूर्वक और सच्चे दिल से उनकी भलाई करना है, तो उनके लिये कोई आर्थिक प्रोग्राम तय करें। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक उसकी जमीन का बोझ कम नहीं होगा और आज यहां जमीन के पट्टे के बटवारे की बात कही गयी है। दूसरी तरफ आंकड़े देकर बताया गया है, एक आदमी इस प्रदेश के अन्दर 30 एकड़ से अधिक खेती वाले हैं उन्हें देख कर ताज्जुब होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस भूमि के झगड़े में जो हरिजन के पास अपना आर्थिक पैसा था, वह सब उस मुमदमेबाजी में खर्च करके आज वह रो रहा है और जमीन उसे एक टुकड़ा भी नहीं मिली। तो मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इसके बारे में वह कोई ऐसा बिल या प्रस्ताव लायें कि जो जमीन हरिजन को दी जायगी, उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट या न्यायालय के अन्दर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जायगा। जब तक ऐसा प्रस्ताव नहीं होगा, तब तक इस तरह का जमीन का झगड़ा चलता रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के बंटवारे के लिए जो उन्होंने आदेश दिये हैं और जो उन्होंने अपेक्षा की है, मैं समझता हूं कि वह सम्भव नहीं है।

आज जब पटवारी की स्थिति यह है कि अगर खतौनी की नकल जब किसान को देना है, तो उसका भी वह 10 रुपया मोआवजा का वसूल कर लेता

हैं। तो उससे कैसे यह उम्मीद करते हैं कि वह बता देगा कि यह हरिजनों को जमीन मिलने वाली है। आज तक जो जमीन हरिजनों को दी गयी, वह या तो कोई गड्ढा था या इस तरह का ऊसर था, जिसमें न पैदावार हो सकती है, न कोई अपना मकान बना सकता है, न वह स्वयं वहां रह सकता है। एक बात और सुनकर बड़ी विडम्बना होती है कि माननीय मन्त्री जी ने देहात के हरिजनों के बटवारे के लिए जो बात बड़े जोरों-शोरों से कहीं, लेकिन वह शायद भूल गये कि शहर के अन्दर भी हरिजन रह रहे हैं। उन्होंने शायद यही समझा कि शहर में केवल ऊंची-ऊंची बिल्डिगों और गगनचुम्बी मकानों में रहने वाले बड़े-बड़े पूंजीपति ही रहते हैं। उन्हें शायद इसकी जानकारी भी नहीं है कि शहर के अन्दर भी हरिजन छोटे-छोटे मकानों मे अपनी बीबी और 5-7 बच्चों के साथ रहते हैं। जहां चारपाई तक ठीक से बिछ नहीं सकती। जमीन पर ही सोकर किसी तरह से गुजर-बसर करते हैं।

इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शहर के अन्दर रहने वाले हरिजनों की आर्थिक स्थित की ओर भी ध्यान देकर इस बारे में भी प्रस्ताव करें, जिससे जमीन का बोझ कुछ कम हो और जमीन पर जो आदमियों की बहुतायत है, इसके लिए आर्थिक प्रोग्राम और इंडिस्ट्रियल प्रोग्राम बनाये, जिसमें यह गरीब लगकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, जिससे देश और प्रदेश के मानव जाति की स्थिति भी सुधरे और उसकी शक्ति की कुछ बढ़ावा मिले। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है और उसके तहत जो भी प्रोग्राम स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन अगर उसके पीछे उसकी तह में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि ऊपर से तो बहुत अच्छा किया गया है लेकिन अन्दर कुछ और ही है। आप सभी देख रहे हैं कि एक तरफ तो सीलिंग करने की बात की गयी और दूसरी ओर लोगों को होशियार करके उनके लिए बचाव के दरवाजे भी खोल दिये हैं।

अगर सरकार की मंशा सही मायनों में सीलिंग करने की है तो क्यों नहीं कानून बनाते कि जो भी जमीन सीलिंग के अन्दर आती है आज से ही या फलां निश्चित तिथि से कोई भी अधिकारी या कोई भी काश्तकार तथा कोई भी आदमी उस भमि को बेनामा 'हिबानामा अथवा बेच नहीं सकेगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की नीति सरकार के हो। तो मन्त्री जी की सही मंशा हमको देखने को मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया शीघ्र अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, केवल एक मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा ।

अन्त में मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया देश के हरिजनों के साथ अन्याय न करें और उनकी भावनाओं से ओत-प्रोत होकर इस प्रदेश की जनता को गुमराह न करें और मंत्री जी शायद यह भूल रहे हैं कि वह जिस चीज की बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे स्वयं इस चीज की मान रहे हैं कि हमने जहां कहीं राहत कार्यों व अन्य मामलों में सहायता के लिए पैसा दिया, उसमें गड़बड़ी हुयी है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, मैं इसे समझता हूं यह एक बहुत ही गहरी नीति है । जो माननीय मंत्री जी के लिए शोभनीय नहीं है । उन्हें समझ-बूझ कर इस ब्यूरोक्रेसी की प्रसंशा करनी चाहिए जो कि इस समाज के ऊपर या इस प्रदेश की जनता के ऊपर एक जोक बनकर शोषण करने का काम कर रही है । मान्यवर, जहां भी पैसा बांटा गया है, वहां जनता को पूरा पैसा नहीं दिया गया है, उसमें हिस्सा हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने बांटा है । इसलिएअन्त में माननीय मन्त्री जी से कहना है कि वह इस बारे में सोच-समझकर कदम उठाएं ।

*श्री राम जी राम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्मानित राजस्व मंत्री की मांगों का समर्थन इसलिये करता हूं कि आज भूमि एसी महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अनुरूप आशातीत सफलता मिली है उसके कार्यकाल में जो भूमि सुधार हुआ है जिससे भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों और हरिजनों को भी लाभ पहुंचा है उससे इंकार नहीं किया जा सकता है । मैं साफ तौर से कहता हूं अपने सम्मानित विरोधी साथियों से व विरोधी पार्टी के साथियों से क्योंकि यह भी गांव के निवासी हैं । जब मसला आता है भूमि सुधार कानून को लागू करने का वह दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वह उसी तरह से उसको लागू करने के लिये तैयार होते हैं, उन लोगों को जिनको कि कानून के जरिये से भूमि मिलनी चाहिये वह सब मिलकर उसी तरह से विरोध करते हैं जिस तरह से बड़े काश्तकार जो भूमि हड़पने की नियत से भूमि पर कब्जा किये हैं, इस तरह का वह व्यवहार करते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं आंकड़ों में सदन का वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं ।

चाहे 1960 का या चाहे 1972 का कानून हो इस भूमि सुधार से गरीबों को, खेतिहर मजदूरों को भूमि मिली है सिर्फ फर्क यह है कि जो व्यवस्था की है जो हमारे आफीसर्स हैं वह आखिर इसी समाज की देन हैं, इसी समाज की उपज है इसी समाज में वह तत्व हावी हैं, जो हमारे कार्यान्वयन में बाधक बनते हैं जो जमीन पट्टे पर मिलनी चाहिये, जो कब्जा मिलना चाहिये वह हरिजनों को, भूमिहीनों को, खेतिहर मजदूरों को नहीं मिलती । सवाल इस बात का है कि जो इस तरह की चोरी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात साफतौर पर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी परम्परा के अनुरूप कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने को कृत संकल्प है। खेती पर कब्जा उन लोगों को मिलेगा, खेत उनको मिलेगा, जो खेती करते हैं। कांग्रेस ने अपनी उस नीति के तहत उस कार्यक्रम के तहत भूमि सुधार लागू किया। लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं कुछ निहित स्वार्थी लोग हमारी सरकार की नीति को सरकार की पालिसी को लागू करने में बाधा डालते हैं। मैं कहता हूं हमारी सरकार और हमारे राजस्व मंत्री जो कृत संकल्प हैं कि हम अपनी नीति के अनुरूप कार्य करेंगे। मान्यवर, आज शहरों में नजूल की जमीन हजारों एकड़ फैली पड़ी है। उस पर कब्जा किसका है बड़े-बड़े लोगों का, नायब तहसीलदार भूमि की व्यवस्था करता है। नायब तहसीलदार को भूमि की व्यवस्था का अधिकार कहाँ है।

हमारा जो रेवेन्यू बोर्ड है उसमें बड़े इन्टेलीजेन्सिया क्लास के लोग हैं लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने भूमि का ठीक से अध्ययन नहीं किया, जमीन को इस्तेमाल करने के लिये ठीक से अध्ययन नहीं किया अगर यह अध्ययन ठीक से किया होता तो मैं कहता हूं कि हमारी नीति को, हमारी पालिसी को लागू करने में जो कमियां आई हैं वह कमियां दूर हो गई होतीं। हमारे यहां घाघरा नदी है वहां पर हजारों-हजारों एकड़ जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो पाया है। 8 हजार एकड़ भूमि के बारे में मैंने राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। 8 हजार एकड़ जमीन पर निहित स्वार्थी लोगों का कब्जा है। न तो उसका कोई लगान है न मालगुजारी है न वसूली है। 10 लाख रुपये सालाना का नुकसान हो रहा है। हमारे विरोधी भाई उसमें ज्यादा हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। चाहे बस्ती के हों चाहे फैजाबाद के हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फैजाबाद में हमारी विरोधी पार्टी के बड़े अच्छे नेता थे, स्वर्गीय नय्यर साहब, पट्टे की जमीन 35 रुपये या कितने में नीलाम की और उन्होंने 5-6 लाख रुपये में बेची। कौन सी जमीन, सरकारी नजूल की और आज तक उसकी कोई जांच नहीं कोई समाधान नहीं हुआ। हजारों-हजारों के जमीन बिक गई और लोग विरोधी पार्टी के सम्मानित लोग शोर मचाते हैं। खुदरा फजीहत, दीगरा नसीहत। छोटे काश्तकारों की जमीन पर कब्जा लिखाने का मान्यवर, जो फैल गया है यह छोटे किसानों की जमीन पर बड़े किसानों के जरिये से लाया जायेगा और डन्डे के जरिये से लाया जायेगा और जो हमारे पक्ष में नेता हैं उनकी मदद से लाया जायेगा। इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं कि जहां अपने लेखपालों को कब्जा दर्ज करने का अधिकार दिया है वहीं पर स्पष्ट भयंकर भूल हो गयी कि वह कब्जा, बड़े काश्तकारों की जमीन का नहीं क्योंकि वह होशियार हो गये हैं और अब उनके पास जमीन आने वाली है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सही तौर पर इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं तो इसमें सुधार करना पड़ेगा।

आज जमीन के बंटवाने का सवाल नहीं है। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय नायक पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने साफ कहा था कि भूमि सुधार के साथ-साथ जब

[श्री राम जी राम---]

तक हम औद्योगीकरण नहीं करेंगे तब तक सर्वतोमुखी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे । मैं कहना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि जमीन के बंटवारे का सवाल नहीं है । जमीन पर काम करने वाले कितना हिस्सा पाते हैं, वे खेत के मजदूर, काम करने वाले उनका क्या है । मिलों में तो उनकी ट्रेड यूनियन हैं । मगर खेतों में काम करने वालों का क्या संगठन है । उनको कौन सी मजदूरी मिलती है । उपज का कौन सा हिस्सा मिलता है, कोई गारन्टी नहीं । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे राजस्व मंत्री जरूर ध्यान दें ।

पट्टे के सम्बन्ध में सीरदारी की जमीन, नदियों के किनारे की जमीन...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री राम जी राम--

मान्यवर, एक ऐसी बात रह जायेगी और आप मुझे कोसेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अनधिकृत रूप से कब्जे हैं उनमें जो ग्राम समाज की जमीन है वे बड़े लोगों को मिली हुई हैं । वह मल्लाह हो, केवट हो, हरिजन हो, दुर्जन हो जिनको भी जमीन दी जाये, खेती करने के लिए, सिंघाड़ा लगाने के लिए, मछली पालने के लिए तालाब हैं, उनके पट्टे दिये गये हैं । एक तरफ तो ग्राम समाज के मैनुअल के हिसाब से भूमि नीलाम करते हैं और दूसरी तरफ 75 के हिसाब से कानून है कि उनको पट्टे पर जमीन दी जाय, पट्टे पर भी देते हैं और नीलाम भी करते हैं । दोनों साथ कैसे हो सकते हैं । इसलिए उस मैनुअल में सुधार करना पड़ेगा । आपने 75 से पहले हरिजनों के कब्जे थे, कानून बना दिया लेकिन उसमें लेकुना है । कमी है चाहे वह जमीन खाली हो, बाकायदा जिसे 1901 फसली 1901 में जिस तरह डिमार्केशन किया गया था, उसमें उनके घरों का डिमार्केशन हुआ । हरिजनों को आपने जमीन घर बनाने के लिए दे दी मगर उसका डिमार्केशन नहीं हुआ । गांव के प्रधान जिस तरह से चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं, कोई रिकार्ड नहीं है । सही तरह से जमीन की व्यवस्था करनी चाहिए । इसके लिए जरूरी है कि हर घर की पैमाइश हो, चाहे नई आबादी हो, चाहे पुरानी आबादी हो, गांव में झगड़े होते हैं लोग कहते हैं, कि हमारी लाठी हमारा भैंस । थाने पर जाता है सुनवाई नहीं होती । थानेदार कैसे हैं, मैं नहीं कह सकता, बहुत अच्छे लोग हैं मगर काम नहीं कर पाते । परेशान हो जाते हैं । मैं चाहता हूं कि इसका सही तरीके से कार्यान्वयन हो जिससे हमारी नीति जो इनके हित में है, जनहित में है, वह सही तरीके से लागू हो सके और इसका फायदा वास्तव में जन समुदाय को मिल सके ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, राजस्व बजट पर आये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने जो कहा कि हरिजनों को भूमि पर कब्जा दिलाने का कार्य 30 सितम्बर तक पूरा कर दिया गया है, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि यह कागजी कार्यवाही की गई है । वास्तविक कब्जा किसी भूमि पर हरिजनों को नहीं मिला है । वास्तविक कब्जा तभी मिल सकता है जब वह भूमि सुनिश्चित हो, उसमें पहले से ही बड़े-बड़े काश्तकारों का कब्जा है । उनके बगल में पहले से ही

जमीन पड़ी थी जो दबा ली गयी। हरिजनों को पट्टा किया गया वह नालों में, बंजर जमीन में किया गया जो जोत में नही आ सकती थी। दो बड़े काश्तकारों के बीच में जो जमीन छूटी हुई थी उस पर पट्टा दे दिया गया। इस प्रकार के पट्टे देकर हरिजनों और बड़े काश्तकारों के बीच झगड़ा पैदा किया गया है। छोटे–छोटे पट्टे दिये गये हैं जिन तक उनके जाने का रास्ता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों के साथ दिखावा किया गया है, उन्हें लालच दिया गया है। हरिजन वर्ग की बात तो राजस्व मंत्री जी ने कहा, समाज में अन्य दुबल और कमजोर वर्ग है जिसके पास भूमि नहीं है उनको भी पट्टे दिये जायें, उनको भी मकानों के लिए जमीन दी जाय। और उनको अभी तक कोई जमीन नहीं दी गई। मान्यवर, जमीन से सम्बन्धित दूसरे झगड़े होते हैं। नक्शों और अभिलेखों का सामन्जस्य नहीं है। या तो बड़े नक्शे दिखाये गये हैं या छोटे नक्शे दिखाये गये। इस प्रकार के झगड़े किसानों के बहुत से चलते हैं। इस प्रकार की जमीन जहां के नक्शे अभिलेखों के अनुरूप नहीं है, उसके सर्वेक्षण का काम कराया जाय ताकि लेखपाल नक्शा–दुरुस्ती ठीक तरह से कर सकें और किसानों को सही ढंग से जमीन मिल सके।

इसके साथ–साथ देखने को मिलता है कि जहां पर नदियों की बाढ़ आती है, वहां नदी के बाढ़ से नदी के इधर–उधर के गांवों की सीमायें बदलती रहती हैं और इस कारण किसानों में झगड़ा पैदा हो जाते हैं। एक गांव की जमीन दूसरे गांव में चली जाती है। इस तरह से नदी में बाढ़ के कारण नदी के किनारों के गांवों की सीमायें बदलती रहती हैं। इस तरह से नदियों के किनारे की जमीन का सर्वेक्षण कराया जाय और जिस गांव की जमीन है, उस गांव की सीमा पर पत्थर लगवा दिये जायं ताकि नदियों के बाढ़ आने पर जमीन की सूरत चाहे भले ही बदल जाय लेकिन सीमायें न बदलने पायें।

इसी के साथ, मान्यवर, एक बात यह कहनी है कि प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि ऊसर पड़ी है। लेकिन किसानों को उस जमीन का राजस्व देना पड़ता है। मेरे ही क्षेत्र में ऐसी 9/7 हजार एकड़ जमीन है जिसका किसान लगान देते हैं और कभी भी बीज बोने तक का काम नहीं किया। इसलिए किसानों के ऊपर जो इस तरह के नाजायज तरीके से लगान देने का काम है, उसको खत्म करके उन किसानों को लगान से मुक्त कर देना चाहिये।

इसके साथ कुछ दैवी आपदाओं के विषय में भी कहना चाहूंगा। मान्यवर, दैवी आपदाओं के लिए जो धनराशि दी जाती है, वह समय पर किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाती है। या तो समय निकल जाता है और किसान मजबूर होकर तकलीफें उठाता रहता है। फिर समय निकल जाने से उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता जोंकि उनको मिलना चाहिये। दूसरे आपदाओं के लिए धनराशि बहुत कम दी जाती है। जैसा कि माननीय

[श्री बदन सिंह--]

राजस्व मंत्री जी ने बताया, पूरा घर गिरने पर 500 रुपये और आंशिक नुकसान पर 200 रुपये दिए जायेंगे । इस सम्बन्ध में मान्यवर, कहना है कि 200 रुपये में तो आजकल छप्पर भी नहीं बनता । इसलिए इस तरह से पुराने समय से निर्धारित धनराशि को बढ़ाना चाहिए और जो आपातकालीन रकम है, वह पहले से ही जिले में जरूर चली जानी चाहिए और जिस वक्त आपदा आये, उसको दिया जाना चाहिए ।

एक बात मान्यवर, यह कहनी है कि तहसील किरावली, जिला आगरा में 51 गावों को 70 से 100 फीसदी नुकसान हुआ लेकिन आज तक कभी भी आपातकालीन धनराशि नहीं बांटी गयी और बार-बार वहां के किसान चिल्लाते रहे । इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि इन आपदाओं के होते हुए भी कुछ तहसीलों के कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की गयी है । मान्यवर, हमारे यहां गंगरौल गूजर एक किसान गौतम सिंह को मारा पीटा गया और पकड़कर तहसील लाया गया । 14 अगस्त को गौतम सिंह किसान को मार-पीट कर उससे कहा गया कि तुमको बन्द कर दिया जायेगा । गौतम सिंह किसान से कहा गया कि या तो पूरा पैसा जमा करो वरना हवालात में बंद कर दिया जायेगा । उसको हवालात का भय दिखाया गया । इस कारण उसका हार्ट फेल हो गया और यह मर गया । लेकिन रिपोर्ट लिखायी गयी कि एक अज्ञात किसान की मृत्यु हो गयी । पूरी तहसील के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी थी । मान्यवर, मैं इसके लिए मांग करता हूं कि उस किसान के परिवार का संरक्षण करने के लिए उसको आर्थिक सहायता दी जाय और इस मामले को सी0आई0डी0 विभाग से जांच करा दी जानी चाहिए और दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट प्रस्तुत किया है, मैं इन अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे साथी माननीय सदस्य ने बाढ़ की ओर ध्यान इंगित किया । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जो बजट पेश किया है वह सुन्दर है, ताईद के काबिल है लेकिन जहां प्रश्न है कि हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मजदूर कृषकों को खेती के लिए जो आपने जमीन दी है वह आपने अच्छा कार्य किया है लेकिन जिन जमीनों के पट्टे दिये हैं उन सबको कब्जा नहीं दिया गया है । कृपा करके उनको इन जमीनों पर शीघ्रातिशीघ्र कब्जा दिलाने की व्यवस्था करें । ऐसे लोगों के पास जिनके पास सर छुपाने के लिए जमीन नहीं है उनके लिए आपने घर बनाने की जमीन देने और निवास देने की व्यवस्था छठी योजना में की है ।

मैं इसका आभारी हूं मगर इसमें तेजी से कार्य किया जाय । आजकल जिस गति से रेवेन्यू विभाग का कार्य चल रहा है वैसे न किया जाय । अब मैं बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । मेरा वीरापुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में आता है । वहां सई, परैया, बकुलाही, लोनी, दमदम का तालाब आदि नदियों ने सारे क्षेत्र को गहरे पानी में डुबा दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं और विशेषकर राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

संख्या 7––राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48––राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92––राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112––राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47––सहायता और पुनर्वास विभाग, अनुदान संख्या 83––सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113––सहायता एवं पुनर्वासन विभाग ऋण और अग्रिम

कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में राहत कार्य के नाम पर कोई तेजी नहीं लायी जा रही है। जो गांव डूब गये हैं उनमें से कुछ को परसों 10 रुपये मिले हैं। फसलों की हालत और भी खराब है। लोग फसल विहीन और घर विहीन हो गये हैं। अगर उनके साथ राहत के नाम पर मखौल किया जायेगा तो यह हम लोगों के शोभा की बात नहीं है। मैं मकानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें कम से कम 15 घर न गिरे हों। जो गांव नदी के किनारे बसे हुये हैं उनमें तो लगभग सभी घर गिर गये हैं। जो गांव बह गये हैं उनकी बात ही दूसरी है। आपने 200 रुपये से 500 रुपये तक अनुदान देने की बात कही है, इस सम्बन्ध में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को कम से कम 4 साल के लिए बिना सूद के दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह राशि 5 हजार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा रुपया अनुदान देने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इस सेशन की बच्चों की फीस और लगान पूरी माफ कर दी जाय अन्यथा लोगों के लिए वह बड़ा कष्टकारक हो जायगा। आगे बीज मिलने वाला नहीं है अतः बीज की सब्सिडी देने की व्यवस्था की जाय। चारे के लिए भी तेजी से प्रबन्ध किया जाय। जैसे ही पानी कम होगा बीमारियां तेजी से बढ़ेंगी। इस संबन्ध में भी राजस्व विभाग की जिम्मेदारी अ तो है इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज पर सख्ती से कार्यवाही की जाय। जहां तक यह सवाल है, बहुत से विषयों में हमारा शासन यह कह देता है कि मैं इसका पुनरीक्षण कर रहा हूं तो पुनरीक्षण इसमें न कराइये, इस बाढ़ के बाद वाटर लागिंग से जानवरों और आदमियों में बीमारियां फैलेंगी। उन सभी क्षेत्रों में दवा और बीज तथा लोगों के जिन्दा रहने के लिए छप्पर आदि की व्यवस्था की जाय। ऐसे लोगों के लिए राहत कार्य तेजी से किए जायं और उनको खाद्यान्न बंटवाया जाय जिससे वह लोग अपने को जिन्दा रख सकें। चूंकि बाढ़ की विभीषिका ने हमारे क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। इसलिए सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को सचेत कर दें जो अभी तक भ्रष्टाचार में लिप्त थे वह उसको समाप्त कर दें जैसे चीनी ने हमको बदनाम कर दिया है। इसलिए राहत कार्य करें जिससे जनता को संतोष मिल सके और उससे आपका यश बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि हर गांव की आबादी की जमीन को नपवा दिया जाय जिससे आये दिन जो हदबन्दी के सम्बन्ध में झगड़े होते हैं वह समाप्त हो जायं। हमारे यहाँ किसी ने बढ़कर खूंटा गाड़ लिया और किसी ने बढ़कर छप्पर डाल दिया तो इससे झगड़े होते हैं तो जमीन नप जायेगी तो यह बातें नहीं होंगी लेकिन यह राजस्व विभाग ही कर सकता है। इसलिए यह काम शीघ्र किया जाय।

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

मान्यवर, अब मैं जमीन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भूमि आवंटित की गयी है उनको अविलम्ब कब्जा दिलाया जाय। जो मुकदमे में नहीं फंसी है और यदि उनको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है तो उनको दूसरी जमीन अविलम्ब दी जाय। मान्यवर, छठी योजना में जो मकान देने की योजना है उसको तेजी से कार्यान्वित करें। हमारे इलाके में अभी कुछ मकान बी0डी0ओ0 ने बनवाये लेकिन वह पानी से ध्वस्त हो गये हैं,। इसलिए मकान ऐसे सोजन में बनाये जायं जिनके गिरने की आशंका न हो और लोगों को आशा हो कि हमको बसाया जा रहा है। मान्यवर, जो नदी की तराई में बसे हैं, जिनके गांव पानी में बह गये हैं उनको ऊपर बसाने के लिए जमीन दी जाय। मैं 3-4 दिन पहले बीवापुर अपने क्षेत्र में गया था तो वहां के लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमको ऊपर जमीन रहने के लिए दी जाय।

अन्त में मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि राहत कार्यों के लिए चारा, खाद्यान्न और बसने के लिये मकान बनाने के लिए बिना ब्याज के पैसा उन लोगों को 4 वर्ष के लिए दिया जाय। यदि यह चीजें नहीं होंगी तो आगे वह लोग फसल नहीं बो पायेंगे जिससे भुखमरी की समस्या बढ़ेगी।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री भीखालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं माननीय राजस्व मंत्री के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अभी आपने जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें आपने कहा था कि 17,52,957 व्यक्तियों के लिए आपने 6,09,478 हेक्टेयर भूमि आबंटित कर दिया है। उसके बाद आपने बताया कि 1,30,250 आबंटियों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति दिला कर कब्जा दिला दिया और साथ-साथ 1,20,623 व्यक्तियों को जिन्हें कब्जे से बेदखल किया गया था पुनः कब्जा दिलाया गया।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इतनी अधिक भूमि आवंटित की गई है उस भूमि पर कब्जा अभी तक नहीं दिलाया गया है। भले ही माननीय मंत्री जी मंत्री की हैसियत से कुछ न कह पायें लेकिन एक प्रतिनिधि की हैसियत से देखेंगे तो कहेंगे कि देहातों के अन्तर्गत इतनी अधिक संख्या लोगों की है, हरिजनों की है, गरीबों की है, जिनको भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है। इसमें इतना विरोध नहीं है, उन आवंटियों को कब्जा दिलाने में कोई परेशानी माननीय मंत्री जी को नहीं होगी।

हमारे साथी अभी कह रहे थे और मैं उनकी बात से सहमति प्रकट करना चाहता हूं। हमारे देहातों के अन्दर हरिजनों को आवास गृह बनाने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत बहुत से लोगों को भूमि दे दी जाती है जिस पर विकास खण्ड विभाग अथवा अन्य इकाइयों के द्वारा मकान बनाये जाते हैं। हमारी तहसील शाहजहांपुर में विकास खण्ड जैतीपुरा के नैवेदा ग्राम में 12 आदमियों के आवास गृह बनाये गये। अभी तीन दिन पहले मैंने वहां पर देखा कि 12 में से 11 आवास गृह कब्जा दिलाने से पहले ही गिर चुके हैं। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। विकास खण्ड अधिकारी और कर्मचारी आधा धन खा जाते हैं और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूंगा कि आवंटियों को अपने मकान स्वयं बनाने के लिए कहा जाय जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग न हो ।

पिछले खरीफ की फसल के बारे में आपने अपने बजट में कहा था कि 90 प्रतिशत खरीफ की फसल को नुकसान हुआ, 10 प्रतिशत खरीफ की फसल बोई नहीं गयी । 10 प्रतिशत फसल बोई नहीं गई और उसमें आपने 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने वाले काश्तकारों का केवल लगान मुल्तवी कर दिया, माफ नहीं किया । मेरा आप के माध्यम से सुझाव है कि जिन काश्तकारों का 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है उनका लगान मुल्तवी करने के बजाय माफ होना चाहिए । मुल्तवी आप ने बाढ़ आने पर, सूखा पड़ने पर, किया है और इस मुल्तवी के चक्कर में काश्तकार कर्ज में डूबते जा रहे हैं जिसे चुकाने के लिए वे सक्षम नहीं हो पायेंगे । माननीय मंत्री जी मानवीय पक्ष को ध्यान में रख कर इस पर विचार करेंगे कि लगान माफ हो, मुल्तवी न हो क्योंकि मुल्तवी करने से कोई लाभ नहीं होता है ।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के बारे में मान्यवर, बहुत दिनों पहले से झगड़ा चल रहा है । पिछले वर्ष माननीय नारायण सिंह जी ने कहा था कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को खत्म करने का फैसला कर लिया है । अभी कुछ दिनों पहले असेम्बली में प्रश्न उठा था । उसमें भी निश्चय नहीं हो पाया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू की क्या स्थिति रहेगी । मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी स्वचालित संस्था है जिसके होने के कारण माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं । पिछले राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि जब-जब उन्होंने कोई सुझाव तहसीलदार, एस० डी० एम० को दिया तो बोर्ड आफ रेवेन्यू ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और माननीय मंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी । मैं चाहता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू समाप्त किया जाय या न किया जाय यह तो आप का बहुत बड़ा मन्त्रि मंडलीय निर्णय होगा, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया जो है उनमें अवश्य सुधार किया जाय जिससे कि जो अधिकारी हैं वे राजस्व विभाग के प्रति उत्तरदायी हों । मान्यवर, बोर्ड आफ रेवेन्यू में 70-72 से मुकदमे लम्बित चल रहे हैं । एसिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर मुकदमे अपनी सिफारिश के साथ बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेज देते हैं और बोर्ड आफ रेवेन्यू में ये मुकदमे बिल्कुल लावारिस रूप में पड़े रहते हैं, उनको कोई देख नहीं पाता है । काश्तकार परेशान होता है ।

[3 बजकर 20 मिनट]

जिस मुकदमे का निर्णय उनकी जिन्दगी है वह लम्बित है और आप उसके निर्णय को जल्दी नहीं करवा पाते हैं । बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो मेम्बर्स हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये । वे आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० हैं

[श्री सत्यपाल सिंह--]

एक्जिक्यूटिव साइड के हैं। उनको ला का ज्ञान नहीं होता है। जो कमिश्नर या मजिस्ट्रेट निर्णय करके भेजते हैं उसमें सही निर्णय नहीं हो पाता है। लिहाजा बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर्स भी जुडीशियल नालेज वाले होने चाहिये।

माननीय भीखा लाल जी ने एक बात कही कि नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें चौधरी साहब ने सीलिंग कानून का विरोध किया था। जहां तक मेरी जानकारी है चौधरी चरण सिंह हमेशा खिलाफ रहे हैं सहकारी खेती के लेकिन 12 एकड़ तक की सीलिंग या छोटे-छोटे फार्म्स बनाने की उन्होंने हमेशा सिफारिश की है। अब से कुछ दिन पूर्व जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक ढंग से लगान तय करेंगे। लगान कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। वह क्या प्रक्रिया इसके लिए एडाप्ट करने जा रहे हैं यह नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि राज कृष्ण कमेटी की सिफारिशें सचिवालय में आ चुकी होंगी, जिसने भूमि सुधार के सम्बन्ध में बहुत मूल्यवान सिफारिशें की हैं। माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन सिफारिशों को माना है या नहीं। अगर नहीं माना है तो क्या वे सिफारिशें विचाराधीन हैं। इन सब बातों पर विचार करके मंत्री जी बतलायेंगे कि उन सिफारिशों के बारे में क्या वे ध्यान कर रहे हैं?

*श्री जैराज गौतम--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो अनुदान इस सम्बन्ध में पेश की है उनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सुलतानपुर जिले के कादीपुर क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र तीन नदियों गोमती, मधुई और कुंवर से घिरा हुआ है और इस बार बाढ़ के कारण 95 प्रतिशत काश्तकारों की फसल वहां नष्ट हो चुकी है। 55 में जब बाढ़ आई थी गोमती के किनारे के जो गांव हैं जिनमें गरीब किसान बसे हुए हैं बाढ़ की चपेट में आ गये थे। उस समय शासन की ओर से चबूतरा पाटने का कार्यक्रम चलाया गया था जिससे किसानों को काफी राहत मिली। उससे जो मकान और जमीन कटते थे वे बच जाते थे। मेरा निवेदन है कि चबूतरा पाटने की स्कीम वहां के लिये फिर लागू की जाय। इसके अलावा चकबन्दी पूरे प्रदेश में चल रही है। शासन की ऐसी मंशा है कि काश्तकारों के खेतों को चटपट दो एक चकों में केन्द्रित किया जाय ताकि वे फसलों को अच्छी तरह से उगा सकें। शासन की यह भी मंशा है कि जो गांव समाज की परती जमीनें हैं उनको छोड़ा जाय और फिर उनको गरीबों में आवंटित कर दें। दौराने चकबन्दी ऐसा देखा गया है कि बड़े-बड़े काश्तकारों के खेतों के पास आपके चकबन्दी अधिकारियों ने सारी बचत जमीनों को उनके खेतों के पास छोड़ रखी है और वह सारी बचत की जमीन इन काश्तकारों ने अपने चकों में मिला ली है। मेरी मंत्री जी से अपील है कि वह जो बचत की जमीन छोड़ दी गयी हैं उनको या तो ऐसे स्थानों पर छोड़ दी जायं जिससे बड़े-बड़े काश्तकार अनधिकृत रूप से कब्जा न कर सकें। दूसरी बात यह है कि शासन ने छठी पंच वर्षीय योजना के लिये जो व्यवस्था की है कि हम उन लोगों को जिनके सामने रहने के लिये समस्या है, भोजन और कपड़े की समस्या है उनको निःशुल्क मकान बनाने की बात उसमें कही गई है। यह कार्य वे ब्लाकों के माध्यम से कराना चाहते हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी इन मकानों को बना रहे हैं वे उसका 50 फीसदी खा लेते हैं। साथ ही उन मकानों को बस्ती से इतना दूर बना रहे हैं जहां जानवर भी नहीं जा सकते हैं। लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि चकबन्दी में जिन गांवों में इस तरह की व्यवस्था है उसको आबादी के नजदीक उन लोगों को मकान बनाकर दिये जाय। तीन-तीन किलो मीटर दूर उनको जमीन आवंटित की जाती है तो यह ठीक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जो शुरू से लेकर अन्त तक तीन नदियों-गोमती, कुंवर और मझुई-से घिरा हुआ है। मन्त्री जी अगर वहां कुछ राहत कार्य करा दें और उनको कुछ सुविधा दें तो वहां के लोगों की कुछ परेशानी दूर हो जायेगी। इस समय शासन की तरफ से जो सुविधा दी जा रही है वह संतोषजनक तो हैं ही किन्तु उनमें कहीं-कहीं ढिलाई हो रही है। इसलिए जहां इस तरह की शिकायतें हों वहां पूरे कड़ाई के साथ निर्देश दिये जायें। ताकि बाढ़ से ग्रस्त लोगों को सुविधा दी जा सके। इसके साथ ही साथ में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी के दौरान जो चक रोड खोल दिये गये हैं उनका अतिक्रमण करके सारे काश्तकारों ने अपने चकों में उनको मिला लिया है जिससे वहां के लोगों में तनाव पैदा हो रहा है वहां से लोग पानी ले जा रहे हैं, फौजदारी हो जाती है। इसलिए मजबूती से निर्देश दिये जाने चाहिये कि इन चक रोडों पर जिन्होंने अपने चकों में उन्हें मिला लिया है, उन्हें हटा दिया जाये। यह समस्या पूरे प्रदेश की है। जहां पर मजदूर बहुत से लोगों के खेतों में और बागों में बसे हुये हैं, उनकी जमीनों पर बसे हुये हैं उनके लिए निश्चित रूप से कार्यक्रम बनाया जाये जहां पर काश्तकार रह रहे हैं उस जमीन को उनके हक में करने की व्यवस्था की जावे। इन शब्दों के साथ में राजस्व मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में अपनी पार्टी की परम्परा के अनुसार लुभावने आश्वासन दिये हैं। गरीब लोगों को हरिजनों की जो कि मात्र मृग-तृष्णा है और वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। यदि सच्ची नीयत होती गरीबों की मदद करने की, हरिजनों को भूमि देने की तो ये सख्ती से जमींदारी उन्मूलन कानून का पालन कराते। उसमें यह है कि जो खेत जोतेगा वही खेत का मालिक होगा। आज आबादी बढ़ रही है लेकिन जमीन की सीमा सीमित है उसका हम जितना बटवारा करेंगे उतना जमीन पर अधिक भार पड़ेगा। यदि भूमि को जोतने वाला उसका मालिक बनें तो आवंटन की समस्या का स्वतः ही समाधान हो जायेगा क्योंकि जो भूमि जोत

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

रहा है वह गरीब हरिजन जोत रहा है या फिर गरीब आदमी जोत रहा है लेकिन उसका लाभ वह पा रहा है जो कानून चला रहा है या जो उस भूमि का मालिक बना हुआ है जिसका उस भूमि के जोतने ओर बोने से कोई सम्बन्ध नहीं है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की भूमि का आवंटन आपकी सरकार ने आपातकालीन समय में भी नहीं कराया लेकिन नारा जोरों पर देते थे । मुझे अपने जिला चमोली के बारे में मालूम है सरकार के निर्देश जाते हैं कि हरिजनों को भूमि दीजिये । पटवारी उनके गांव की गोचर और पनघट की जमीन जो कि गांव के लिए बहुत जरूरी है उसको आवंटित कर देता है । हरिजन खुश हो जाता है परन्तु दूसरे दिन रेडियोग्राम आता है कि वह जमीन जो गोचर की है या जंगल के काम की है उसको आवंटित न किया जाय । तो फिर वह जमीन उससे छिन जाती है । एक दूसरा रेडियोग्राम आता है कि स्वतंत्रता सेनानी, फौज में जो लोग मारे गये हैं उनको जमीन दी जाय । इस प्रकार से हरिजन का नम्बर जिसको शुरू में जमीन दी गयी थी छठा या सातवां वरीयता क्रम में रह जाता है । जो जमीन पटवारी जी ने शासन के जबानी आदेश पर दे दी थी अब उसको छुड़ाने की बात आई और गांव वालों में मुकदमेबाजी हुई । इस प्रकार न तो उसे जमीन मिली तथा ऊपर से मुकदमेबाजी का क्रम चलता रहा । वह बेचारा हरिजन और ज्यादा दयनीय हो गया ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था की जमीन पर आप इतना बोझ क्यों बढ़ाना चाहते हैं । आप इसके लिए यह कर सकते हैं कि जो अधिकांश लोग दस्तकारी जानते हैं, उद्योग के बारे में जानते हैं उनको दस्तकारी के लिए ऋण दीजिये, उद्योग के लिए ऋण दीजिये । हमारे जनपद चमोली में अनेक नदियां हैं अलकनंदा, मंदाकिनी, राम गंगा, नंदाकिनी और पिंडर इसके अलावा और कई नदियां और नाले, गधेरे हैं जिनसे हर साल उनके किनारे के गांवों का कटान होता है और बड़ा नुकसान होता है । इसको रोकने के लिए सरकार के पास कई योजनायें आई थी कि वहाँ पर सक्षम जलागम की योजना चलाई जाय, परन्तु इसके बारे में कोई काम नहीं किया गया । इन इलाकों को निरंतर खतरा बना हुआ है । अभी हाल ही में जो भूकंप आया था उससे मेरे जनपद चमोली का बहुत नुकसान हुआ है । विकास क्षेत्र थराली का फूनी गांव जिसमें 65 मवासे हैं वह 65 मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं । उनके लिए शासन ने कोई भी वाजिब मदद नहीं की है । इस प्रकार से हमारे जनपद में गैरसैंण इलाका है, जिसके जोगण आदि तमाम गांव भी भूकम्प और अतिवृष्टि से पूरी तरह से नष्ट हुए हैं । इससे सारे चमोली में 104 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गये हैं और करीब 2 हजार मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन राजस्व मन्त्री की ओर से भवन हेतु जो धनराशि बताई गई है, वह पहाड़ों के लिए बहुत कम है । पहाड़ पर पक्के मकान होते हैं, जिनके लिए 4-8 सौ रुपये की मदद मिलने से वह नहीं के बराबर होगी । अतः निवेदन है कि मकानों के लिए जो सहायता राशि है वह कम से कम 10 हजार रुपया पर्वतीय अंचलों के लिए कर दीजिए ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे राजस्व मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में बोलते हुए मुझे सुझाव रूप में कुछ बातें कहनी हैं । सबसे पहले तो मैं पट्टे के आधार पर जो कब्जा दिया जाता है, उसके बारे में

कहना चाहता हूं । जो पट्टे दिये जाते हैं, देने के पहले पट्टे की जमीन की प्रकृति को देख लिया जाया करे कि वह जमीन तालाब है या किसी के अगुवाड़े या पिछवाड़े आदि की जमीन तो नहीं है । आज इसी तरह से अधिकांश पट्टे बांटे जाते हैं, जिससे गरीब किसान फौजदारी का शिकार होता है या कोर्ट-कचहरी में जाकर अपने पैसे खर्च करता है ।

दूसरा सुझाव यह है कि मैं सुल्तानपुर के सदर क्षेत्र से चुना हुआ हूं, वहां गोमती नदी जाती है । मेरा दावा है कि कभी भी बाढ़ की विभीषिका में जितना भी नुकसान होता है वहां गांवों को, घरों को या खेती को, आज तक उसको इस सदन के सामने नहीं लाया गया है । वही नदी जब जौनपुर में पहुंचती है, अखबारों में छप जाता है, उसकी पब्लिसिटी चारों ओर हो जाती है, लेकिन जब गोमती नदी सुल्तानपुर के इंटिरीयर में जाकर अपनी विभीषिका दिखाती है जहां गांवों के ऊपर से पानी बहता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं होता है न कोई स्थिति के अध्ययन के लिए टीम जाती है, न कभी किसी माननीय सदस्य ने वहां की स्थिति को यहां सदन में रक्खा है । इस बार सुल्तानपुर सदर में 17-18 गांव ऐसे थे, जो नदी के पानी से बिलकुल डूबे हुए थे और मंशापुर आदि 3-4 गांवों में उनके ऊपर से पानी बह रहा था । लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है । गोमती नदी 13-14 किलोमीटर क्षेत्र तक में अपना पाट बढ़ाकर वहां के ग्राम-वासियों की खेती, जायदाद नष्ट करती चली आ रही है, जिसकी भी वहां कोई चर्चा नहीं हुई है । वहां बाढ़ की भयंकर स्थिति रही लेकिन 23, 24 व 25 तारीख को होने वाली अनवरत वर्षा जो रातों-दिन हुई है, उससे कोई कच्चा घर ऐसा नहीं बचा है जो गिरा न हो । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ से खेतिहर लोगों का नुकसान हुआ है, कम से कम उनकी मालगुजारी बिलकुल माफ कर दी जानी चाहिए, वह मुल्तवी नहीं होनी चाहिए। और छूट नहीं होनी चाहिए बल्कि माफ होनी चाहिए।

तीसरी चीज लगान के बाद किसान के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश और प्रदेश में सबसे शांतप्रिय अगर कोई वर्ग है तो वह किसान ही है । वह कभी नहीं सोचता कि जो रोजगार वह कर रहा है, उससे उसे लाभ मिल रहा है या नहीं । किसान के खेत में जो भी पैदा होता है, उसको अगर देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि उसमें उसकी लागत अधिक होती है और पैदावार कम होती है चाहे वह गेहूं की हो, चाहे वह गन्ने की पैदावार हो । हर किसान को नुकसान ही हो रहा है । लेकिन वह बेचारा बेजुबान होकर बर्दाश्त करता है ।

[श्री मुईद अहमद—]

चकबन्दी के सिलसिले में मुझे एक सुझाव यह देना है कि जो चक रोड और सेक्टर रोड छोड़ी जाती है, उनमें चक रोड को चक रोड से जरूर जोड़ा जाय और सेक्टर रोड से उन चक रोड्स को भी कनैक्ट कर दिया जाय जिससे यातायात की व्यवस्था भी सुधर सके। इसके अलावा उन सड़कों की चौड़ाई भी उसी प्रकार से होनी चाहिये।

एक सुझाव मेरा यह है कि पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाय क्योंकि गांव समाज की बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो अनधिकृत लोगों के कब्जे में हैं। जो गांव समाज की भूमि है उनकी पटवारी या लेखपाल फर्जी इन्ट्री करके किसी के नाम कर देते हैं। उनके सम्बन्ध में आज भी मुकदमें चल रहे हैं, उनसे सम्बन्धित फाइलें गायब मिलती हैं। जो लोग गांव समाज के हित में मुकदमें लड़ना चाहते हैं वे 1–2 साल के बाद बैठ जाते हैं। अगर आज भी जो गांव समाज की भूमि है उनके सम्बन्ध में मुकदमें जल्द फैसले हो जायं तो बहुत-सी जमीन निकल आये।

इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं उनकी लैंड इवैक्वी प्रोपर्टी में आ गयी है अगर उसको दिखवा लें, उसमें छानबीन करा लें तो गांव समाज को बहुत सी भूमि मिल सकती है।

अन्त में मुझे एक बात यह कहनी है कि जहां पर चक कट गये हैं वहां तो नहीं लेकिन जहां पर नहीं कटे हैं अगर लेखपाल कब्जा लिखता है तो उसे खातेदार को लिखित सूचना देनी चाहिये कि आपकी जमीन पर फलां आदमी का कब्जा है। इन सुझाव के बाद में माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में इसके पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। जहां तक हरिजनों के परिवार वालों को भूमि मकान बनाने और कृषि करने के लिए पट्टे दिए गये थे, मेरी जहां तक जानकारी है सरकार के पास कोई उचित उत्तर नहीं है कि कितने भूमिहीनों को पट्टे दिए गए और उन पट्टों का सही तरीके से जबरन सरकार के द्वारा कब्जे दिलाये गये। मेरा कहना यह है कि आज फर्जी तरीके से पट्टे देने की सारी कार्यवाही फाइलों में ही हो रही है हरिजनों को जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल पा रहा है। एक बिस्वा जमीन लेने के लिए उसको लेखपाल तहसीलदार आदि कई लोगों के पास जाना पड़ता है और 4 हजार रुपये खर्च करने पर एक बिस्वा जमीन मिल पाती है। एक ओर सरकार द्वारा कहा जाता है कि हरिजनों को पट्टा दिलाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाये हैं दूसरी ओर उनके पट्टों पर कब्जा नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि जो जमीन पट्टा पर हरिजनों के लिए दी जाय उसके लिए यह स्पष्ट आदेश दिये जायें कि उस भूमि पर उस हरिजन को कब्जा भी दिलाया जाये। हरिजनों को तहसीलदार या कानूनगो द्वारा पट्टा दिलाने के चक्कर में इस तरह फंसाया जाता है कि उसे मुकदमा लड़ना पड़ता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा लड़ने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है, वह गरीब दूसरों से कर्जा लेता है। इस तरह उस भूमि का लाभ तो गरीब हरिजन को मिल ही नहीं पाता।

अब मैं अपने टांडा तहसील में बाढ़ के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने स्वयं अपने यहां जाकर देखा है, एक किलोमीटर नाले को पार करके मुझे जाना पड़ा है, तहसील के तमाम गांव पानी में डूबे हैं, 70 फीसदी से ज्यादा फसल नष्ट हो गयी है। मैंने 14–15 गांव की रिपोर्ट भी परगना अधिकारी को दी और कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दी जाय। उन्होंने कहा कि उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 500 रुपये जो तकावी के रूप में दिये जायेंगे वे वापस करने होंगे। इसके अलावा जब 500 रुपये देने की बात आती है तो काश्तकार को उसमें से केवल 100 रुपये ही मिल पाते हैं, बाकी तो रिश्वत में अधिकारीगण ही खा जाते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे काश्तकार इस घूसखोरी और घपलेबाजी के चक्कर से निकल सके। इसके अलावा जिन परिवारों को मकान के लिए कच्चे मकान के लिए 500 रुपये और पक्के मकान के लिए 800 रुपये दिये जाते हैं यह रकम बहुत ही कम है। इसमें भी उनको काफी तो घूस के रूप में देना पड़ता है तब कुछ रुपया मिलता है। यह रकम बढ़ा कर कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपये तथा पक्के मकान के लिए 8000 रुपये होना चाहिये। यही मुझे निवेदन करना था।

*श्री बच्चा पाठक––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जमींदारी समाप्त हो गयी, लेकिन प्रदेश में अभी भी बहुत सी ऐसी टाउन एरिया, नोटी फाइड एरिया और नगरपालिकायें हैं जहां पर जमींदारी अभी भी कायम है और आज भी जमींदार लोग गरीब आदमियों पर शासन करते हैं। उनका उत्पीड़न करते हैं, अगर उनका कोई मकान गिर जाता है, उसको बनाना वह चाहते हैं, तो उसके ऊपर वह प्रतिबन्ध लगाते हैं। जो दूकानें नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के अन्दर हैं, उसके ऊपर भी मनमानी ढंग से वहां के जमींदार लोग वसूल करते हैं। हमारे क्षेत्र में सहतवा टाउन एरिया रेवती नोटीफाइड एरिया है, जहां पर जमींदारी आज भी समाप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो इन लोकल–बाडीज, जिन–जिन स्थानों पर जमींदारी नहीं समाप्त हुई हैं वहां पर जमींदारी

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जल्द से जल्द समाप्त करें, ताकि वहां के लोग भी यह समझ सकें कि जिस तरह से देहातों की जमींदारी समाप्त हुई है, वहां की यदि जमींदारी समाप्त हो जायगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बच्चा पाठक--]

तो उनको राहत हो जायगी। मैं यही आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

जहां तक आज जो राजस्व विभाग की बात है, हम देखते हैं, बाढ़ का समय है, राजस्व अधिकारी बाढ़ के समय में राहत के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितनी राहत बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देना है, उतनी राहत नहीं मिल रही है। जहां तक देखा गया है कि जो प्रत्येक वर्ष नावें जो हैं, लोगों को बाढ़ के समय में इधर से उधर हटने के लिए लगाई जाती हैं, हमारे जनपद में तुलसीपार श्रीनगर बांध है, उससे आज भी बाढ़ से लोग तबाह हैं। वहां पर नावें राहत कार्य के लिए लगाई जाती हैं। अगर राजस्व विभाग उन गावों को ऊंचा करा दे, तो मैं समझता हूं कि राहत के कार्य में बहुत कुछ लाभ हो सकता है और जो नावों के ऊपर तमाम रुपया खर्च होता है वह नहीं होगा। जहां तक एक परम्परा रही है अभी तक कि जब कहीं आग लगती है, वहां पर लेखपाल रिपोर्ट करते हैं, तहसीलदार तस्दीक करते हैं, उसके बाद वहां के लोगों को इमदाद पहुंचाई जाती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां पर आग लगे वहां के मकान के स्वामी का जो नुकसान हुआ हो, वहां के लोगों को जल्द से जल्द राहत के कार्यों के लिए जो कुछ नुकसान हुआ हो, उसकी मदद करनी चाहिए। आज राजस्व के विषय में यह देखा जाता है कि हमारी सरकार गरीबों को जो जमीन दिए है और उन पर कब्जा नहीं मिला है, उसको हमारी सरकार दिला रही है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में यह देखा गया है कि उस जमीन में जो जमीनें गरीबों को दी गई हैं, उन तीन वर्षों में बहुत से ऐसे लोगों ने गरीबों की जमीनें छीन लिया है। उनका उत्पीड़न किया है। इस प्रकार की अगर कहीं पर घटना हो, गरीबों और हरिजनों से अगर जमीन छीनी गई है, तो उनको तत्काल दिलाने की व्यवस्था की जाय। देहातों में हमारे यहां बहुत बड़े-बड़े ताल हैं, ताल के मालिक मछुवे होते हैं, लेकिन वह जमीन उन लोगों के नाम से काश्त है, जिनसे कि उस जमीन से कोई मतलब नहीं है। एक रेवतादह है, वहां पर जो मछली पालने वाले मछुवे हैं, आप वहां पर जायं तो देखेंगे कि आज भी वहां पर उस ताल की जमीन पर नाम वहां के जमींदारों का है। बहुत सी ऐसी भी जमीनें हैं जो कि वहां के जमींदारों के नाम से अंकित हैं, मैं चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी इसकी जांच कराइए और जो गलत तरीके से मालिकाना दर्ज है, उसको हटावें। जहां तक आज की जो परिस्थिति है राजस्व विभाग की उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। भी हालत इसकी होती जा रही है उसके द्वारा हमारे सरकार की मंशा पिछले साल देखी गई। वहां जो भी सहायता बाढ़ग्रस्त लोगों की की गई वह बिल्कुल नगण्य रही है। और आज हमारी सरकार बाढ़ग्रस्त लोगों की किस प्रकार से सहायता कर रही है, अनाज, वस्त्रों तथा अन्य जरूरत की चीजों का वितरण किया जा रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि उन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लगान लागू करने की नीति पर सोच विचार कर निर्णय किया जाए और अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ राजस्व मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री विजय सिंह राना--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज आपने बोलने का मुझे अवसर दिया। राजस्व मन्त्री जी ने जिन बातों की ओर अपने प्रस्ताव में इशारा किया राजस्व के बारे में उनमें दो बातें विशेष रूप से समझ

में आती हैं। एक जैसा कि जमीन के पट्टे की बात और दूसरी चकबन्दी में छोड़ी गई जमीन की बात। जमीन के पट्टे के सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि जो पट्टे हरिजनों को दिए जाय। मैं इन लोगों को पट्टे दिए जाने के विरोध में नहीं हूं। लेकिन दिए जाने से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि हम जिसको पट्टा दे रहे हैं, वह इस योग्य है भी या नहीं क्यों कि आज के वैज्ञानिक युग में जहां आज तमाम वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। हमें यह देखना होगा कि हम जिसे पट्टा दे रहे ह भले ही वह हरिजन हो उसके पास इन उपकरणों, इन साधनों का अभाव तो नहीं है, वह भली प्रकार से खाद अपने खेतों में डाल सकता है, उत्तम बीज डाल सकता है और उसे उस खेती की भली प्रकार से देखभाल कर सकने के योग्य है भी या नहीं। और यदि इन साधनों का अभाव है उसके पास तो उससे उसको क्या लाभ होगा और उससे प्रदेश और देश को क्या लाभ होगा। आप इन लोगों में एक-एक या दो-दो बीघे का ही पट्टा देते हैं तो इन एक-एक और दो-दो बीघे की जमीन पर उन यंत्रों और उपयंत्रों का क्या प्रयोग वह करेगा इतनी जमीन पर तो हलबैल भी नहीं रख सकता। जब इन चीजों का उपयोग नहीं हो सकता तो उत्पादन भी उसी अनुपात में होगा। तो मैं समझता हूं कि एक-एक और दो-दो बीघे से अधिक जमीन के पट्टे बांटे जाएं और इस नीति को छोड़ा जाए चाहे पट्टे केवल हरिजनों को ही बांटे जाएं। पर ऐसे लोगों को बांटे जाएं जो सही तरीके पर खेती के प्रयोग में आने वाले उपकरणों का प्रयोग कर सकते हों, हरिजनों को जो पट्टे दिए गए हैं, उनमें अधिकतर देखने में आया है कि उन लोगों ने दूसरे आदमियों को पट्टे दे दिए हैं, जिनके पास तमाम साधन मौजूद हैं, बड़-बड़े किसान हैं। उनके नाम सीधे न करके दूसरे ढंग से कर दिए जाते हैं। नाम तो पट्टे पर उन्हीं का होता है लेकिन वास्तव में काबिज कोई और होता है। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री जी को सोचना चाहिए इस ओर भी कि ऐसे आदमियों को पट्टा दिया जाए जो उस जमीन का वास्तविक रूप में उपयोग कर सके।

दूसरी बात मान्यवर, चकबन्दी के सम्बन्ध में है जहां-जहां चकबंदी हुई है और जहां-जहां जमीन छोड़ी गई है। आज तक वहां के गांवों के अन्दर के झगड़ों के मूल कारण बने हुए हैं। आज जितनी भी चकबन्दी की जमीन बची उस जमीन का उपयोग कोई उचित ढंग से या नियोजित ढंग से नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जो जमीन छोड़ी गई है, उसकी व्यवस्था इस भांति से की जानी चाहिए कि कम से कम नीति की दृष्टि से न्यायगत आधार पर उसका विभाजन लोगों के बीच में किया जाता। अन्त में मैं एक बात राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में और कागजात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो गांव के किसान है वह इस बात को जानते है कि गांव के अन्दर सबसे बड़ा अफसर पटवारी है। पटवारी की हैसियत के बारे में मान्यवर, मैं एक कहावत बता दूं।

[श्री विजय सिंह राना—]

गांव के किसी किसान का खेत का मुकदमा था जज साहब ने उसका फैसला गांव के किसान के फवर में कर दिया। किसान ने अदालत में कहा आपने बड़ी मेहरबानी की जो आपने हमारे हक में निर्णय किया, भगवान आपको पटवारी बना दें। गांव का किसान कहता है भगवान आपको पटवारी बनादें। आज भी गांव का किसान गांव के पटवारी को जज और कलेक्टर से बड़ा अफसर मानता है। उसका कारण यह है कि वास्तव में पटवारी के हाथ में इतने अख्तियारात है कि चाहे जिसकी जमीन चाहे जिसके नाम लिख दे।

मान्यवर, इसके लिए जोत बही की व्यवस्था की गई थी गांव के अन्दर पटवारियों के हकों को कम करने के लिए लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। जब लोगों को टैक्टर या ट्राली लेने के लिए जाना पड़ता है कर्जे लेने के लिए तो जोतबही से काम नहीं चलता है। वहां उसको खसरा खतौनी की नकल पटवारी से लेकर देनी पड़ती है तो मैं कहता हूं कि जोतबही का व्यावहारिक ढंग से उपयोग नहीं किया गया। पटवारी का हक सारी जमीन पर है। तो मैं चाहूंगा कि राजस्व विभाग एक कमेटी गठित करे, जो यह सोचे कि पटवारी या उनके अधिकार है जिससे किसान पीड़ित है, उसमें किस प्रकार से कमी की जाय जिससे किसान को राहत मिले। राजस्व पर जो चर्चा हो रही है इसमें इतने सारे राजस्व के विभाग है कि सब पर विचार करना सम्भव नहीं है। जो जमीन पर लोगों के मकान बनाने की व्यवस्था की जाती उसमें सबसे बड़ी कमी है वह उन लोगों को दी जाती है जो मकान नहीं बना सकते तो मेरा अनुरोध है जिन लोगों को भूमि दी जाती है उनको मकान बनाने के लिए, ऋण भी दिया जाय। तब तो इसका कोई व्यावहारिक महत्व होगा।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में। आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा कि बहुत से लोगों को बहुत सा ऋण दिया जाता है और वह 4 गुना 8 गुना हो जाता है, किन्तु वह ऋण वापस नहीं होता क्या किसी ने सोचा है तो गांव के अन्दर का यह ऋण वापस क्यों नहीं होता। तो मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि कम से कम राजस्व विभाग यह नियम बनाए कि गांव में किसानों को जो ऋण दिया जाता है वह एक निश्चित सीमा के अन्दर वापस हो जाय। कम से कम ऋण अदायगी की एक सामान्य सीमा हो। लोगों को एक हजार, 2 हजार, 3 हजार वसूल हो कर नहीं आता उनको टैक्टर, ट्राली और खेती के नाम पर इतना ऋण दे दिया जाता है कि वह उसको दे पाता है। मैं स्वयं जानता हूं जो 20–25 बीघे के काश्तकार है जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है, ऋण की अदायगी में वह टेक्टर उनका समपोषण नहीं बल्कि किसानों को ऋण अदायगी के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। साथ ही राजस्व मंत्री जी को और सरकार को सोचना पड़ेगा कि किसानों को उठाकर इस सीमा तक ले आयें कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाय और ऋण अदायगी की स्थिति में आ जाय और ऋणों की अदायगी सम्भव हो सके।

मान्यवर, एक बात यह कहनी थी कि यहां पर लखनऊ में कर्मचारियों के भवन निर्माण के लिए जिलाधिकारी, लखनऊ को संस्थागत वित्त से पसा दिया लेकिन मामला 78 से अनिर्णीत पड़ा है। जहां पर जिलाधिकारी लखनऊ को कर्मचारियों के भवन निर्माण के लिये भूमि की व्यवस्था करनी थी, वह आज

तक नहीं हो पायी । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र व्यवस्था हो जाय तो अच्छा होगा ।

*श्री राजकुमार राय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व मंत्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं 2/3 बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन जगहों पर चकबन्दी हो रहीं हैं, वहां पर आबादी के लिये जमीन छोड़ी जा रही है । लेकिन उस जमीन के बारे में कहीं भी स्पेसीफाई नहीं किया गया है कि उस जमीन का मालिक कौन होगा और जितने भी टेन्योर यहां पर हमारे यहां हैं, सबमें मान्यवर, कोई न कोई मालिक दर्ज है । श्रीमन्, आपको भी अनुभव होगा और माननीय सदस्यों को भी अनुभव है कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी अगर वही बहुत बड़ा काम कर दें कि जो जमीन चकबन्दी में आबादी के लिये छोड़ी गयी थी, उसको जिस काम के लिये छोड़ी जाय उसको खास ढंग से नक्शे में दिखा दिया जाय और उसका मालिक या इंतजाम करने वाला कौन हो, यह साफ कर दिया जाय ।

जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने ठीक कहा, कहीं पर कोई जमीन किसी के नाम न होने के कारण गांव के जो मजबूत आदमी होते हैं, वे उस जमीन पर हावी हो जाते हैं और उस जमीन को छोड़ने के बारे में शासन की जो मंशा होती है कि हरिजनों और गरीबों को वह जमीन मिलेगी, उसका लाभ उनको नहीं मिलता । गांव के ये बड़े लोग उस पर हावी होकर कब्जा कर लेते हैं । देखा यह जाता है कि गांव में, मान्यवर, इस समय इस तरह से बहुत से झगड़े बढ़ते जा रहे हैं महज जमीन को हड़पने के लिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गांव में जितनी जमीन छूटे, वह जिस विशेष कार्य के लिये छोड़ी जाय, उस पर उसको अंकित करा दिया जाय तो उस विशेष कार्य के होने में बाधा नहीं पड़ेगी और कम से कम जो दूसरे लोग उस जमीन पर हावी हो जाते हैं या आक्रामक हुआ करते हैं, यह नहीं होगा ।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरी समस्या पट्टे के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय इन्दिरा जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1976-77 में बहुत से पट्टे दिये गये । हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज कुमार राय—]

शासन की नीति रही है कि हम कहीं भी जिन लोगों को पट्टे दिये गये है, उनको कब्जा दिलायेंगे । माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि पट्टों की मन्सूखी के लिये जितनी भी दरख्वास्तें पड़ीं, मामलात दर्ज हुये (राजस्व मन्त्री जी को भी अनुभव होगा) उन किसानों के मामले, अन्य मुकदमों की तरह, दीवानी आदि के मुकदमों की तरह 74-75 के मुकदमें वैसे ही लम्बित हैं ।

माननीय मन्त्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि महीने या साल तय कर दे कि बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, 4 बिस्वा किसी खास काम के लिए जमीन मिलती है और अगर उसे सैकड़ों पर, हजारों पर उसकी व्यवस्था करेंगे या उसका निराकरण नहीं करेंगे । अगर नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा । इसकी कोई उचित व्यवस्था कर दें जिससे निर्धनों को कुछ सुविधा हो सके । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू विभाग में बाढ़ को मापने के लिए जो मेजरमेन्ट बना है, आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट में बहुत डिफेक्टिव है । एक ही नदी में 2 जगह लेखा जोखा रखा गया है । एक जगह यदि 127 आता है और दूसरी जगह 228 बता रहा है । यह अच्छा नहीं है । मैंने बाढ़ के सम्बन्ध में कहा था और मुझे महसूस हुआ कि वह दरअसल सवाल राजस्व मंत्री जी का था ।

हमारे यहां बाढ़ के इलाके में जहां पर नदी के कटाव में जो जमीन चली आती है बहुत दिनों तक रह जाती है और जिसकी जमीन बहती है उस आदमी का अधिकार हट जाता है । और जहां तक तत्परता की बात है जो तो इलूवियन श्रेणी में जमीन लेने में होती है वही डिलोवियन श्रेणी की जमीन के लिए भी होनी चाहिये । डिलोवियन श्रेणी वाले कभी सीरदार की श्रेणी में नहीं आते हैं । नदी का कटाव बढ़ता जाता है । मैं चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था राजस्व मंत्री जी करें । जहां नदियों की धारा पचासों स्थानों पर बदल जाती है, बदल चुकी है उनकी श्रेणी को बदल कर श्रेणी 2 में कर दिया जाय ।

एक निवेदन और करूंगा राजस्व मंत्री जी से कि प्रदेश में अगर उन जिलों में जहां बहुत से गांव चकबन्दी से छूट गये हैं उनके लिए लाखों बार कहने पर भी कोई आदेश नहीं हुए हैं । आजमगढ़ जिले में घोसीपुर तहसील में, रसूलपुर, दाउदपुर, सरखोरा आदि में ऊंची जमीनें हैं । यह जमीन चकबन्दी होने लायक है । महज प्रिन्टिंग की गल्ती से छूट गये हैं । इसलिए जो भी गांव छूट गये हैं । उनके लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया जाये ।

*श्री रियासत हुसैन—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया । लेकिन मुझे खेद है कि आज प्रदेश के 46 जिले तो बाढ़ में हैं और 6 जिले सूखे में हैं । इस माननीय मंत्री जी को अनुदान लेना पड़ा । लेकिन खेद की बात है कि रिलीफ देना है मंत्री जी को । लेकिन लैन्ड रिकार्ड मैनुअल आई० सी० एस० का बनाया है इसलिये अगर कुछ करना चाहते हैं तो लैन्ड रिकार्ड मैनुअल में कुछ संशोधन करिये ताकि जो आप करने जा रहे हैं उसको क्रियान्वित किया जा सके ।

दूसरी चीज श्रीमन्, चकबन्दी में जो जमीन छोड़ी गयी थी और जिस पर बाद में पट्टे हुये हैं हरिजनों या किसी दूसरे के । उस पर पट्टे दिलाने के बराबर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदेश हुए हैं । अखबारों में भी भेजा गया होगा, 30 सितम्बर लास्ट डेट थी, 30 सितम्बर तक जहां-जहां नहीं हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मैं चाहता हूं कि 30 सितम्बर के बाद अगर किसी गांव से शिकायत आती है तो बड़े-बड़े अधिकारियों को छोड़ दीजिये कम से कम कानूनगो को तो सस्पेन्ड कर दें । जिलाधिकारी और हाकिम परगना को तो छोड़ दीजिए उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते । सीलिंग को ले लीजिये जिस तरह से लोगों न किया, हमारे ही यहां लीजिये, भोजपुर में नियाज वगैरह ने किस तरह से सीलिंग से बचने के लिए किया । खरवा गांव हैं वहां के लोगों ने किस तरह से सीलिंग से बचने का प्रयास किया 1947 के बाद, आजादी के बाद, 33 साल गुजर गये लेकिन आज तक जो सेट-अप है लेखपाल और कलेक्टर का वह वैसा ही है ।

नाम आप बदल दीजिए पटवारी से लेखपाल कर दीजिए या पेटपाल कर दीजिये काम वैसा ही है । उसी तरीके का जो अंग्रेजों ने उस वक्त बनाया था जिस वक्त अंग्रेज हिन्दुस्तान में हुकूमत करते थे । अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो सेट-अप बनाया था वही आज भी चला आ रहा है । उसमें कुछ न कुछ चेन्ज हो जो हमारा डेमोक्रेटिक सेट-अप है उसके मातहत। 60 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आपका है । उस वक्त 60 करोड़ की कीमत बहुत बड़ी थी । लैन्ड रेवन्यू ही सबसे बड़ी आमदनी थी । आज अरबों का बजट हो गया है यह कोई बड़ी आमदनी नहीं है । सेल्स टैक्स, इक्साइज और अन्य तरीकों से बहुत बड़ी आमदनी होती है । भूमिहीन जो हैं, छोटी जोत वाले है, उनके ऊपर भी लगान आपने लगाया । भूमिहीनों की आप मदद करना चाहते हैं, इसलिए यह किया गया कि उसको भी कहने का अधिकार हो जाए कि वह भी इस धरती की एक बीघा दो बीघा जमीन के मालिक हैं । उनका गुजर तो नहीं हो सकता, हां, उनका हक जरूर हो जाएगा कि हम भी दो बीघे जमीन के मालिक हैं । उनसे भी आप लगान लेते हैं । जो भूमिहीन हैं, अलाभकर जोत वाले हैं, सवा छः एकड़ जमीन अलाभकर है, उनका लगान माफ होना चाहिए। सवा तीन एकड़ तक का लगान माफ है । मुझे खतरा है, जब प्रोहीबिशन खतम कर दिया, इसलिये कि 20-25 करोड़ की रकम आने वाली है, कहीं सवा तीन एकड़ तक जो माफ किया हैं, उसे भी रेवेन्यू के लालच में खतम न कर दें । मेरा निवेदन है कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ होना चाहिए ।

एक चीज की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जमीन चकबन्दी में है, किस तरीके से पूरे प्रदेश में झगड़ा है । शायद ही कोई खुशनसीब होगा, जिसकी जमीन में डिस्प्यूट न हो ।

[4 बजकर 20 मिनट]

जो प्रधान हैं, उन्होंने अपने चाचा, भतीजों की लिस्ट अलग बना ली कि इन-इन लोगों को जमीन देना है, लेखपाल अपनी लिस्ट बनाये है कि इनको जमीन

[श्री रियासत हुसैन--]

देना है । तो इसका नतीजा यह होता है कि जो जरूरतमन्द लोग होते हैं, उनको जमीन नहीं मिल पाती है । बहुत बड़ी तादाद में सही लोगों को जमीनें नहीं मिली हैं । तो मेहरबानी करके कोई ऐसा ड्राइव चलाये, जिसमें गांव-गांव में अन-अथराइज्ड कब्जे जो दो-दो बीघे के लोगों ने घर बना लिए हैं, उनको डिस्करेज किया जाय और वाकई में जो जरूरतमन्द लोग हैं, उनमें वह जमीन दी जाय । आखिर में मैं यह कहकर, जो लैन्ड रिकार्ड मैनुअल बना है, उसको बदलिए, बोर्ड आफ रेवेन्यू को खत्म करिये, यही सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं बहुत देर से सब लोगों की बातों को सुन रहा था । मैं ऐसा महसूस करता हूं और यह सब लोग जानते भी हैं कि दो सेट अप हैं । एक तो कानून बनाने वालों का है और दूसरा उस कानून को लागू करने वालों का है । कानून बना, यह बात सही है, लेकिन कानून को लागू करने वाले अगर कानून को लागू नहीं करते हैं, तो फिर इसके लिये क्या व्यवस्था है । मैं ऐसा समझता हूं कि कानून बनाने वाले लोग कानून बनाकर उसको लागू करने के विषय में बल देते हुये कहते हैं जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी, प्रदेश से लेकर केन्द्र तक जो सरकार में लोग थे, वह यह कहते थे कि अगर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई तो सख्ती की जायगी । यह जब कहा गया तो जरा और गड़बड़ी होने लगी । उसके बाद फिर यह कहा गया कि यह गड़बड़ी नहीं रोकी गई तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी तो गड़बड़ी और भी ज्यादा बढ़ गई । इस पर फिर कहा गया कि अगर इस गड़बड़ी को नहीं रोका जायेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जायगा तो फिर मामला जरा और गड़बड़ होने लगा ।

तो इसी तरह के बयान सरकार के आया करते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जायगा और सब चीजों को बर्दाश्त किया जाता है, बर्दाश्त करते चले जाते हैं । लोकतान्त्रिक सरकार में यह काफी दिनों से चला आ रहा है और इस तरह के बराबर बयान आते हैं कि हरिजनों पर किसी तरह का जोर जुल्म, अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी, लेकिन अत्याचार होते रहते हैं । कहा जाता है कि जमीन अगर नहीं दी जायगी तो बर्खास्त किया जायगा, लेकिन कोई बर्खास्त नहीं होता है । सवाल यह है कि देने की मंशा है, कानून में जमीन दी जा रही है, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन जिनको देने की बात कही जाती है, उन तक वह चीज नहीं पहुंचती । बाढ़ से पीड़ित लोग हों, चाहे महामारी से पीड़ित लोग हों, चाहे जमीन देने की बात हो, चाहे अनुदान देने की बात हो ।

उचित यह होगा कि अगर किसी को विशेष अवसर उपलब्ध कराया जाता है, जिनको देने की बात की जाती है, उनको वह सुविधा पहुंच जाय यह खास बात है । जिनको देने की बात कही जाय उनको आधा हिस्सा भी न पहुंच पाये यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है । लोग एक तरफ इस आशा में रहते हैं कि सरकार उनको दे रही है, लेकिन जब मिलता नहीं तो निराशा पैदा होती है और दूसरी तरफ जैसे जमीन की बात लें तो जमीन कहीं से आयेगी नहीं बल्कि जमीन जिसके पास ज्यादा है, उसके पास कम करके उससे ली जायेगी या ऊसर और बंजर जमीन या ग्राम समाज की जमीन भूमिहीनों को दी जायेगी ।

तो इससे भूमिहीन लोग खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनसे जमीन ली जायेगी, वह लोग ईर्ष्या रखने लगते हैं और जलने लगते हैं। चूंकि दो तरह के लोग हैं एक तो भूमिधर लोग हैं और दूसरे भूमिहीन लोग। तो जब मजदूरों को जमीन मिलेगी तो वह खुशहाल होंगे और फिर वह काम नहीं करने जायेंगे, इससे भूमिधर लोगों को परेशानी होगी, इसलिए वह जमीन को नहीं देना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जितनी देने की बात कही जाय, उतनी उनको दे दी जाय। लेकिन जिनकी मंशा है कि हम जमीन हड़पें रहें तो कानून बना देने के बाद भी भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पायेगी बावजूद इसके कि लेखपाल या प्रधान बिना कुछ लिए गरीबों को जमीन देने को तैयार नहीं हैं, किन्तु कुछ जुदाकर यदि उनको दे भी दिया जाय तो भी दूसरे लोग उस जमीन पर मुकदमा कर देते हैं तो जितना उसको मिला नहीं, उससे ज्यादा वह तबाही में मुकदमें से फंस जाता है। इसलिए नियत यदि देने की ठीक है तो निश्चित है कि गरीब को जमीन मिल जायेगी, लेकिन यदि देने की नियत ठीक नहीं है, तो कानून बनाने से उसको जमीन नहीं मिलेगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था है कि यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाय या वह घायल हो जाय या हाथ पैर टूट जायं तो उसको 5 हजार और एक हजार रुपये देने की व्यवस्था पिछली सरकार ने किया था, जिसको मौजूदा सरकार लागू कर रही है। लेकिन दैवी आपदा को जैसे बाढ़, अग्निकान्ड यदि पशु और आदमी मर जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी क्या की जा सकेगी? क्योंकि अच्छे बैल, भैंस, बच्चे आदि दैवी आपदा में तूफान और आग में मरते हैं तो सरकार से मेरा निवेदन है कि क्षतिपूर्ति के रूप में उनको भी कुछ दिया जाय। अन्त में मैं राजस्व मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव दिया है उस पर सरकार विशेष ध्यान देगी।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपने-अपने मत व्यक्त किये हैं। एक बात इधर और उधर दोनों तरफ से मान्यवर, कही गई और मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे कि आवंटियों को कब्जे दिलाने या आवंटियों को संरक्षण प्रदान करने, इसके लिये जरूर कोई व्यवस्था निकाली जानी चाहिये। लोग 98 के मुकदमे में फसा दिये जाते हैं, अन्य मुकदमों में फसा दिये जाते हैं। वे इधर-उधर दौड़ भाग करते हैं, हार कर बैठ जाते हैं, तो इसके लिए उनको संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जानी चाहिये।

[श्री मीखा लाल—]

माननीय संकटा प्रसाद जी बोल रहे थे। अच्छी बात कह रहे थे। जो बात कल मने कही थी वही बात कह रहे थे कि सरकार की तरफ से क्या होता है कि अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्यवाही की जायेगी अगर ऐसा किया गया तो बरदाश्त नहीं किया जायगा, यदि ऐसा किया गया तो बरखास्त कर दिये जायेंगे। तो सख्त कार्यवाही नहीं होती, बरखास्त भी किया जाता है और कोई बरखास्त नहीं होता और सरकार बरखास्त हो जाती हैं। इन्हीं अधिकारियों के कारनामों की वजह से सरकारें बरखास्त हो रही हैं, जल्दी-जल्दी बरखास्त हो रही हैं और इसी तरह भविष्य में चलता रहेगा और प्रदेश में एक इन्सटिबल्टी का वातावरण रहेगा। हरिजनों के साथ, निर्बल वर्ग के साथ, गरीब और भूमिहीन के साथ 1977 के पहले उपेक्षा का बर्ताव हुआ, कांग्रेस सरकार बरखास्त हुई, 77-80 में उपेक्षा का बरताव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बरखास्त हुई। अब अगर उपेक्षा हुई तो मौजूदा सरकार कितने दिन चलेगी। इस वजह से यहां जो घोषणा होती है और जिस दृढ़ता के साथ होती है कम से कम उसका 50 प्रतिशत ही लागू कर दिया जाय तो बहुत कुछ सुधार होगा।

एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय राजस्व मंत्री बेचारे घोषणा करते हैं लेकिन कुछ मामले में वह असहाय हैं। उनको काम लेना है तहसीलदार से, एस० डी० एम० से, कलेक्टर से, लैंड रिफार्म कमिश्नर से, कमिश्नर से, बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से लेकिन वह शायद इन अधिकारियों के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ, कोई कार्यवाही करने की क्षमता नहीं रखते, यह उनका अधिकार नहीं है क्योंकि बैठे हुये हैं एपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट, प्रशासनिक विभाग, जिनके कार्य क्षेत्र में यह चीज आती है। लैन्ड रिफार्म्स के मामले में अगर कोई डिप्टी कलेक्टर असावधानी करते हैं तो माननीय मंत्री जी उनका बाल बांका नहीं कर सकते जब तक एपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट न कहे। शासन को इस पर सोचना पड़ेगा। जो विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी हैं उनके उपर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए कुछ तो अधिकार देने चाहिये ताकि अधिकारियों को कुछ भय रहे। गलत काम करेंगे तो संबंधित मंत्री यदि कहें कि यह बरदाश्त नहीं किया जायगा, सजा दी जायगी, तो कम से कम मंत्री बरदाश्त न करें और सजा दिला सकें, यह भय रहे।

एक बात माननीय राना जी ने कही कि थोड़ी-थोड़ी जमीन छोटे किसानों को, भूमिहीनों को, देकर जमीन का उपयोग नहीं होगा और यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है कि ऐसे आदमी को जमीन दी जाय जो इस का उपयोग नहीं कर सकता है बल्कि जमीन ऐसे आदमियों को दी जाय जो उपयोग कर सके। इसके पीछे यह दलील निकाली जा सकती है कि छोटे कास्तकारों से जमीन लेकर ऐसे काश्तकारों को दे दी जाय जिनके पास बहुत जमीन है। मैं नहीं समझता कि यह लोक दल की भूमि संबंधी नीति है। यह उनका अपना विचार हो सकता है। इसके बदले वैज्ञानिक तरीका यह है कि शासन को इन भूमिहीनों को जमीन के उपयोग के लिये मदद करनी चाहिए ताकि वह इसका उपयोग कर सकें। दूसरा वैज्ञानिक तरीका जैसा मैंने पहले कहा सहकारी समिति से बांध दिया जाय। जाहिर है कि लोकदल इसका पक्षपाती नहीं है। जब हमारे यहां छोटे जोतों की संख्या इतनी अधिक है तो उत्पादन बढ़ाने के लिये और आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए सिवाय इसके और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

एक अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि बरसात में लाखों की तादाद में मकान गिरे हैं। मेरे उन्नाव जिले में अस्सी हजार मकान गिरे हैं। प्रदेश के और स्थानों की क्या हालत होगी। शासन जो कुछ भी उसके साधन हैं मदद देने की कोशिश कर रहा है हालांकि वह नाकाफी है। पूरा नुकसान का मुआवजा कोई भी शासन नहीं दे सकता लेकिन क्या निकट भविष्य में शासन इस बात पर विचार करेगा कि आवास विकास की योजना शहरों से आगे बढ़ाकर देहातों में भी लागू की जाय ताकि गरीब किसानों को सस्ते दर पर मकान मिल सकें। जिन काश्तकारों के पूरे मकान गिर गये हैं उनको बनवाने में उनकी तीन-चार साल लग जायेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आग्रह करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूं अपने उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे अनुदानों के प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त किये कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको शासन स्वतः कार्यान्वित करता जा रहा है लेकिन संभवतः माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं है। बहुत से सुझाव ऐसे भी हैं जिनपर विचार किया जा सकता है। जिस समय मैंने अनुदान पेश किया था उस समय मैंने दो एक बात कही थी। उनसे कुछ भ्रम न हो गया हो इसलिये उनको पहले क्लीयर कर देना चाहता हूं। तराई में बोक्सा और थारू लोगों के पास जो कब्जे चले आ रहे थे उनके सम्बन्ध में 381 फसलों पूर्व के सभी कब्जे रेगूलराइज कर दिये गये हैं और उसके बाद के कब्जों को बेदखल करने की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा यह भी जिक्र किया था कि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था की धारा 133 के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये थे शासन की भूमि के उनको उसी इस्तेमाल में लाया जाय जिस मकसद के लिये वे दिये गये थे और यदि उस इस्तेमाल में वे नहीं लाये गये तो फिर जैसा आपने सुना होगा यही सही है कि पट्टे मुफ्त में ले लिये गये थे और फिर लाखों रुपयों में फरोख्त कर दिये गये थे उस स्प्रिट को रोकने के लिये सरकार सेक्शन 133 को तबदील करने की सोच रही है ताकि इस किस्म के लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। माननीय सदस्य, उन्नाव ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की कि मंगलदेव विशारद समिति की सिफारिशें कोल्ड स्टोरेज में पड़ गयी हैं। माननीय सदस्य बहुत पुराने तथा अनुभवी सदस्य हैं। बहुत सोच-विचार कर के कोई बात कहते हैं लेकिन आज खेद की बात है कि किसी से सुनी हुई बात उन्होंने कह दी। मान्यवर, मंगलदेव विशारद समिति ने 172 सिफारिशें की थी और उनमें से 137 निस्तारित हो चुकी है और शेष के ऊपर कार्यवाही रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कमेटियां बनाई जाती हैं उनको हो सम्मान दिया जाता है शासन की और से और ऐसी बात नहीं है कि उनको

[श्री यशपाल सिंह--]

नजरन्दाज रखा जाता हो। इसके अतिरिक्त सम्मानित सदस्य रियासत साहब ने जो हमारा लैंड रेवेन्यु मैनुअल है उसके अमेन्डमेंट की तरफ बहुत बल दिया है लेकिन अमेन्डमेंट बताया नहीं। अगर उसमें आप कुछ सुझाव देंगे तो हम मानेंगे। यदि कोई उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से उसकी तरफ ध्यान दिया जायेगा। ऐसा नहीं है कि ध्यान न दिया जाय। सम्मानित सदस्य उन्नाव ने चिन्ता व्यक्त की और चिन्ता होना स्वाभाविक है कि हमारे जो भूमिहीन लोगों को भूमि दी गई उनकी सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिये। आज उनको कब्जा दिलाया जाता है और कल कोई शक्ति सम्पन्न आदमी उसमें बैठ जाता है तो वह बेचारा कहां-कहां अदालतों में मारा फिरे इस लिये यह अवश्य एक चिन्ता का विषय है। मैंने सुबह यह भी कहा था माननीय सदस्य नें उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा कि इस प्रकार नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध शासन यह विचार कर रहा है कि उसमें सजा का प्राविजन उन्होंने 123 का जिक्र कर के किया किन्तु हम ऐसे व्यक्तियों की सजा और जुर्माना जो 198 के अन्तर्गत है, अनिवार्य रूप से करा दिया जाय। केवल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सजा ही न हो बल्कि जुर्माना भी हो। दोनों हो। साथ ही ऐसा भी किया है कि जुर्माने की रकम ऐसे लोगों से वसूल की जाय कि उसका एक अंश अवन्टी को अवश्य दी जाय जो कि उनकी तरफ से प्रताड़ित किये गये हों। इसके साथ ही साथ शासन यह भी विचार कर रहा है कि असिस्टेंट कलेक्टर को यह अधिकार दिये जायं कि जो व्यक्ति बाद में चले जाते हैं उनका कब्जा वापस करा सके।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

गरीब आदमी सबूत नहीं ला पाता है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। जब तक माननीय मंत्री जी खड़े रहते हैं आपको अधिकार नहीं है कि आप खड़े होकर कोई बात कहें।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों को चिन्ता है। एक प्रश्न मैंने उनके सामने रखा था कि प्रदेश में जो अलाभकर जोतें बढ़ती जा रही हैं और जिनकी संख्या सवा तीन एकड़ से कम है वे करीब 1 करोड़ 71 लाख हैं और जो सवा तीन एकड़ से सवा छः एकड़ तक की हैं वे 58,56,200 के करीब हैं। माननीय सदस्यों के ऊपर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। सम्मानित सदस्य उन्नाव ने एक सुझाव अवश्य दिया कि केवल सहकारिता ही हल है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम सुझाव देंगे। जब सुझाव आपकी तरफ से आ जायेंगे तो शासन उन पर तुरन्त विचार करके निर्णय ले लेगा। एक सुझाव यह भी हो सकता है कि इन अलाभकर जोतों को सहकारिता के तरीके से इनसेंटिव देकर उनको लाभकर बनाया जा सकता है या इसके अतिरिक्त और भी सुझाव हो सकते हैं। तो मैं माननीय सदस्यों को इनवाइट करता हूं इस बात के लिए कि वह इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दें तो उन पर विचार किया जायेगा।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सीलिंग ऐक्ट को बिल्कुल फेल कर दिया हमारे आंकड़ों से। मुझे तो अफसोस है इस बात पर कि शायद वह भावुकता में वह

बात कह गये । मैंने यह आंकड़ा पेश किया था कि हमारे यहां 20 एकड़ से जो अधिक खेती हैं उनकी संख्या 3,34,026 हैं । माननीय सदन के सदस्यों ने जिस वक्त सीलिंग ऐक्ट यहां से पास किया तो उसमें बुंदेलखंड को 18 एकड़ के बजाय 27 एकड़ माना और इसी प्रकार असिंचित जमीन को भी 27 एकड़ माना । जो दरिया के किनारे हैं उनके लिए भी सीलिंग बढ़ा दी । तो मान्यवर, इससे हमारा सीलिंग ऐक्ट फेल हो गया । तो मैं उनके भ्रम के निवारण के लिए यह बात बता रहा हूं कि बुन्देलखंड के लिए सीलिंग को बढ़ा दिया, दरिया के किनारों के लिए सीलिंग को बढ़ाया गया इसके अतिरिक्त मुस्तरका जो खेत हैं वह भी 18 एकड़ से ज्यादा हो सकते हैं ।

श्री भीखा लाल--

वह जोत की सीलिंग की है व्यक्ति की नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, निराश हो गये । उनको जानकारी होनी चाहिए कि मुस्तरका फेमली में जहां 5 से ऊपर बालक हैं, उनमें जो बालिग हैं उनको अतिरिक्त जमीन दी गई है । वह 22 एकड़ तक है । ऐसे बहुत से खाते हैं ।

(व्यवधान)

अभी-अभी उन्होंने बहुत बल दिया कि शासन की ओर से जो आदेश पारित होते हैं उनको लागू करने के लिए शासन जो कदम उठाता है उसके बारे में बार-बार कहा जाता है कि अगर नहीं अनुपालन होगा तो सख्त कार्यवाही की जायेगी, बरदास्त नहीं किया जायेगा और कह रहे थे कि जितना कहा करते हैं कम से कम उसका 50 परसेन्ट भी करा दे तो काफी है । तो मैं कहना चाहता हूं उसके जवाब में कि जितने कार्य शासन करता है उनका 25 परसेंट भी मान ले तो काफी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में वार्तालाप न करें ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, एक सम्मानित सदस्य कह रहे थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, कि जमीन का आवंटन गांवों में तो कर रहे हैं लेकिन शहरों में कुछ नहीं कर रहे हैं बात उनकी वहां तक तो सही हो जाती है लेकिन यहां पर गलत हो जाती है कि जमींनदारी एबोलीशन ऐक्ट, 1956 यहां पर भी लागू है ।

[श्री यशपाल सिंह--]

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में राजनीति से ऊपर उठ कर माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए और केवल हम प्रशासन के भरोसे ही इस बात को चलाते रहे और माननीय सदस्यों का कोई सहयोग हमको न मिला तो सम्भवतया उसमें हमें सफलता मिलना मुश्किल हो जायेगी। तो मैं माननीय सदस्यों को भूमि आवंटन के सिलसिले की कामना करता हूं और यह आशा करता हूं कि जो भूमि आवंटन में कठिनाइयां आ रही हैं, उसमें वह अपना पूर्ण सहयोग सरकार को देंगे। जिससे मुझे आशा है कि 30 सितम्बर, तक पूरे प्रदेश में भूमिहीनों को वास्तविक कब्जे दे दिये जायेंगे और उसके बाद भी यदि कब्जा मिलने के सम्बन्ध में शिकायत आई, जैसा माननीय रियासत हुसैन साहब ने चाहा है कि ऐसी स्थित में कानूनगो को सस्पेन्ड कर दिया जाय, यह आर्डर सरकार की ओर से निश्चित रूप से कर दिये जायेंगे, उसमें कोई रुकावट या बनावट हमारी तरफ से नहीं होगी।

मान्यवर, एक बात और कही गई कि हमारा जो बोर्ड आफ रेवेन्यू है, कुछ शिथिल है और यह कह दिया गया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को इस शिथिलता के कारण समाप्त कर दिया जाये। इस प्रकार की संस्तुसियां पहले प्राक्कलन समितियों और पुरानी सरकार की हमारे सामने हैं, शासन उनके ऊपर विचार कर रहा है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त ही कर दिया जाय, यदि उसमें शिथिलता है तो उसमें सक्रियता लाई जायेगी और उसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ी तो उसको समाप्त करने में भी कोई देरी नहीं की जायेगी, यदि हमको उसकी आवश्यकता महसूस हुई।

कुछ अधिक न कह कर मैं अपने माननीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वह हमारी अनुदान की मांगों को स्वीकार करेंगे। इसके पहले कि स्वीकृति के लिए अनुदान रखे जायें, मैं माननीय सदस्य भीखा लाल जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी चर्चा होनी थी वह अब हो गई है।

श्री भीखालाल--

माननीय माल मंत्री जी ने कोई ऐसी विशेष बात नहीं कही है जिससे प्रोत्साहित होकर मैं इसे वापस ले लूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,99,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायत), अनुदान संख्या 92—राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 47—सहायता और पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 83—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—ऋण और अग्रिम—

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,57,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,38,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,67,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग--ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 92--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग--ऋण और अग्रिम अनुदान संख्या 47--सहायता और पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम--

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम, के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 113--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 की अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक स्वीकार हुई है जो सर्वश्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, माता प्रसाद तथा दिवाकर विक्रम सिंह की है--बस्ती जनपद में 10 लाख मूल्य का गेहूं फर्जी नामों से बिहार के लिए तस्करी में ले जाते हुये पकड़े जाने के सम्बन्ध में ।

शेष को मैंने अस्वीकार किया है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष --

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 5 सितम्बर, 1980 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की :--

(1) 6, 11 तथा 12 सितम्बर, 1980 को सदन की बैठक नहीं होगी ।

(2) 15 सितम्बर, 1980 को खाद्य तथा रसद विभाग से सम्बन्धित अनुदानों के स्थान पर परिवहन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान होगा ।

(3) 16 सितम्बर, 1980 को पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीयएकीकरण विभाग से सम्बन्धित अनुदानों के स्थान पर उद्योग विभाग से सम्बन्धित अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान होगा ।

(4) 17 सितम्बर, 1980 को निम्नलिखित विधेयक उनके सामने लिखी अवधियों में लिये जायेंगे :--

(क) उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है और जिसे श्री अध्यक्ष ने धन विधेयक प्रमाणित किया, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार (आधा घंटा) ।

(ख) उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण--(2 घंटे) ।

(ग) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर विचार--(एक घंटा) ।

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण--(2 घंट) ।

(5) 18 सितम्बर, 1980 को उद्योग विभाग से सम्बन्धित अनुदानों के स्थान पर पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभागों से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा ।

(6) 3 अक्तूबर, 1980 को विधायी कार्य और असरकारी कार्य के स्थान पर आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

(7) 6 अक्तूबर, 1980 को पूरे दिन तथा 7 अक्तूबर, 1980 को आधे दिन सिंचाई विभाग से संबंधित अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान होगा।

(8) 7 अक्तूबर, 1980 को शेष आधे दिन खाद्य विभाग से संबंधित अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान होगा।

(9) 8 अक्तूबर, 1980 को आधे दिन वन एवं पर्यटन विभाग से संबंधित अनुदानों और शेष आधे दिन हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग तथा गृह (कारागार) विभाग से संबंधित अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान होगा।

वित्तीय वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान का तिथिवार शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा इस सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद बुलन्दशहर की टाउन एरिया कमेटी "स्याना" में सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने एवं गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार टाउन एरिया स्याना में सफाई की व्यवस्था सुधारने हेतु विगत दो माह से सफाई अभियान चलाया जा रहा है और चार भैंसा बुग्गी कूड़ा उठाने हेतु लगाई गई हैं। अभी तक किसी संक्रामक रोग के फैलने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। टाउन एरिया की विषम आर्थिक स्थिति के कारण विद्युत् विभाग को मार्ग प्रकाश के बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका था अतएव विद्युत् विभाग ने मार्ग प्रकाश के लिए दिया गया कनेक्शन काट दिया है। फलस्वरूप मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था यहां नहीं है। टाउन एरिया की ओर से विद्युत् विभाग को लिखा गया है कि वे बकाया का भुगतान किस्तों में स्वीकार कर लें और बिजली का कनेक्शन दे दें। 4 अगस्त को शासन के स्तर पर विद्युत् बकायों के संबंध में एक बैठक की गयी जिसमें विद्युत् परिषद् के प्रतिनिधि भी थे। यह निर्णय लिया गया कि बकाये की धनराशि यदि अधिक हो तो किस्तों में वसूल की जाय। विद्युत् परिषद् के अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर किस्तें तय करने की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण सफाई कर्मचारियों को अवशेष वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया जा सका। बख्शी का भी वेतन अवशेष था परन्तु जनवरी, 1979 में बख्शी का

[श्री राम सिंह खन्ना--]

स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया था और उनके प्रार्थना-पत्र के आधार पर उन्हें अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया था। टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण कर्मचारियों का वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया जा सका है। अंशदान की धनराशि दी जा रही है। प्रदेश की स्थानीय निकायों में बकाये वेतन के भुगतान के लिए अनुदान देने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा अवशेष वेतन मांगे जाने पर दस प्रतिशत कमीशन लिए जाने की शिकायत निराधार बताई गई है।

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि सफाई कर्मचारियों पर अन्याय इन्दिरा सरकार का नमूना है। किन्तु वर्तमान सरकार तीन महीनों से है जबकि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि वेतन 10-12 माह से बाकी है। वर्तमान सरकार इन पुरानी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही कर रही है किन्तु इन्हें ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही जिसमें आप लोग सहयोग दें।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि निर्णय ले लिया गया है कि बिजली का बकाय टाउन एरिया की ओर से किस्तों में वसूल किया जाए और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि कार्यवाही की जा रही है। आप के यह दोनों स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हैं इसे कृपया साफ करें।

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यह विद्युत् विभाग को लिखा गया है कि भुगतान किस्तों में स्वीकार कर लें और बिजली का कनेक्शन दे दें। यह बिजलीघर वालों को आर्डर दिया गया था।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा जो आख्या भेज दी गई, उसी को उन्होंने पढ़ दिया है, इस पर कोई समुचित जांच नहीं हुई है कि टाउन एरिया स्याना में सफाई की व्यवस्था सुधारने हेतु ...

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं।

श्री छत्तर सिंह--

क्या स्याना में जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए कोई विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लेकर काम कराया जा रहा है।

श्री छत्तर सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि कितने कर्मचारियों को हर माह वेतन मिल पा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जितने भी कर्मचारी वहां हैं, उन सब को बराबर वेतन दिया जा रहा है ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, नियम 51 की नोटिस में दिया गया था कि अभी लगभग 50 माह से वेतन कर्मचारियों के बाकी है, जबकि आपने कहा कि अभी तक केवल 10-12 महीनों का ही वेतन बाकी है। जबकि वहां केवल कार्यालय कर्मचारियों को ही वेतन दिया जाता है और किसी भी सफाई कर्मचारी या भिश्ती को वेतन नहीं दिया जाता है। अगर यह बात सही है तो इस बारे में निश्चित सूचना क्या मंगाकर सदन के सामने जानकारी देंगे ? (शोर)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री छत्तर सिंह--

कार्यालय का किराया एक महीने का भी बाकी नहीं है परन्तु माननीय मंत्री जी ने कार्यालय के किराये के बारे कुछ नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष--

कार्यालय का किराया बाकी है ?

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, कार्यालय का किराया बाकी नहीं क्योंकि वह बख्शी के पत्नी के मकान में कार्यालय है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं स्पष्ट कर दूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप साफ न करें माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। माननीय मंत्री जी का कहना है कि कार्यालय का किराया दिया जा चुका है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

वेतन मिल रहा है अगर माननीय सदस्य के नालेज में कोई और बात हो तो बतायें उसकी भी देखभाल करा ली जायेगी ।

श्री छत्तर सिंह--

मेरा कहना है कि टाउन एरिया का कार्यालय बख्शी के पत्नी के मकान में है इसलिए कार्यालय का किराया बाकी नहीं है तो माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री राम सिंह खन्ना--

बाकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

क्या मकान का किराया न दें?

श्री छत्तर सिंह--

किराया इसलिए दिया गया क्योंकि वह बख्शी के मकान में कार्यालय है।

श्री अध्यक्ष--

मकान का किराया तो दिया ही जाता है।

श्री राम सिंह खन्ना--

मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि अगर कोई बात उनको नालेज में है तो वह बतायें मैं उसकी देखभाल करा लूंगा।

श्री छत्तर सिंह--

मैं कह रहा था कि 50 महीने का वेतन बाकी है। जबकि कार्यालय का एक महीने का भी किराया बाकी नहीं है। क्योंकि वह कार्यालय बख्शी की पत्नी के मकान में है।

श्री अध्यक्ष--

आर्थिक संकट होता है तो यह सब होता ही है अब हम उठते हैं 8 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर सोमवार, 8 सितम्बर, 1980 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
5 सितम्बर, 1980

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 550 पर)

दिनांक 17, 18, फरवरी, 1980 को हुए साक्षात्कार में चयनित 48 पशुधन विकास अधिकारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम
1	2
1	श्री सुबोध किशोर
2	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह
3	श्री दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी
4	श्री सतीश कुमार
5	श्री सोमपाल सिंह
6	श्री आर0 बी0 राय
7	श्री ब्रजेश कुमार वार्ष्णेय
8	श्री चन्द्र भूषण
9	श्री राजेश कुमार भटनागर
10	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल
11	श्री रिशेन्द्र वर्मा
12	श्री राजेश कुमार दीक्षित
13	श्री सतेन्द्रपाल सिंह तोमर
14	श्री चन्द्रेश वार्ष्णेय
15	श्री घनश्याम श्रीवास्तव
16	श्री अमरेन्द्र कुमार
17	श्री शम्भू दयाल सिंह
18	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह गहलौत
19	श्री सतेन्द्र पाल सिंह
20	श्री बी0 एस0 गुप्ता
21	श्री अंगद
22	श्री परमजीत सिंह
23	श्री मदन मोहन सिंह

विधान सभा

1	2
24	श्री अवध नाथ राय
25	श्री रमेश कुमार गुप्ता
26	श्री गिरजा नन्द सिंह
27	श्री उदय भान मुल
28	श्री के० एस० सिंह
29	श्री जनार्दन राम
30	श्री खुरशेद अहमद सिद्दीकी
31	श्री रिषीदेव नरायन श्रीवास्तव
32	श्री विनय कुमार सिन्हा
33	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
34	श्री नेमी चन्द्र
35	श्री विजय प्रताप नरायन सिंह
36	श्री रामेश्वर सिंह
37	श्री अशोक कुमार
38	श्री मोहन लाल
39	श्री भगवान श्रीवास्तव
40	श्री अरुन कुमार आर्य
41	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा
42	श्री चन्द्रदत्त शर्मा
43	श्री रतन लाल वार्ष्णेय
44	श्री श्याम लाल
45	श्री अशोक कुमार
46	श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव
47	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह सेंगर
48	श्री जे० पी० एन० सिंह

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ट 576 पर)

जनपद–आजमगढ़, मौजा जमीन हरखोरी तथा कुमनार परगना व तहसील सगड़ी के ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

शिकायतें

1––सेक्टर का प्रकाशन व निशानदेही नहीं की गई ।

2––ग्राम में सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी के स्तर की निशानदेही नहीं की गई ।

3––चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को जनपद आजमगढ़ के दौरे के समय दिनांक 30–12–78 को शिकायती–पत्र दिया गया जिस पर जांच नहीं की गई ।

4––चकबन्दी अधिकारी स्तर पर चकों का इस प्रकार संशोधन किया गया कि 50 प्रतिशत अपीलें प्रस्तुत की गई ।

5––ग्राम के बहुत से कृषकों को 3, 4 तथा 5 चक प्रविष्ट किये गये ।

6––चकबन्दी अधिकारियों व उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण ग्राम के कुछ व्यक्तियों के साथ निजी सम्पर्क बनाये हैं और उनके साथ ग्राम में दावत खाते हैं ।

7––ग्राम के सभी सेक्टर अवैधानिक एवं टेढ़े–मेढ़े बनाये गये हैं ।

8––मकान तथा बाग का विनिमय अनुपात लगाकर चकों में प्रविष्ट कर दिया गया है ।

9––सामूहिक रोहन, खाल निकालने का स्थान मेला लगाने का स्थान, पंचायत भवन, क्रीड़ा–स्थल, खलिहान, स्कूल आदि के लिये भूमि सुरक्षित नहीं की गई ।

10––क्षेत्र के सहायक चकबन्दी अधिकारी से चक निर्माण नहीं कराया गया तथा घोषी के सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निजी स्वार्थ के लिये चक निर्माण कराया गया ।

11––ग्राम में चकबन्दी अधिकारी स्तर पर चक आपत्तियों की सुनवाई बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सगड़ी में कार्यरत चकबन्दी अधिकारी द्वारा न कराकर फूलपुर इकाई में कार्यरत चकबन्दी अधिकारी द्वारा कराया गया ।

12––स0 च0 अ0 ने इस ग्राम का चक निर्माण कार्य एक वर्ष में समाप्त किया, तथा गांव वालों से पैसा लिया ।

13––ग्राम वासियों को उनके चक के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी ।

14––चकबन्दी अधिकारी स्तर पर संशोधित चकों की पर्ची ग्राम में नहीं बांटी गयी ।

15––इन्द्र देव, लेखपाल ने अधिकारियों के नाम पर पैसा लिया ।

16--ग्राम में जो बाग फल-फूल रहें हैं उनको चकों में प्रविष्ट कर दिया गया ।

17--बड़े कृषकों को चक, आबादी के समीप तथा छोटे कृषकों को चक आबादी से दूर प्रविष्ट किये गये ।

18--ग्राम में 1500 बीघा क्षेत्र चकबन्दी योजना से पृथक् कर दिया गया ।

19--जनपद आजमगढ़ में चकबन्दी आयुक्त के दौरे के समय दिनांक 30-12-78 को शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जांच नहीं करायी गयी ।

उपरोक्त शिकायतों के सम्बन्ध में तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी आजमगढ़ सगड़ी द्वारा स्थानी जांच करायी गयी । जांच में शिकायत संख्या 4, 5, 8, 16, सही पायी गयी

शिकायत संख्या 6 आंशिक रूप से सही पायी गयी सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी 31-3-77 को सेवा निवृत्त हुए, गांव वालों ने उनकी विदाई पार्टी दी ।

शिकायत संख्या 11 इस हद तक सही पायी गयी कि आपत्तियों की सुनवाई क्षेत्र के चकबन्दी अधिकारी से न कर कर अन्य इलाके के चकबन्दी अधिकारी से कराई गयी । ऐसा ग्राम के कृषकों की मांग पर किया गया

शिकायत संख्या 14 इस हद तक सही पायी गयी की चकबन्दी अधिकारी द्वारा संशोधित चकों की पर्ची वितरण करने पर असामाजिक तत्वों ने मारने-पीटने की धमकी दी इसलिए पर्चियां कृषकों को चकबन्दी अधिकारी कार्यालय पर बुलाकर बांटी गयी ।

शिकायत संख्या 18 आंशिक रूप में सही पायी गयी चकबन्दी अधिकारी ने गांव के समस्त तालाब क्षेत्रों को चकबन्दी से बाहर कर दिया था जिसमें 326 एकड़ भूमि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी स्तर पर चकबन्दी योजना में पुनः शामिल कर ली गयी । यह न्यायिक आदेशों के अन्तर्गत हुआ । शेष शिकायतें संख्या 1, 2, 3, 7, 9 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 गलत पायी गयी ।

अनियमितताओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

पी0 एस0 यू0 पी0--100 वि0 सभा--24-3-82--835-(पी0 डी0) ।